




भारत
के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
1980-81 वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार



विषय सूची

	प्रस्तावना	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
			(ii)
अध्याय			
1. सामान्य		1·1—1·9	1—20
2. वित्त विभाग—			
विक्री-कर		2·1—2·15	21—49
3. आबकारी विभाग—			
राज्य आबकारी		3·1—3·8	50—62
4. परिवहन विभाग—			
वाहनों, शाल और यात्रियों पर कर		4·1—4·7	63—72
5. चीमी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग—			
गन्ने के क्रय पर कर		5·1—5·7	73—79
6. वित्त विभाग—			
स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस		6·1—6·7	80—87
7. अन्य कर प्राप्तियाँ—			
राजस्व विभाग—भू-राजस्व		7·1—7·5	88—92
विद्युत् विभाग—विद्युत् शुल्क		7·6—7·7	93—94
8. बन प्राप्तियाँ		8·1—8·11	95—115
9. अन्य विभागीय प्राप्तियाँ		9·1—9·7	116—125

(ii)

परिशिष्ट

पृष्ठ संख्या

I.	अध्याय 1 के प्रस्तर 1.2 (ग) में वर्णित मद 4 "अन्य" के व्यारों की विवरणी	129
II.	राजस्व के प्रमुख शीषों के अन्तर्गत वसूली पर हुए व्यय की विवरणी	130—131
III.	लेला तथा सांलिकीय विभागों द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों की विव- रणियों में अन्तर का विवरण	132


प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1980-81 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एक पृथक् पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसा कि गत वर्ष किया गया था। प्रतिवेदन में प्रस्तुत सामग्री निम्नलिखित क्रम में रखी गई है :

(i) अध्याय 1 में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को, कर राजस्व और कर-इतर राजस्व के अन्तर्गत मुख्य शीर्षों में वर्णीकृत करते हुए, दिखाया गया है। इस अध्याय में राजस्व के प्रमुख शीर्षों से संबंधित बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर की और राजस्व के बकायों आदि की स्थिति की भी विवेचना की गई है।

(ii) 2 से 9 अध्यायों में उन मामलों तथा रोचक बातों का उल्लेख है जो बिक्री-कर, राज्य आवकारी, बाहनों, माल और यात्रियों पर कर, गन्ते के क्रग पर कर, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क तथा कर-इतर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के दाराने दृष्टिगत हुए।

2—इस प्रतिवेदन में उन मामलों का वर्णन है जो टेस्ट आडिट में देखने में आये। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित बातों का आशय सम्बद्ध विभायों/अधिकारियों के वित्तीय प्रशासन पर कि सी प्रकार का व्यापक आक्षेप व्यक्त करने का नहीं है।



अध्याय 1

सामान्य

1.1. राजस्व प्राप्तियों को प्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 1980-81 में 16,22.34 करोड़ रुपयों की प्रत्याशित प्राप्तियों के विरुद्ध कुल राजस्व प्राप्तियां 18,98.73 करोड़ रुपये थीं। इस वर्ष प्राप्तियों में 1978-79 की कुल प्राप्तियों (13,61.81 करोड़ रुपये) की अपेक्षा 39 प्रतिशत और 1979-80 की कुल प्राप्तियों (16,84.47 करोड़ रुपये) की अपेक्षा 13 प्रतिशत की वृद्धि हई। 18,98.73 करोड़ रुपयों की कुल प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा बसूल किया गया राजस्व 8,88.10 करोड़ रुपये था, जिसमें से 6,45.14 करोड़ रुपये कर रहे राजस्व के रूप में तथा शेष 2,42.96 करोड़ रुपये कर-इतर राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। भारत सरकार से 10,10.63 करोड़ रुपयों की प्राप्तियां हुईं।

1.2. राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(क) सामान्य विश्लेषण

वर्ष 1980-81 की राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण इससे पहले दो वर्षों के तदनुस्ती आंकड़ों सहित नीचे दिया गया है:

	1978-79	1979-80	1980-81
--	---------	---------	---------

I. राज्य सरकार द्वारा बसूल किया गया राजस्व— (करोड़ रुपयों में)

(क) कर राजस्व	5,08.15	5,62.27	6,45.14
(ख) कर-इतर राजस्व	2,17.32	2,59.88	2,42.96

योग	..	7,25.47	8,22.15	8,88.10
-----	----	---------	---------	---------

II. भारत सरकार से प्राप्तियां—

(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	3,17.63	5,69.12	6,32.28
---	---------	---------	---------

(ख) सहायक अनुदान	3,18.71	2,93.20	3,78.35*
------------------	---------	---------	----------

योग	..	6,36.34	8,62.32	10,10.63
-----	----	---------	---------	----------

III. राज्य की कुल प्राप्तियां 13,61.81 16,84.47 18,98.73

(I+II)

IV. I की III से प्रतिशतता 53 49 47

*व्यारों के लिये, कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त वेखे 1980-81 में 'विवरण संख्या 11-लघु शीर्षवार राजस्व का व्यारेवार लेखा' देखें।

(क) राज्य द्वारा बसूल किया गया कर राजस्व

वर्ष 1980-81 के दौरान कर राजस्व से प्राप्तियाँ राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का 73 प्रतिशत थीं। वर्ष 1980-81 और इससे पूर्व के दो वर्षों के कर राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

1978-79	1979-80	1980-81	1980-81 में
			1979-80
			की तुलना में
			वृद्धि (+)
			या
			कमी (--)

(करोड़ रुपयों में)

1—आय और व्यय पर अन्य कर	0. 21	0. 41	0. 06	-- 0. 35
2—भू—राजस्व	46. 86	25. 95	22. 73	-- 3. 22
3—स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	56. 70	64. 23	68. 96	+ 4. 73
4—कृषि—भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	0. 01	0. 01	0. 01	..
5—राज्य आब— कारी	51. 45	70. 44	89. 87	+ 19. 43
6—बिक्री—कर*	2,72. 25	3,02. 52	3,50. 85	+ 48. 33

*बिक्री—कर

(1) बिक्री—कर अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	2,30. 08	2,56. 93	3,02. 74	+ 45. 81
(2) गन्ना के कथ पर कर	21. 38	21. 74	15. 75	-- 5. 99
(3) मोटर स्ट्रिप्ट और लुब्रीकेंट्स की बिक्री पर कर	20. 79	23. 85	32. 36	+ 8. 51

7—वाहनों पर कर	21. 60	24. 39	26. 09	+ 1. 70
8—माल और यात्रियों पर कर	27. 28	36. 61	41. 05	+ 4. 44
9—विद्युत् पर कर और शुल्क	6. 96	7. 52	12. 47	+ 4. 95
10—वस्तुओं और सेवाओं पर अच्य कर और शुल्क	24. 83	30. 19	33. 05	+ 2. 86

प्रमुख अन्तर्रों के बारे में स्पष्टीकरण निम्नवत है :

(1) 1979-80 की तुलना में 1980-81 के दौरान 'राज्य आवकारी' शीर्ष के अन्तर्गत 19.43 करोड़ रुपयों की वृद्धि मुख्यतः सितम्बर 1980 से मध्य-निषेध समाप्त करने (प्रस्तार 1.3 दरें) तथा वेन्ड कीस की वसूली शामिल करते हुए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिये कदम उठाने के कारण हुई बताई गई।

(2) 'बिक्री-कर' शीर्ष के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान 48.33 करोड़ रुपयों की वृद्धि के कारण थे : (क) कर-अपवर्चन रोकने के लिए नये कदम उठाना तथा वसूली संगठन को सुदृढ़ करना, (ख) बिक्री-कर देने वाले व्यापारियों की संख्या में वृद्धि तथा (ग) 'माटर स्प्रिट और लुब्रीकैंस की बिक्री पर कर' के अन्तर्गत पेट्रोल की बिक्री पर कर में वृद्धि । 1980-81 में गने की खरीद पर कर के सम्बन्ध में प्राप्तियाँ में 5.99 करोड़ रुपयों की कमी के कारण थे : (क) सूखे के कारण 1979-80 में गना पेराई/चीनी के उत्पादन में अत्यधिक कमी और (ख) 1979-80 के दौरान क्रय-कर पर सरकार द्वारा स्वीकृत रियायतों के फलस्वरूप 1980-81 के दौरान क्रय-कर की कम वसलियाँ ।

(3) 1980-81 के दौरान 'वाहनों पर कर' तथा 'साल आँ यात्रियों पर कर' शीर्षों के अन्तर्गत 1.70 करोड़ रुपयों और 4.44 करोड़ रुपयों की वृद्धि (क) वाहनों की संख्या में दिन-प्रति-दिन वृद्धि और (ख) वसुली संगठन का सुदृढ़ बनाए तथा कर-अपवंचन पर अधिक कड़ी रोकथाम के कारण हई बताइ गई।

(4) 1979-80 की तुलना में 1980-81 के दौरान 'विद्युत पर कर और शुल्क' शीर्ष के अन्तर्गत 4.95 करोड़ रुपयों की वृद्धि मुख्यतया (क) विजली के अधिग्राहिक उपभोग पर शुल्क की दर एक पैसा से दो पैसे बढ़ाने, (ख) विजली के प्रजनन में सुधार के कालस्वरूप उसकी बिक्री में दिन-प्रति-दिन वृद्धि तथा (ग) वसूलियां करने हेतु नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा किये गये प्रयत्नों के कारण हुई बताई गई।

(5) 1980-81 के दौरान 'वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क' शीर्ष के अन्तर्गत 2.86 करोड़ रुपयों की वृद्धि के निम्न कारण बताये गये : (क) सिनेमा घरों की संख्या में वृद्धि तथा (ख) जून 1979 से प्रवेश शुल्क पर अधिभार का लगाना।

(ग) राज्य का कर-इतर राजस्व

व्याज, बन तथा सिंचाई, नौचालन, जल-निकास एवं बाड़-नियन्त्रण परियोजनायें राज्य के कर-इतर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। अन्य कर-इतर राजस्व में मुख्यतया लघु सिंचाई इत्यादि तथा शिक्षा व अन्य विभागों की प्राप्तियां आती थीं जिनका विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

कर-इतर राजस्व से प्राप्तियां वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये राजस्व की 27 प्रतिशत थीं। वर्ष 1980-81 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के कर-इतर राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

	1978-79	1979-80	1980-81	1979-80 की तुलना में 1980-81 में वृद्धि (+) या कमी (-)
	(करोड़ रुपयों में)			
1—व्याज	64.66	79.13	82.40	+ 3.27
2—बन	42.26	45.18	49.13	+ 3.95
3—सिंचाई, नौचालन, जलनिकास तथा बाड़नियन्त्रण परियोजनायें	33.30	32.32	28.66	-- 3.46
4—अन्य (विवरण परिशिष्ट 1 में)	77.10	1,03.25	82.57	-- 20.68
योग ..	2,17.32	2,59.88	2,42.96	-- 16.92

1.3. वर्ष 1980-81 के दौरान कराधान में परिवर्तन

वर्ष 1980-81 के दौरान न तो कोई नया कार लगाया गया न ही वर्तमान करों की दरों में कोई खास वृद्धि या रियायत की गई। विगत दो वर्षों के दौरान राज्य के अनेक जिलों में लगा पूर्ण मद्य-निषेध सितम्बर 1980 से समाप्त कर दिया गया, जिससे वर्ष 1980-81 के दौरान 20.82 करोड़ रुपये और सम्पूर्ण वर्ष में 32.33 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति अनुमानित थी।

1.4. बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर

(क) 1980-81 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान कर राजस्व तथा कर-इतर राजस्व के बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर वृद्धि (+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रति- शतता
1	2	3	4	5
(करोड़ रुपयों में)				
क—कर राजस्व	1978- 79	4,36.09	5,08.15	+ 72.06
	1979- 80	4,50.35	5,62.27	+ 1,11.92
	1980- 81	5,04.99	6,45.14	+ 1,40.15
ख—कर— इतर	1978- 79	2,05.70	2,17.32	+ 11.62
राजस्व	1979- 80	2,31.12	2,59.88	+ 28.76
	1980- 81	2,58.77	2,42.96	-- 15.81

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत अन्तर का व्यौरा नीचे दिया गया है :

राजस्व का शीर्ष	वर्ष अनुमान	बजट प्राप्तियां	वास्तविक अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता वृद्धि (+)/ कमी (-)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(करोड़ रुपयों में)
1—भू-राजस्व	1978-79	28.30	46.86	+ 18.56	66
	1979-80	28.30	25.95	- 2.35	8
	1980-81	28.30	22.73	- 5.57	19
2—स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	1978-79	39.54	56.70	+ 17.16	43
	1979-80	45.63	64.23	+ 18.60	41
	1980-81	57.29	68.96	+ 11.67	20
3—राज्य आबकारी	1978-79	50.03	51.45	+ 1.42	3
	1979-80	35.50	70.44	+ 34.94	98
	1980-81	52.67	89.87	+ 37.20	70
4—बिक्री-कर	1978-79	2,45.01	2,72.25	+ 27.24	11
	1979-80	2,61.25	3,02.52	+ 41.27	16
	*1980-81	2,76.83	3,50.85	+ 74.02	26
5—वाहनों पर कर	1978-79	19.50	21.60	+ 2.10	10
	1979-80	21.86	24.39	+ 2.53	12
	1980-81	23.16	26.09	+ 2.93	13

*1980-81

- (i) बिक्री-कर अधिनियमों 2,38.02 3,02.74 + 64.72 .. 27
के अन्तर्गत प्राप्तियां
- (ii) गन्ने के कथ पर कर 15.61 15.75 + 0.14 ..
- (iii) मोटर स्प्रिट और 23.20 32.36 + 9.16 39
लुट्रोकैन्ट्स की
बिक्री पर कर

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6—माल और यात्रियों 1978-79 26.74 27.28 + 0.54 2
पर कर 1979-80 28.14 36.61 + 8.47 30
1980-81 32.10 41.05 + 8.95 27

7—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर 1978-79 20.71 24.83 + 4.12 20
और शुल्क 1979-80 23.09 30.19 + 7.10 31
1980-81 28.09 33.05 + 4.96 17

8—ब्याज 1978-79 66.11 64.66 - 1.45 2
1979-80 78.41 79.13 + 0.72 1
1980-81 86.25 82.40 - 3.85 4

9—दन 1978-79 35.52 42.26 + 6.74 19
1979-80 37.84 45.18 + 7.34 19
1980-81 40.58 49.13 + 8.55 21

10—सिंचाई, नौचालन, 1978-79 26.02 33.30 + 7.28 28
जलनिकास और बाढ़- 1979-80 31.02 32.32 + 1.30 4
नियंत्रण परियोजनायें 1980-81 31.02 28.86 - 2.16 6

'राज्य आवकारी', 'बिक्री-कर', 'वाहनों पर कर', 'माल और यात्रियों पर कर' तथा 'वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क' शीर्षों के अन्तर्गत 1980-81 वर्ष हेतु बजट अनुभानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तरों के कारण वही थे जो प्रस्तर 1.2 (ख) में दिये गये हैं, जबकि 'भू-राजस्व', 'स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस' तथा 'वन' के सम्बन्ध में वे निम्न प्रकार हैं :

(1) 'भू-राजस्व' शीर्ष के अन्तर्गत 5.57 करोड़ रुपयों की कम प्राप्ति मूल्यतः दौरी आपदाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा वसूली स्थगित कर देने के कारण हुई वताइ गई ।

(2) 'स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस' शीर्ष के अन्तर्गत 11.67 करोड़ रुपयों की वृद्धि निम्न कारणों से हुई वताइ गई : (क) कृषीय/शहरी भूमि के बाजार मूल्य में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन फीस की वसूली में बढ़ानेरी और (ख) कृषीय/शहरी भूमि के सौदों में कम मूल्यांकन का पता लगाने की ओर विभाग द्वारा सशक्त कदम उठाना और फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस के कम प्रभार की वसूली करना ।

(3) 'वन' शीर्ष के अन्तर्गत 8.55 करोड़ रुपयों की वृद्धि (क) वन लाटों से अच्छी प्राप्तियों और (ख) लीसा के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई वताइ गई ।

1.5. बिक्री-कर निर्धारण के बकाया मामले

(क) कर-निर्धारण वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान बिक्री-कर विभाग द्वारा निस्तारित कर-निर्धारण वादों की तथा 31 मार्च के अन्त में अनिस्तारित कर-निर्धारण वादों की संख्या, जैसा कि विभाग ने सूचित किया है, नीचे दी गई है :

निस्तारण हेतु पड़े हुए कर-निर्धारण वादों की संख्या

वर्ष	बकाया मामले	चालू वर्ष के मामले	प्रतिप्रेषित मामले	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1979-80	4,76,579	2,48,396	7,382	7,32,357
1980-81	4,27,060*	2,41,063	4,802	6,72,925

वस्तुतः निस्तारित किये गये कर-निर्धारण वादों की संख्या

बकाया मामले	चाल बर्ब के मामले	प्रतिप्रेषित मामले	योग
(6)	(7)	(8)	(9)
3,03,476	56,388	6,641	3,66,505
2,64,205	48,759	3,641	3,16,605
31 मार्च को अनिस्तारित कर-निर्धारण वादों की संख्या			
(10)			
3,65,852*			
3,56,320			

1980-81 के दौरान माहवार निस्तारित कर-निर्धारण वादों की कुल संख्या और आरोपित निवल मांग निम्नवत् थी :

माह	1980-81 के दौरान निस्तारित कर-निर्धारण वादों की संख्या	आरोपित निवल मांग (करोड़ रुपयों में)
अप्रैल	207	0.19
मई	3,066	1.28
जून	16,365	1.78
जुलाई	25,388	3.71
अगस्त	24,701	4.66
सितम्बर	33,651	5.53
अक्टूबर	29,263	5.20
नवम्बर	27,892	6.27
दिसम्बर	35,455	6.81
जनवरी	34,216	7.85
फरवरी	34,926	8.19
मार्च	51,475	58.65
	<u>3,16,605</u>	<u>1,10.12</u>

* 1979-80 के अन्त शेष की तुलना में 1980-81 के आदि शेष में 61,208 मामलों की वृद्धि विभाग द्वारा, अभिलेखों की छानबीन तथा उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948, की धारा 21 के अन्तर्गत स्थोले गये मामलों को शामिल करने के कारण हुई, बताई गई ।

मार्च 1981 में निस्तारित कर-निर्धारण वादों की संख्या 51,475 थी जो वर्ष के दौरान निस्तारित कर-निर्धारण वादों की कुल संख्या (3,16,605) का 16 प्रतिशत थी। मार्च 1981 माह में आरोपित निवल मांग 58.65 करोड़ रुपये थी जो वर्ष के दौरान सृजित कुल निवल मांग (1,10.12 करोड़ रुपये) का 53 प्रतिशत थी।

31 मार्च 1981 को अनिस्तारित मामलों का वर्षवार विभाजन निम्नलिखित है :

वर्ष	मामलों की संख्या
1977-78 वर्क	45,243
1978-79	1,17,612
1979-80	1,92,304
पुनः कर-निर्धारण हेतु कोटि द्वारा प्रतिप्रेपित मामले	1,161
योग	3,56,320

(ख) अपील एवं पुनरोक्षण के मामलों (बिक्री-कर) की विवरण तीन वर्षों में हृदृप्रगति नीचे की तालिकाओं में दर्शायी गई है :

वर्ष	पिछले वर्षों चाल के मामले	योग	निस्तारित वर्ष के अनिस्तारित मामलों अन्त में मामलों की संख्या अनिस्तारित की योग मामलों की से प्रति- संख्या शतता	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1978-79	1,19,384	70,489	1,89,873	79,234	1,10,639	58				
1979-80	1,10,639	71,488	1,82,127	82,296	99,831	55				
1980-81	99,831	71,762	1,71,593	71,798	99,795	58				

अपील के मामलों की प्रगति						
1978-79	28,025	25,274	53,299	30,380	22,919	43
1979-80	25,004	19,653	44,657	15,464	29,193	65
1980-81	29,193	23,090	52,283	20,765	31,518	60

पुनरोक्षण के मामलों की प्रगति

31 मार्च 1981 को अनिस्तारित 31,518 पुनरीक्षण मामलों का वर्षदार विवरण निम्नवत् था :

वर्ष	मामलों की संख्या
1975-76	7
1976-77	76
1977-78	462
1978-79	1,786
1979-80	8,414
1980-81	20,773

(आंकड़े विभाग द्वारा दिये गये हैं ।)

पुनरीक्षण के मामलों के सम्बन्ध में 1978-79 के अन्त शेष की तुलना में 1979-80 के आदि शेष में 2,085 मामलों का अन्तर विभाग द्वारा स्थल पर की गई जांच के फलस्वरूप कुछ मामलों को निकाल देने/ शामिल कर लेने के कारण हुआ बताया गया ।

1.6. वसूल न किया गया राजस्व तथा भूत्य ब्रातें

(क) कुछ विभागों के संबंध में 31 मार्च 1980 तथा 31 मार्च 1981 को राजस्व के बकायों की तलनात्मक स्थिति और साथ ही साथ वर्ष 1980-81 के अन्त में बकायों की वर्ष के दौरान वसूलियों से प्रतिशतता नीचे दर्शाइ गई है (सम्पूर्ण सज्य के राजस्व के कुल बकायों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) ।

क्रम	राजस्व का सं	वसूल किए गए राजस्व की धनराशि	31 मार्च 1981 को वसूली हेतु बकाया	वसूल किये गए राजस्व की धनराशि	1980-81 के अन्त में वसूली हेतु बकायों को वर्ष के दौरान वसूल किये गए राजस्व की धनराशि	1979-80 के अन्त में वसूली हेतु बकायों को वर्ष के दौरान प्रतिशतता वसूल किये गए राजस्व के अन्दर से प्रतिशतता दर्शाइ गई है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(धनराशि करोड़ रुपयों में)

1. विक्री-कर—

(!) विक्री-कर	3,02.74	1,90.40	63	1,28.52
अधिनियमों के				(50)
अन्तर्गत प्राप्तियां				

(2) गन्ने के क्रम पर कर	15. 75	7. 60	48	7. 47 (34)
2. राज्य आवकारी	89. 87	7. 09	7	6. 96 (10)
3. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	67. 14	1. 04	1	0. 90 (1)
4. भू-राजस्व	22. 73	48. 43	213	41. 49 (159)
5. विद्युत् शुल्क	12. 47	17. 17	137	15. 60 (207)
6. बन	49. 13	6. 86	13	4. 99 (11)

(आंकड़े विभागों द्वारा दिये गये हैं ।)

(ख) विभागों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 31 मार्च 1981 के वसूली के लिये बकाया धनराशि में से, 'विक्री-कर' के 9.72 करोड़ रुपये के बकाये (1,90.40 करोड़ रुपयों में से) और 'गन्ने के क्रम पर कर' से सम्बन्धित 4.88 करोड़ रुपये के बकाये (7.60 करोड़ रुपयों में से) 10 वर्ष से अधिक पुराने थे ।

(ग) बकायों का सामान्य विवरण

(1) विक्री-कर के बकाये—विक्री-कर की आरोपित परन्तु 31 मार्च 1981 तक वसूल न की गई मांग 1,90.40 करोड़ रुपये थी जब कि मार्च 1980 के अन्त में वसूल न की गयी मांग 1,28.52 करोड़ रुपये थी । इस प्रकार, विगत वर्ष के अन्त में जो स्थिति थी उसकी तुलना में 31 मार्च 1981 को विक्री-कर के बकायों की प्रमाणा (क्रान्त म) तथा प्रतिशतता दोनों में वृद्धि हुई है ।

नोट—भू-राजस्व में भूमि विकास-कर तथा वृहत् जोत-कर शामिल हैं (जो क्रमशः पहली जूलाई 1977 और पहली जूलाई 1979 से उन्मूलित कर दिए गए हैं) । 31 मार्च 1981 को वसूली के लिए बकाया धनराशि इस प्रकार थी : भू-राजस्व : 43.68 करोड़ रुपये; भूमि विकास-कर : 4.41 करोड़ रुपये तथा वृहत् जोत-कर : 0.34 करोड़ रुपये ।

दूसरी ओर, 1979-80 तक के बकायों की वसूली की प्रगति धीमी थी (22.1 प्रतिशत) क्योंकि, जैसा नीचे की तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 1980-81 के दौरान केवल 28.37 करोड़ रुपये (1,28.52 करोड़ रुपयों में से) वसूल किये जा सके थे :

वर्ष	31 मार्च को बहाये		1980-81 के दौरान वसूल किए गए बहाये	
	1980	1981	धनराशि	प्रतिशतता
	(धनराशि करोड़ रुपयों में)			
1974-75 तक	19. 40	18. 99	0. 41	0. 2
1975-76	4. 89	4. 70	0. 19	0. 3
1976-77	9. 92	8. 30	1. 62	16. 3
1977-78	16. 32	13. 85	2. 47	15. 1
1978-79	22. 00	16. 34	5. 66	25. 5
1979-80	55. 99	37. 97	18. 02	32. 2
1980-81	..	90. 25
योग ..	1,28. 52	1,90. 40	28. 37	22. 1

31 मार्च 1981 को बकायों की धनराशि (1,90.40 करोड़ रुपये) कार्यवाही की निम्नांकित स्थितियों में थी :

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रुपयों में)
(क) धनराशि जिसके लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये	50.70
(ख) उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा स्थगित धनराशि	37.48
(ग) सरकार द्वारा स्थगित धनराशि	1.58
(घ) व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण अवरुद्ध धनराशि	14.52
(ङ) अन्य स्थितियाँ (सरकारी विभागों से 13.58 करोड़ रुपयों के बकाये शामिल करते हुए)	86.12
योग ..	1,90.40

(2) राज्य आवकारी शुल्क के बकाये—साधारणतया, राज्य आवकारी शुल्क, विकी-फीस इत्यादि से सम्बन्धित बकाये नहीं रहने चाहिये क्योंकि ये आसवनियाँ/बूअरी तथा/या वंचित गांदामों से उत्पादनों को निकालने से पूर्व अग्रिम देय हैं। देशी शराब और विदेशी शराब की दुकानों के नीलाम के मामले में भी, बोती की धनराशि का एक भाग पेशगी और शेष उपयुक्त मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है। फिर भी, विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 31 मार्च 1981 को बकायों की धनराशि 7.09 करोड़ रुपये थी।

इन बकायों का वर्षवार विश्लेषण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। बकाये कार्यवाही की निमांकित स्थितियाँ में थे :

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रुपयों में)
(क) धनराशि जिसके लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये	4.98
(ख) उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित धनराशि	1.96
(ग) बट्टे खाते डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि	0.15
योग ..	<u>7.09</u>

(3) भू-राजस्व के बकाये—भू-राजस्व की निकाली गयी किन्तु 31 मार्च 1981 तक वसूल न की गई मांग 43.68 करोड़ रुपये थी जब कि 31 मार्च 1980 को वसूल न की गई मांग की धनराशि 36.41 करोड़ रुपये थी। सम्पूर्ण धनराशि की वसूली सरकार द्वारा दैवी आपदाओं के कारण सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी।

इसी प्रकार, 31 मार्च 1980 को भूमि विकास-कर के 4.62 करोड़ रुपयों के बकायों की तुलना में 31 मार्च 1981 को 4.41 करोड़ रुपये बकाया थे; 4.23 करोड़ रुपयों की वसूली दैवी आपदाओं के कारण सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी।

(4) विवृत शुल्क के बकाये—विवृत शुल्क को निकाली गई एकन्तु 31 मार्च 1981 तक बसूल न की गई मांग की धनराशि 17.17 करोड़ रुपये थी जब कि 31 मार्च 1980 को बकाया धनराशि 15.60 करोड़ रुपये थी ।

वर्षवार विश्लेषण निम्नलिखित है :

वर्ष	बकायों की धनराशि (करोड़ रुपयों में)
1975-76 तक	4.76
1976-77	1.02
1977-78	1.00
1978-79	4.46
1979-80	3.12
1980-81	2.81
योग . .	17.17

31 मार्च 1981 को बकायों की धनराशि के बारे में कार्यवाही निम्नलिखित स्थोत्रयों में थी :

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रुपयों में)
(क) पहली सितम्बर 1970 से निजी विवृत प्रजनन पर लगने वाले विवृत शुल्क के भूगतान से छूट के लिये रनेकूट की एक कम्पनी के प्रार्थना-पत्र पर पूँः विचार करने के लिये राज्य सरकार को निदेशित करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय (मई 1974 में दिये गये) के कारण अवरुद्ध धनराशि । राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।	11.04

(ख) धनराशि जिसकी कटाई उत्तर प्रदेश राज्य विद्वृत् परिषद् को स्वीकृत क्रण से की जा रही है	5.49
(ग) उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित धनराशि	0.37
(घ) धनराशि जिसके लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये	0.12
(ङ) बकायाँ को जमा करने के लिये राज्य तथा केन्द्रीय नियुक्त प्राधिकारियाँ से बराबर कहा जा रहा है	0.15
योग ..	17.17

(5) बन प्राप्तियाँ के बकाये—मांगकर्ताओं को, टिम्बर तथा अन्य बन उपजाँ की आपूर्ति हेतु, माल भेजने से पूर्व, उससे सम्बन्धित सम्पूर्ण भुगतानों की वसूली करनी होती है और इसलिये सामान्यतया टिम्बर तथा दूसरी बन उपजाँ की आपूर्ति से सम्बन्धित बकाये नहीं होने चाहिये। परन्तु, विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 1981 को बकायाँ की धनराशि 6.86 करोड़ रुपये थी जबकि 31 मार्च 1980 को बकाया धनराशि 4.99 करोड़ रुपये थी।

वर्षवार विश्लेषण निम्न प्रकार है:

वर्ष	बकायाँ की धनराशि (करोड़ रुपयों में)
1975-76 तक	1.43
1976-77	0.24
1977-78	0.08
1978-79	0.12
1979-80	0.51
1980-81	4.48
योग ..	6.86

31 मार्च 1981 को बकायों के बारे में कार्यवाही निम्नलिखित स्थितियों में थीं :

कार्यवाही की स्थिति	बकाया को धनराशि (करोड़ रुपयों में)
(क) उपलब्ध जमानत या विभाग की देख-रखे में पड़े हुए माल के समक्ष समायोजित होने वाली धनराशि	4 . 57
(ख) धनराशि जिसके लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये	1 . 05
(ग) उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा स्थगित धनराशि	0 . 38
(घ) बट्टे खाते डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि (देनदारों के दिवालिया हो जाने के कारण)	0 . 09
(ङ) अन्य स्थितियां	0 . 77
	<hr/>
	योग ..
	6 . 86

(प्रस्तर 1 . 6 (ग) के आंकड़े विभागों द्वारा दिये गये हैं ।)

1 . 7 . राजस्व का बट्टेखाते डालना तथा माफ करना

वर्ष 1980-81 के दौरान बट्टेखाते डाली गई तथा माफ की गई मांगों के विवरण, जो कुछ विभागों द्वारा मदां की संख्या बताये विना दिये गये हैं, तीचे दिये गये हैं :

विभाग	हानियों, अप्राप्य राजस्व व कर की बट्टेखाते डाली गई ¹ धनराशि	माफियां
		(करोड़ रुपयों में)

i वित्त—

विक्री-कर .. 0 . 63

ii राजस्व—

(क) भू-राजस्व .. 0 . 48

(ख) भूमि विकास-कर .. 0 . 03

1.8. वसूली की लागत

1978-79 से 1980-81 तक तीन वर्षों के दौरान राजस्व के मुख्य शीषाओं के अन्तर्गत प्राप्तियाँ की वसूली पर किये गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है ।

1.9. अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विभिन्न कार्यकारिणी इकाइयों की स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न प्राप्तियों के निर्धारण तथा वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच के फलस्वरूप लेखापरीक्षा टीका-टिप्पणियाँ कार्यालयों के अध्यक्षों और उनसे उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित की जाती है । अधिक महत्वपूर्ण अनियमिततायें विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भी सूचित की जाती है । लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर भेजने अपेक्षित होते है ।

छः माह से अधिक अनिस्तारित रहने वाली लेखापरीक्षा टीका-टिप्पणियों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट भी, उनके शीघ्र निस्तारण होते, विभागों के अध्यक्षों तथा सरकार को भेजी जाती है ।

मार्च 1981 तक जारी किये गये लेखा-परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में से, 2,881 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 6,726 प्रस्तर सितम्बर 1981 के अन्त तक अनिस्तारित रहे ।

इन अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों का वर्षबार व्यौरा, निहित धनराशि सहित, निम्न प्रकार है :

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या	निहित धनराशि (लाख रुपयों में)
1974-75 से पूर्व	48	57	39.26
1974-75	170	252	46.53
1975-76	216	392	60.17
1976-77	279	687	3,20.70
1977-78	345	720	4,98.48
1978-79	488	1,117	5,43.65
1979-80	511	1,217	5,30.25
1980-81	824	2,284	5,28.39
योग . .	2,881	6,726	2,567.48

एंसे विभागों का उल्लेख, जिनके पास अपेक्षाकृत बहुत अधिक अनिस्तारित मामले पड़े हैं, नीचे किया गया है :

विभाग	तीन वर्ष से अधिक की अवधि से अनिस्तारित प्रतिवेदनों और प्रस्तरों की संख्या (मार्च 1978 तक जारी किए गए प्रतिवेदन)		तीन वर्ष और उससे कम अवधि से अनिस्तारित प्रतिवेदनों और प्रस्तरों की संख्या (1978-79 से 1980-81)	
	प्रतिवेदन	प्रस्तर	प्रतिवेदन	प्रस्तर
1—राज्य आबकारी	295	557	216	425
2—स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	169	274	310	613
3—गन्धे पर क्रय-कर	166	305	226	400
4—वन	147	303	116	416
5—विद्युत शुल्क	58	91	89	161
6—भू-राजस्व	53	106	159	293
7—विक्री-कर	45	92	470	1,565
	933	1,728	1,586	3,873

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित उन लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के आंकड़े दिये गये हैं जिनके सम्बन्ध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए :

विभाग	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या			योग
	3 वर्ष और उससे अधिक (मार्च 1978 तक जारी किए गए)	2 वर्षों ते अधिक किन्तु (1978-79 का)	3 वर्षों से कम (1978-79 के दोरान जारी किए गए)	
1—विक्री-कर	162	162

2--राज्य आवकारी	36	23	35	94
3--विद्युत् शुल्क	33	18	20	71
4--इटाम्प और रजिस्ट्रेशन फैस	56	56
5--गन्ने पर क्य-कर	39	39
6--सिचाइ	34	34
7--भू-राजस्व	22	22
8--वन	1	1	16	18
9--हुंडि	11	11
10--सार्वजनिक निर्माण	8	8
11--ननोरंजन और पणन		..	7	7
12--परिवहन	7	7
13--सहकारिता	3	3
14--खाद्य तथा रसद	3	3

योग ..	70	42	423	535

अध्याय २

वित्त विभाग

विक्री-कर

2.1. टेस्ट आडिट के सामान्य परिणाम

वर्ष 1980-81 के दौरान, विक्री-कर कार्यालयों के अभिलेखों के टेस्ट आडिट में कर के कम निर्धारण एवं व्याज तथा दण्ड के न लगाने/ कम लगाने के 1,311 मामले विभाग को सूचित किए गए, जिनमें 70.76 लाख रुपयों का राजस्व निहित था। मामलों का मुख्य रूप से वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

	मदों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1- अधिगमित छूटें	123	12.40
2-कर की गलत दरों का लगाना	195	10.02
3-विक्रय-धन का करनिर्धारण से छूट जाना और विक्रय-धन का गलत निर्धारण	128	5.23
4-अतिरिक्ता कर का न लगाना	147	5.33
5-माल का गलत वर्गीकरण	45	1.72
6-व्याज/अर्थदण्ड का न लगाना/ कम लगाना	247	26.67
7-कर-गणना में गलतियां	121	3.63
8-विविध	<hr/> 305	<hr/> 5.76
	योग	1,311
		70.76

कुछ महत्वपूर्ण मामले उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं ।

2.2. कच्चे मालों को खरीदों पर अनियमित रियायत

उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-वीं में उस धारा के अन्तर्गत अधिसूचित माल के निर्गताओं को निर्दिष्ट

परिस्थितियों में विशिष्ट सहायता का प्रविधान है। यदि अधिसूचित माल का कोई निर्माता विशिष्ट सहायता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे आने कर-निर्धारण अधिकारी से एक 'मान्यता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करना होगा जिस पर उसे अधिसूचित माल के निर्माण में प्रयोग होते कच्चे मालों की आगी खरीद पर विकी-कर या क्रय-कर नहीं देना पड़ेगा या रियायती दर पर देना होगा। समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत, 'रवड़ तथा रवड़-निर्मित वस्तु' को एक अधिसूचित माल के रूप में शामिल किया गया था और उसके निर्माण में प्रयोग होते अपेक्षित कच्चे माल की खरीदों पर कोई कर देय नहीं था। यदि इकाई द्वारा निर्मित माल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी स्तर पर कर-योग्य न हो तो उक्त अधिसूचनाओं के अन्तर्गत कोई रियायत स्वीकार्य नहीं होगी। अधिनियम में यह भी प्रविधान था कि कोई व्यापारी, यों किसी दूसरे व्यापारी को अधिनियम या उसके अधीन बनी नियमावली के प्रविधान के अन्तर्गत झूटा या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी करता है जिसके कारण इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अन्य व्यापारी के साथ क्रय या विक्रय के लेन-देन पर लगने वाला कर लगने योग्य नहीं रह जाता है या रियायती दर पर लगने योग्य हो जाता है, वह ऐसे लेन-देन पर ऐसी उस धनराशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा जो ऐसे लेन-देन पर कर कर के रूप में देय होती यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी न किया गया होता।

विकी-कर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1981) कि एक व्यापारी को रवड़-निर्मित वस्तुओं के निर्माण के लिए 12 नवम्बर 1974 से मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया जिसके संगक्षे व्यापारी ने विक्रेता व्यापारियों को निर्धारित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके 1975-76 में 6.86 लाख रुपये, 1976-77 में 16.45 लाख रुपए, 1977-78 में 25.97 लाख रुए और 1978-79 में 41.15 लाख रुए मूल्य का 'कच्चा रवड़, बनस्ताति दूध (लेटेक्स) तथा रसायन' कच्चे माल के रूप में कर-मुक्त खरीदा। किन्तु पूर्वोक्त कच्चे मालों से निर्मित वस्तु कृपीय उपकरण (हल की मूठ) के रूप में देंची गयी जिसकी विक्रियां कर के लगने से मुक्त थीं। अतः व्यापारी कच्चे मालों की कर-मुक्त खरीदों की रियायत का अधिकारी नहीं था। 90.43 लाख रुपए मूल्य के कच्चे मालों की ऐसी खरीदों में निहित कर की धनराशि 7.23 लाख रुपए हुयी (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर को लेकर 8 प्रतिशत की दर से)।

सरकार को माघले की सूचना मार्च 1981 में दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

2.3. अनियमित छुट्टौं

(1) कंसाइनमेंट के आधार पर राज्य के बाहर स्थानान्तरित खाद्यान्मों पर कर का न लगाना

उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 के प्रविधानों के अनुसार, जब माल पर कर उपभोक्ता को की गई विक्री के बिन्दु पर लगाता है, ऐसे भागलों में प्रत्येक विक्री उपभोक्ता को की गई विक्री राज्यकी जाती होती है और उस पर कर लगाना होता है। किन्तु, यदि विक्री किसी पंजीकृत व्यापारी को की जाती है जो माल को राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य में पुनः बेचने के लिए खरीदता है और विक्रेता व्यापारी को इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है, तो विक्रेता व्यापारी क्रेता व्यापारी को माल विक्री-कर से मुक्त बेचेगा। माल की कर-मुक्त खरीद के लिए इस प्रविधान का लाला लगने के बाद, यदि क्रेता व्यापारी उसको उसी रूप में और उसी दशा में जिसमें उसने उसे खरीदा था, या तो राज्य के अन्दर या अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य में पुनः नहीं बेचता है, तो वह उन मालों की अपनी खरीदों पर उसी दर पर कर अदा करने का भागी होगा जिस पर विक्रेता व्यापारी छारा कर देय होता, यदि ऐसा घोषणा-पत्र प्रस्तुत न किया गया होता।

खाद्यान्म 2 जगवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 की अवधि के दौरान उपभोक्ता को विक्री के बिन्दु पर 4 प्रतिशत से कर-योग्य थे। (तत्पश्चात्, कर प्रथम खरीद के बिन्दु पर उसी दर पर लगने योग्य हो गया)।

विक्री-कर मण्डल, अलीगढ़ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1980) कि एक पंजीकृत व्यापारी ने 2 सितम्बर 1976 से 31 मार्च 1977 की अवधि में, निर्धारित घोषणा-पत्रों को प्रस्तुत करके, उस पर किसी कर का भुगतान किये बिना, 3.27 लाख रुपयों के मूल्य के खाद्यान्मों की खरीद की। किन्तु, बाद में, उनको या तो राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पुनः बेचने के बजाय, उसने उनको उत्तर प्रदेश के बाहर अपने शाखा कार्यालय को कंसाइनमेंट के आधार पर स्थानान्तरित कर दिया। इसलिए व्यापारी निर्धारित घोषणा-पत्रों पर की गयी खाद्यान्मों की अपनी उपर्युक्त खरीदों पर कर अदा करने के लिए जिमोदार हो गया और ऐसे कर की धनराशि 13,088 रुपए आई। किन्तु कर नहीं लगाया गया।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी इवारा स्वीकृत रूप से देय था, वह व्याप का भुगतान करने के लिए भी दायी हो गया जो फरवरी 1977 से

मई 1980 (लेखापरीक्षा का मास) तक, अन्य मद पर व्यापारी द्वारा 1,005 रुपयों की अधिक जमा-धनराशियों के लिये क्रेडिट देने के उपरान्त, 9,666 रुपये हुआ ।

जून 1980 में लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर, विभाग ने फरवरी 1981 में बताया कि उपर्युक्त कर तथा व्याज के लिए अतिरिक्त मांग निकालते हुए कर निर्धारण आदेश जून 1980 में पुनरीक्षित कर दिया गया है और यह कि देयों की वसूली उनके द्वारा देख ली जाएगी ।

सरकार को मामले को सूचना जून 1980 में दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

(2) अधोषित माल को घोषित रूप में मानना

केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अन्तर्गत, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विवेष गहत्व के घोषित माल पर, अतिरिक्त कर के लिए कर की दर को गमिलित करते हुए विक्रय-कर/क्रय-कर की राज्य दर, उक्ता अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर से, जो पहली जुलाई 1975 से 4 प्रतिशत रही है, अधिक नहीं होनी चाहिए ।

2 सितम्बर 1976 से खाद्यान्नों पर राज्य-दर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गयी । यदि विक्रय/क्रय-धन (टर्नओवर) 2 लाख रुपयों से अधिक हो, तो एक प्रतिशत अतिरिक्त कर भी लगाना था । यद्यपि प्रमुख जनाज (सीरियल) और दालों घोषित मालों की सूची में 2 सितम्बर 1976 से शामिल कर ली गयी थीं, जिन पर कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती थी, 'मटर और मटर की दाल' इसमें शामिल नहीं किए गए थे ।

विक्री-कर मण्डल, हाथरस की लेखापरीक्षा के दर्तान यह देखा गया (अक्टूबर 1980) कि एक व्यापारी ने मई 1977 से मार्च 1978 की अवधि के लिए 17.21 लाख रुपयों के खाद्यान्नों का करयोग्य क्रय-धन (टर्नओवर) घोषित किया । खाद्यान्नों के वस्तुवार व्यौरे न तो व्यापारी द्वारा दिए गए और न ही कर-निर्धारण प्राधिकारी ने इसकी पूछताछ की और, खाद्यान्नों के सम्पूर्ण टर्नओवर को घोषित वस्तु मानते हुए, 4 प्रतिशत की दर से कर-निर्धारण कर दिया गया ।

लेखापरीक्षा में पिस्तिन घोषणा-पत्रों की छानबीन से प्रकट हुआ (अक्टूबर 1980) कि खाद्यान्नों का उपर्युक्त टर्नओवर मूल्यतया मटर का था जो घोषित वस्तु नहीं थी । इस प्रकार, उस पर लगने वाला क्रय-कर, केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 4 प्रतिशत की उच्चतम दर के वधीन नहीं था और चूंकि टर्नओवर 2 लाख रुपयों

से अधिक था अतः एक प्रतिशत अतिरिक्त कर के साथ-साथ 4 प्रतिशत की दर से कर लगना चाहिए था ।

दिसम्बर 1980 में लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर, विभागीय प्राधिकारियों ने व्यापारी के लेखा-अभिलेखों की जांच की और पाया कि 16.51 लाख रुपयों की खरीद मटर की थीं । तदनुसार, 16,505 रुपयों की अतिरिक्त मांग निकालते हुए कर-निर्धारण आदेश फरवरी 1981 में पुनरीक्षित कर दिया गया जिसे विभाग ने गई/जून 1981 में पूर्ण रूप से बसूल कर लिया बताया (दिसम्बर 1981) ।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप में देय था, वह इस कर के भुगतान न करने के कारण व्याज के लिए भी दायी हो गया । जुलाई 1977 से अक्टूबर 1980 (आडिट का मास) की अवधि हेतु ऐसे व्याज की धरणीश 11,405 रुपये आई ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना दिसम्बर 1980 में दी गई थी, विभाग के उत्तर की पुष्टि कर दी (जनवरी 1982) ।

(3) विहित अवधि के उपरान्त विक्रियों की वापसीयों पर कर का न लगाना

केन्द्रीय विक्री-कर विधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि बेचा गया माल, माल की सुपुद्दिगी के दिनांक से छः माह के भीतर लौटा दिया जाता है तो व्यापारी को करदण्ड विक्रय-धन निकालने के लिये माल के खरीदारों द्वारा व्यापारी को वापस किये गये सम्पूर्ण माल के विक्रय मूल्य की कटाईयां अनुमत्य हैं ।

विक्री-कर मण्डल, कन्नौज (जिला फतेहगढ़) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1979) कि वर्ष 1975-76 हेतु एक व्यापारी के कर-निर्धारण को अक्टूबर 1978 में अंतिम रूप देते समय, उत्तर प्रदेश के बाहर के खरीदारों द्वारा वापस किये गये माल के संबंध में आवधिक परिलेखों (पीरिआडिकल रिटर्न्स) में 7.61 लाख रुपये मूल्य के माल पर उसे कर से छूट देंदी गयी, जब कि विक्री-परिलेखों से यह दिलित हुआ कि 1.42 लाख रुपये मूल्य का माल (इन) सुपुद्दिगी के दिनांकों से बस्तुतः छः महीनों के बाद लौटाया गया था । अतः व्यापारी द्वारा वर्ष 1975-76 के लिए मांगी गयी छूट इस सीमा तक अवधिकार्य थी ।

इसके फलस्वरूप ऐसे माल पर, जो निर्धारित घोषणा-पत्रों से समर्थित नहीं था, 12 प्रतिशत की प्रभावी राज्य दर पर 17,035 रुपयों के कर का अवधिनिर्धारण हुआ ।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित घोषणा-पत्रों से वस्तुर्थित 9,862 रुपयों का विक्रय-धन कर लगाने से छूट गया था; वर्ष 1975-76 के लिए प्राप्त ऐसे कर की धनराशि 1,184 रुए हुयी ।

इस प्रकार उपर्युक्त दो भूलों के कारण कुल 18,219 रुपयों का कर कर लगा ।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय था, वह 9 सितम्बर 1976 से सितम्बर 1979 (लेखा-परीक्षा का मास) को अवधि के तिए देय 13,482 रुपयों के व्याज के भुगतान के तिए भी जिम्मेदार हो गया ।

लेखारीक्षा में इसके बताए जाने पर (नवम्बर 1979), विभाग ने बताया (जनवरी 1981) कि उपर्युक्त कर तथा व्याज के तिए अतिरिक्त गांग निकात कर कर-निर्धारण आदेश सितम्बर 1980 में पुनरीक्षित कर दिया गया है । वसूली से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना नवम्बर 1979 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

(4) घोषणा-पत्रों के विरुद्ध निर्यात हेतु उपयोग किए गए माल की खरीदारों पर कर का न लगाना

जब कोई पंजीकृत व्यापारी माल को उसी दशा में या तो राज्य के अन्दर या अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पुनः बेचने के लिए घोषणा-पत्र देकर दूसरे व्यापारी से कोई माल कर-मुक्त खरीदता है और इस प्रविधान का लाभ लेने के बाद, ऐसे माल को घोषणा-पत्र के अन्तर्सार पुनः नहीं बेचता है, तो वह उस माल के सम्बन्ध में क्रय-धन पर उसी दर पर कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा जिस पर ऐसा घोषणा-पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में विक्रेता व्यापारी द्वारा विक्री कर देय होता ।

विक्री-कर मण्डल, आगरा की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1980) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान करगया: 29.86 लाख रुपए तथा 30.76 लाख रुपए मूल्य का चमड़ा, निर्धारित घोषणा-पत्रों को प्रस्तुत करने के बाद, कर-मुक्त खरीदा । व्यापारी ने इन कर-मुक्त खरीदारों में से 1976-77 में 2.64 लाख रुपयों तथा 1977-78 में 1.85 लाख रुपयों की विक्रियां भारत के बाहर निर्यात हेतु की, जिन पर विक्री-कर नहीं लगता था ।

चूंकि धोषणा-ना देकर प्रथमतः कर-मुक्त खरीदी गयी वस्तु राज्य के अन्दर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान नहीं बेची गयी, व्यापारी उक्त लाख का अधिकारी नहीं था और वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 हेतु क्रमशः 2.50 लाख रुपयों तथा 1.76 लाख रुपयों के इसके क्रम मूल्यों पर कर यदा करने के लिए जिम्मेदार था। इस पर 4 प्रतिशत की दर से 17,063 रुपयों की धनरक्षित कर के रूप में आरोपित की जानी थी।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (जून 1980), विभाग ने बताया (जून 1981) कि उपर्युक्त कर के लिए, अतिरिक्त मांग निकालते हुए कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया गया है, तथा उसकी वसूली कर ली गयी है। किन्तु व्यापारी ने पुनरीक्षित कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय था, वह इस कर का भुगतान गे करने के कारण व्याज का भी देनदार था जो मई 1977 से अप्रैल 1980 (लेखापरीक्षा का मास) तक 10,596 रुपए हुआ। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

ररकार को मामले की सूचना जून 1980 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

2.4. गतत दरों का लगाना

(1) वनस्पति की विक्रियाँ पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा विक्री के विन्दु पर लगने वाले कर की दर 19 दिसम्बर 1974 से 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गयी। इसी प्रकार, 'धोने का सावून' की विक्रियाँ पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा विक्री के विन्दु पर लगने वाले कर की दर भी पहली जून 1975 से 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी।

विक्री-कर गण्डत, बाराणसी की लेखापरीक्षा के दौरान एक व्यापारी के मामले में यह देखा गया (जून-जुलाई 1980) कि (क) 19 दिसम्बर 1974 से 31 मार्च 1976 की अवधि हेतु वनस्पति की विक्री से गम्भीरता उसके 248.42 लाख रुपयों के विक्रय-धन और (ख) पहली जून 1975 से 31 मार्च 1976 की अवधि हेतु धोने के सावून से संबंधित उसके 30.50 लाख रुपयों के विक्रय-धन पर, जो राज्य के बाहर से आयातित थे, क्रमशः 7 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की पुनरीक्षण से पूर्व

की दरों पर कर निर्धारित किया गया । वढ़ी हुई दरों के न लगाने से 2.79 लाख रुपयों का कर कम लगा ।

लेखापरीक्षा में कर कम लगाए जाने के बताए जाने पर (जुलाई-अगस्त 1980), विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 1981) कि 2.79 लाख रुपयों की अतिरिक्त मांग निकालते हुए कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया है, जिसमें से व्यापारी ने 2,850 रुपए जमा कर दिए हैं और शेष धनराशि की वसूली अपील में स्थगित कर दी गई है ।

गरकार ने, जिसे मामले की सूचना जुलाई-अगस्त 1980 में दी गयी थी, विभाग के उत्तर की पुष्टि कर दी है और कहा है कि वसूली की प्रगति देखें ली जाएगी (जनवरी 1982) ।

(2) उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, 'मिल स्टोर्स' तथा 'हार्डवेयर्स' निर्माता या आयातकर्ता द्वारा की गई विक्री के दिन्दु पर, पहली दिसम्बर 1973 से 7 प्रतिशत की दर से कर-योग्य हो गए ।

विक्री-कर मण्डल, आगरा की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1980) कि पीतल की कीलों (ब्राय रिवेट्स) के एक निर्गति के वर्ष 1975-76 के लिए 7.98 लाख रुपयों और वर्ष 1976-77 हेतु 7.12 लाख रुपयों के विक्रय-धन पर क्रमशः सितम्बर 1979 और नवम्बर 1979 में 4 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया । हार्डवेयर्स की मदों में आने के कारण पीतल की कीलों पर 'मिल स्टोर्स' तथा 'हार्डवेयर्स' की प्रविष्टि में लागू 7 प्रतिशत की दर से कर लगना था । कर की 4 प्रतिशत की निचली दर लगाने के फलस्वरूप 45,294 रुपयों का कम प्रभार हुआ ।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय था, वह गड़े 1976 से अक्टूबर 1980 (लेखापरीक्षा का मास) तक कर का भुगतान न करने के कारण 43,793 रुपयों के व्याज का भी देनेदार हो गया ।

कर तथा व्याज के कारण कुल कम प्रभार 89,087 रुपए हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर, विभाग ने बताया (जनवरी 1982) कि 45,294 रुपयों के कर तथा उस पर प्राप्य व्याज की अतिरिक्त मांग सूचित करते हुए कर-निर्धारण आदेश पुनरीक्षित कर दिये गये हैं जिसमें से कर के प्रति 25,200 रुपए वसूल कर लिए गए हैं । कर की शेष धनराशि तथा व्याज की वसूली से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना नवम्बर 1980 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

(3) केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, धोरणित माल को छांडकर, निर्धारित प्राप्तियों से अवगतिर्थ माल की अन्तर्राज्यीय विक्रियों पर 10 प्रतिशत की दर से अवश्यकता उपलब्ध करने के अन्दर एसे माल की विक्री या सरीद पर लागू दर से, जो भी उच्चतर हो, कर निर्धारित किया जाना होता है ।

उत्तर प्रदेश विक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत रोड़ियों तथा लाउडस्पीकरों के अतिरिक्त पुँजों पर 15 अप्रैल 1974 से 12 प्रतिशत की दर से कर लगना था । अतएव इन अतिरिक्त पुँजों की निर्धारित प्रपत्रों से असमर्थत अन्तर्राज्यीय विक्रियों उक्त दिनांक से 12 प्रतिशत की दर से कर-योग्य थी ।

विक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1980) कि 1976-77 तथा 1977-78 वर्षों हेतु एक व्यापारी के रोड़ियों तथा लाउडस्पीकर के अतिरिक्त पुँजों का विक्रय-धन प्रत्येक वर्ष के लिए गर्वांत्तम न्याय (वेस्ट जजमेन्ट) के आधार पर 20 लाख रुपए निश्चित किया गया और उपर्युक्त वर्षों के दौरान एसी अन्तर्राज्यीय विक्री पर सही रूप से लागू 12 प्रतिशत के वजाय, निर्धारित 'सी' प्रपत्रों से असमर्थत अन्तर्राज्यीय विक्रियों के रूप में 10 प्रतिशत की दर से मार्च 1980 में कर निर्धारित किया गया । इस प्रकार, कर की गलत दर के लगाने के फलस्वरूप 80,000 रुपयों का कम इभार हुआ ।

कर-निर्धारण आदेशों के विरुद्ध व्यापारी के अपील में चले जाने पर (अप्रैल 1980), मामले पुनः कर-निर्धारण के लिए प्रतिप्रेषित (रिमाण्डेंड) कर दिये गये (नवम्बर 1980) । प्रतिप्रेषित मामलों को कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्च 1981 में अन्तिम रूप दिया गया और विक्रय-धन 1976-77 वर्ष के लिये 18 लाख रुपये तथा वर्ष 1977-78 के लिये 16.65 लाख रुपये निश्चित किया गया और 69,292 रुपयों की अतिरिक्त गांव निकालते हुए लेखापरीक्षा में इंगित 12 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया । वसूली से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना सितम्बर 1980 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

(4) स्पिरिटॉं तथा देवी शराब को छोड़कर सभी प्रकार की स्पिरिट-युक्त शराबों पर अक्तूबर 1972 ये, निर्माता या आयातकर्ता द्वारा विक्री की विन्दु पर, 12 प्रतिशत की दर से कर लगना है ।

स्पिरिटॉं तथा स्पिरिट्युक्त शराबों की विक्री के लिए आबकारी लाइसेंस राज्य आबकारी विभाग द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिये दिव्ये जाते हैं और वे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाते हैं । आबकारी व्यापारी गदा लापने विक्री-कर के देवों का भूगतात लाने समझौते की अवधि के दरीन नहीं करते हैं और कुछ मामलों में अदा न किए गए देये वसूल ये होने योग्य हो जाते हैं । ऐसे व्यापारियों द्वारा विक्री-कर के अपवांचन (इवेजन) को रोकने के लिए, दिक्की-कर मैनुअल उन आकस्मिक व्यापारियों तथा ठोकेदारों के सम्बन्ध में जिनके ठंके किसी विशेष वर्ष के लिए है, करनिधारणों को प्राथमिकता के आधार पर अन्तिम रूप देने का प्रविधान करता है । विभाग द्वारा आबकारी लाइसेंसधारियों से उनका व्यापार बन्द होने से पूर्व कर के निर्धारण तथा वसूली को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश भी जारी किए गए हैं ।

विक्री-कर मण्डल, कानपुर की लेखारीका के दरीन यह दख्ता गया (फरवरी 1980) कि एक व्यापारी के व्यापार परिसर (विजनेस प्रेमिसेज) का—जिसका नाम विभाग के अधिलेख में नहीं था और जो एक नियमित कर निर्धारित नहीं था—दिसम्बर 1974 में सर्वेक्षण किया गया और 1.00 लाख रुपए मूल्य का स्टाक पाया गया । विभागीय प्राधिकारियों ने आंका कि व्यापारी ने 9 से 10 लाख रुपए मूल्य तक की वार्षिक विक्रियां की हैं । किन्तु, इस मामले में कर-निर्धारण की कार्यवाहियां 3 वर्षों से अधिक रमय बीत जाने के बाद उस समय प्रारम्भ की गयी जब जून 1978 गे व्यापारी को कर-निर्धारण अधिकारी के रामका उपस्थित होने के लिए नॉटिस जारी की गयी । नॉटिस, जिसमें व्यापारी का नाम गलत लिखा हुआ था, विना तामील हुए लौट आयी । फरवरी 1979 गे जारी की गयी दूसरी नॉटिस भी दिना तामील हुए लौट आयी द्याँकि पाने वाले का कहों पता नहीं था ।

व्यापारी के कर-निर्धारण को मार्च 1979 में एकपक्षीय अन्तिम रूप दे दिया गया । कर-निर्धारण के अनुसार, कुल विक्रियां 20 लाख रुपयों की आंकी गयीं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के बाहर से लरीदी गयी शराब की विक्रियां—जिन पर कर लगना था—4.00 लाख रुपयों की अनुमानित की गयीं, और इस पर 32,000 रुपयों का कर निर्धारित किया गया (कर की गणना 7 प्रतिशत की दर से और अतिरिक्त कर की गणना एक प्रतिशत की दर से की गई) । चूंकि उत्तर प्रदेश के

बाहर से आयोजित (इमोटॉड) शराबों की विक्रियाँ पर वर्ष 1974-75 के दौरान सही कर 12 प्रतिशत से लगता था, वसूल होने वाला सही कर 52,000 रुपए होना चाहिए था ।

किन्तु, व्यापारी पर जारी की गयी कर की गांग की नोटिय विना तामील हुए वायर प्राप्त हो गई क्योंकि व्यापारी का कहो पता न था ।

गरकार को मामले की सूचना अप्रैल 1980 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

2.5. घोषित माल को अन्तर्राज्यीय विक्रियाँ पर कर की गलत दर लागू करना

(1) केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, अन्तर्राज्यीय विक्रियाँ पर निम्न ग्रकार कर लगता है :

(क) निर्धारित घोषणा-पत्रों से समर्थित विक्रियाँ के सम्बन्ध में, दर जुलाई 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत है ।

(ख) निर्धारित घोषणा-पत्रों से अग्रमर्थित विक्रियाँ के सम्बन्ध में, दर 10 प्रतिशत या राज्य दर, जो भी उच्चतर हो, है ।

विक्री-कर मण्डल, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1980) कि वर्ष 1975-76 के लिए एक व्यापारी के परिलेखों में दिखाए गए 4.55 लाख रुपयों के टायरों के अन्तर्राज्यीय विक्रयधन पर, जो घोषणा-पत्रों से समर्थित नहीं था, 10 प्रतिशत की सही दर के बजाय 7 प्रतिशत से कर निर्धारित किया गया जो उत्तर प्रदेश में टायरों की विक्री पर लागू राज्य दर थी । इसके फलस्वरूप 13,665 रुपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय था, वह इसका भुगतान न करने के कारण 9 सितम्बर 1976 से 2 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज का भी देनेदार हो गया ।

लेखापरीक्षा में इसके बाताएँ जाने पर (सितम्बर 1980), विभाग ने उपर्युक्त कर तथा ब्याज की अतिरिक्त मांग निकालते हुए कर निर्धारण आदेश को मार्च 1981 में पुनरीक्षित कर दिया । जुलाई 1981 में वसूली प्रभाण-पत्र भी जारी कर दिया गया । आगे प्रगति की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

गरकार को मामले की सूचना नवम्बर 1980 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

(2) यदि केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अन्तर्गत बन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य गों विशेष गहत्व के घोषित माल से सम्बन्धित बन्तराज्यीय विक्रियां निर्धारित घोषणा-पत्रों से गणराज्य नहीं हैं, तो उन पर उपर्युक्त राज्य गों एसे मात्र की विक्री या खरीद पर प्रभावी दर का दूना कर लगाना होता है। खाद्यान 2 सितम्बर 1976 से अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष गहत्व के घोषित मालों में आते हैं और उन पर उत्तर प्रदेश राज्य में 4 प्रतिशत से कर लगना है।

विक्री-कर गण्डल, हरदाइंग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1981) कि पहली नवम्बर 1976 से 31 मार्च 1977 की अवधि हेतु एक व्यापारी की खाद्यानों की 3.68 लाख रुपयों की घोषित बन्तराज्यीय विक्रियां निर्धारित घोषणा-पत्रों से गणराज्य नहीं थीं, किंतु उन पर 4 प्रतिशत की राज्य दर से कर निर्धारित किया गया जबकि लगने वाली दर इस दर की दुगुनी होनी चाहिए थी। यस दर से कर लगने के फलस्वरूप 14,730 रुपयों के राजस्व का कर जमार हुआ।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय था, वह व्याप के भूगताम के लिए भी जिम्मेदार हो गया जो गई 1977 से फरवरी 1981 (लेखापरीक्षा का मास) की अवधि हेतु 13,551 रुपये हुआ।

गरकार को मामले की सूचना अप्रैल 1981 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

2.6. कर की रियायती दरों का अनियमित लाभ

(1) केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (5) के अन्तर्गत पहली अक्टूबर 1975 को जारी की गयी एक अधिसूचना द्वारा, अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान मिल के पत्थरों की विक्रियां पर कर की रियायती दर 2 अक्टूबर 1975 से 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी गयी। यह रियायत केवल उन व्यापारियों को लिलनी है जो उक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

विक्री-कर गण्डल, आगरा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1980) कि अधिनियम के अन्तर्गत एक अपंजीकृत व्यापारी के सम्बन्ध में वर्ष 1974-75 के लिए 40,000 रुपयों की और वर्ष 1975-76 के लिए 5 लाख रुपयों की गिल के पत्थरों की अन्तराज्यीय विक्रियां पर क्रमशः जनवरी 1979 और मार्च 1980 में पहली अक्टूबर 1975 तक 2 प्रतिशत तथा उसके बाद 3 प्रतिशत की रियायती दर से

कर निर्धारित किया गया । चूंकि व्यापारी केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं था, वह करारोपण की रियायती दरों का अधिकारी नहीं था । निर्धारित घोषणा-पत्रों से समर्थित न होने के कारण इन विक्रियों पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगना था । कर की रियायती दरों के अनियमित रूप से लाएँ करने के फलस्वरूप 40,700 रुपयों का कर कम लगा ।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर, विभाग ने 40,700 रुपयों की अतिरिक्त मांग निकालते हुए कर-निर्धारण आदेशों को जून 1981 में पुनरीक्षित कर दिया । वस्ती से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना नवम्बर 1980 में दी गयी थी, तथाँ की पुष्टि कर दी है (जनवरी 1982) ।

(2) केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (5) के अन्तर्गत पहली अक्टूबर 1975 को जारी की गयी एक अधिसंचना द्वारा तिलहन की विक्रियां, जो अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत एक घोषित वस्तु है, 2 अक्टूबर 1975 से 2 प्रतिशत की रियायती दर से कर-योग्य कर दी गयीं । 26 मार्च 1977 की एक दूसरी अधिसंचना जारी करके यह रियायत वापस ले ली गयी और तिलहन की निर्धारित घोषणा-पत्रों से समर्थित अन्तर्राजीय विक्रियां पहली अप्रैल 1977 से कर की 4 प्रतिशत की सामान्य दर से कर-योग्य हो गयीं ।

विक्री-कर मंडल, गोण्डा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1980) कि 1977-78 वर्ष के लिए एक व्यापारी का केन्द्रीय कर-निर्धारण बाद मार्च 1980 में दो भार्यों में समग्न किया गया (पहली अप्रैल 1977 से 2 सितम्बर 1977 तक प्रथम भाग के रूप में और 5 सितम्बर 1977 से 31 मार्च 1978 तक द्वितीय भाग के रूप में) । घोषणा-पत्रों से समर्थित 5,72,110 रुपयों (प्रथम भाग के लिए 2,86,490 रुपए और द्वितीय भाग के लिए 2,85,620 रुपए) की तिलहन की अन्तर्राजीय विक्रियों पर 2 प्रतिशत की रियायती दर से कर निर्धारित किया गया जब कि लगने वाली रही दर 4 प्रतिशत थी । 2 प्रतिशत की रियायती दर गलत लगने के फलस्वरूप 11,442 रुपयों का कर कम लगा ।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (जून 1980), विभाग ने 11,442 रुपयों की अतिरिक्त मांग निकालते हुए कर-निर्धारण आदेशों को जून 1980 में पुनरीक्षित कर दिया जिसमें से 11,362 रुपयों की

धनराशि व्यापारी द्वारा अधिक जमा किए गए कर के समक्ष समाचारित कर ली गई और शेष 80 रुपये उससे जून 1980 में वसूल कर लिये गये ।

सरकार ने, जिसे मासले की सूचना जुलाई 1980 में दी गयी थी, तथ्यों की पुष्टि कर दी है (जनवरी 1982) ।

2.7. गलत निर्धारित किया गया विक्रय-धन

(1) केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, निर्धारित घोषणा-पत्रों से समर्थित अन्तर्राजीय विक्रियां पर 30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत की दर से कर लगना था ।

कानपुर स्थित विक्री-कर मण्डल की लेखापरीक्षा के दर्बारन यह दख्ला गया (नवम्बर 1980) कि एक व्यापारी की जूट के माल की निर्धारित घोषणा-पत्रों से समर्थित, घोषित अन्तर्राजीय विक्रियां पहली अप्रैल 1975 से 30 जून 1975 की अवधि के लिए 51.39 लाख रुपए तथा पहली जुलाई 1975 से 31 मार्च 1976 की अवधि के लिए 1,49.86 लाख रुपए थी जिन पर क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत की दर से कर लगना था । दोनों अवधियों के विक्रय-धन पर लगने वाला समूर्ण कर 7,53,633 रुपए था ।

किन्तु मार्च 1980 में व्यापारी के कर-निर्धारण बाद को अन्तिम रूप देते रामर, पहली अप्रैल 1975 से 30 जून 1975 की अवधि हेतु विक्रियां 51.39 लाख रुपयों के बजाय 1,56.37 लाख रुपए तथा पहली जुलाई 1975 से 31 मार्च 1976 की अवधि हेतु विक्रियां 1,49.86 लाख रुपयों के स्थान पर 44.88 लाख रुपए, जिन पर क्रमशः 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत दोनों दर से कर निर्धारित किया गया था, गलत रूप से ले ली गयीं । समुचित रूप से लगने योग्य 7,53,633 रुपयों के स्थान पर 6,48,650 रुपयों का कर लगाया गया । गलत विक्रय-धनों पर कर लगाने के फलस्वरूप 1.05 लाख रुपयों का कम प्रभार हुआ ।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप में देय था, अतः वह कर भुगतान न किये जाने के कारण व्याज का भी दनंदार हो गया जो सितम्बर 1976 से नवम्बर 1980 (लेखापरीक्षा का मास) की अवधि के लिए 1.07 लाख रुपए हुआ । कर तथा व्याज के कारण कुल कम प्रभार 2.12 लाख रुपए हुआ ।

सरकार को मामले की सूचना मई 1981 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

(2) विक्री-कर मण्डल, बरेली की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1977) कि स्कूटर, स्कूटर के पुर्जों तथा कृषि उपकरणों इत्यादि का व्यापार करने वाली एक फर्म पहली अप्रैल 1974 से पतर्गीठित की गई थी । लेखापरीक्षा में जांच किए जाने पर पता चला कि यद्यपि पुरानी फर्म का 1.21 लाख रुपयों का अन्तिम रहतिया (बलोंजिंग स्टाक) पतर्गीठित फर्म को हस्तांतरित किया गया था, किन्तु इसे कर-निर्धारिती (पुनर्गीठित फर्म) के 1974-75 के कर-निर्धारण वर्ष के लिए दिक्षण-धन सुनिश्चित करते समय गणना में शास्त्रिय नहीं किया गया । 10 प्रतिशत का सामान्य लाभ जोड़ देने के उपरांत, ऐसे स्टाक के गम्भन्ना में विक्रय-धन 1.32 लाख रुपए हुआ जिसमें 11,497 रुपयों का करदायित्व निहित था ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर, कर-निर्धारण आदेश पुनर्दिशित कर दिया गया तथा अतिरिक्त मांग अप्रैल 1978 में निकाली गयी और अगस्त 1980 में वसूल कर ली गयी ।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देश था, वह कर के भुगतान की तिथि तक लगने वाले ब्याज के भुगतान के लिए भी दायी हो गया जो 14,308 रुपए हुआ ।

विभाग ने बताया (मई 1981) कि उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अप्रैल 1981 में आदेश पारित करके उपर्युक्त धनराशि पर ब्याज लगा दिया गया है । वसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना अगस्त 1977 में दी गई थी, तथ्यों को पुष्ट कर दी है (जुलाई 1981) ।

(3) उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, कपास की रद्दी पर वर्ष 1974-75 के दौरान निर्माता या आयातकर्ता द्वारा विक्री के बिन्दु पर 2 प्रतिशत की दर गे कर लगना था ।

विक्री-कर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1979) कि वर्ष 1974-75 के लिए एक सूती मिल के कर-निर्धारण को फरवरी 1979 में अन्तिम रूप देते समय, 23 नवम्बर 1974 से 31 मार्च 1975 की अवधि हते 2.88 लाख रुपयों की कपास की रद्दी की घोषित विक्रियों के स्थान पर केवल 35,871

रुपयों के विक्रय-धन पर कर निर्धारित किया गया। इस प्रकार 2.52 लाख रुपयों की विक्रियां कर-निर्धारण से छूट गयीं। 23 नवम्बर 1974 से पूर्व की अवधि की विक्रियों के विवरण अलग से उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (जुलाई 1979), विभागीय प्राधिकारियों ने करनिर्धारिती की लेखावहियों की जांच की और पाया (सितम्बर 1979) कि पहली अप्रैल 1974 से 3 नवम्बर 1974 की अवधि हेतु 5.47 लाख रुपयों और 4 नवम्बर 1974 से 31 मार्च 1975 की अवधि हेतु 3.54 लाख रुपयों, कुल मिलाकर 9.01 लाख रुपयों, की कपास की रद्दी की विक्रियां वस्तुतः कर-निर्धारण से छूट गयी थीं। तदनुसार 24,300 रुपयों (अतिरिक्त कर सहित) की अतिरिक्त मांग सूचित करते हुए कर-निर्धारण गितम्बर 1979 में पुनरीक्षित कर दिया गया। व्यापारी इस कर का भुगतान न करने के कारण व्याज का भी देनेदार था जो जून 1975 से जुलाई 1979 (लेखापरीक्षा का मास) की अवधि के लिए 24,300 रुपए हुआ।

सरकार को मामले की सूचना अगस्त 1979 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

(4) बिक्री-कर मण्डल, आगरा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1980) कि कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 हेतु एक व्यापारी द्वारा दायर किए गए परिलेखों के अनुसार, 35.72 लाख रुपए मूल्य के वनस्पति के 27,000 टीनों की राजस्थान से खरीद कन्साइनमेन्ट के आधार पर बिक्री के लिए की गयी थी। किन्तु कन्साइनमेन्ट के विवरणों को प्रदर्शित करने वाली सूचियों से विदित हुआ कि खरीदों का कुल मूल्य 37.03 लाख रुपए था। इस प्रकार, 1.31 लाख रुपयों की खरीदें कर लगने से छूट गयीं। सम्पूर्ण स्टाक वर्ष के दौरान बेच दिया गया दिखाया गया था।

इस प्रकार 1.32 लाख रुपयों का विक्रय-धन (व्यय तथा लाभ के निर्मित कर्य मूल्य में 1.3 की प्रतिशतता जोड़कर निकाला गया) कर-निर्धारण से छूट गया, परिणामस्तर पर 11,880 रुपयों का कर कम लगा।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (अप्रैल 1980), 11,880 रुपयों की अतिरिक्त मांग निकालते हुए निर्धारण आदेश पुनरीक्षित कर दिया गया जिसकी वसूली कर ली गयी (अप्रैल 1980)। विलम्बित भुगतान के कारण मई 1977 से 18 अप्रैल 1980 की अवधि हेतु

8,458 रुपए का व्याज भी देय हो गया । विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 1981) कि व्यापारी ने व्याज की धनराशि अगस्त/सितम्बर 1980 में जमा कर दी है ।

सरकार ने, जिसे मागले की सूचना जून 1980 में दी गयी थी, तथाँ की पृष्ठ कर दी है (जनवरी 1982) ।

2.8. अधिक क्रेडिटों का दिया जाना

(1) विक्री-कर मण्डल, लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1980) कि डीजिल इंजनों के एक व्यापारी ने 11,002 रुपयों की धनराशि 30 मार्च 1977 को ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा की । जूलाई 1975 से जून 1976 के दौरान कर की नीची दर लागू करने के कारण 1975-76 तथा 1976-77 कर-निर्धारण वर्षों के कछु भाग के लिए मासिक परिलेखों में उसके द्वारा जमा किए गए कर की कम जमा धनराशियों की पूर्ति करने के लिए ऐसा किया गया था । 1975-76 तथा 1976-77 वर्षों के कर-निर्धारणों को क्रमशः मार्च और मई 1979 में अन्तिम रूप देते समय, उसे उक्त धनराशि का क्रेडिट दो बार दे दिया गया, एक बार 1975-76 की कर-निर्धारण फाइल में लगी हुई चालान की जमाकर्ता की प्रति के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के सम्बन्ध में और पुनः उसी चालान की विभागीय प्रति (कोषागार के माध्यम से प्राप्त), जो व्यापारी की 1976-77 की कर-निर्धारण फाइल में रख दी गयी थी, के आधार पर वर्ष 1976-77 के लिए । इसके फलस्वरूप 11,002 रुपयों के कर का कम प्रभार हुआ ।

इसके अतिरिक्त, व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय कर की उपर्युक्त धनराशि पर व्याज, जो नियत दिनांकों (जून से नवम्बर 1976) से लेखापरीक्षा के मास (दिसम्बर 1980) तक अदा नहीं की गई थी, 9,950 रुपए हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (दिसम्बर 1980), विभाग ने दत्तात्रा (अगस्त 1981) कि उपर्युक्त कर तथा व्याज के लिए अतिरिक्त मांग निकालते हुए कर-निर्धारण आदेश जनवरी 1981 में पुनरीक्षित कर दिया गया है जिसमें से 2,792 रुपए मार्च 1981 में जमा कर दिए गए हैं और शेष धनराशि को आठ मासिक किस्तों में वसूल करने के लिए 4 अप्रैल 1981 को आदेश दे दिए गए हैं ।

सरकार को मागले की सूचना फरवरी 1981 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

(2) बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1980) कि मशीनरी के पुजाँ के एक व्यापारी पर कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये 62.71 लाख रुपयों के उसके करयोग्य विक्रयधन पर मार्च 1980 में 4.99 लाख रुपयों का कर निर्धारित किया गया । इस करदेयता के समक्ष व्यापारी को उसके द्वारा जमा किये गये स्वीकृत कर के लिए 4,82,288 रुपयों के बजाय 4,92,288 रुपयों का क्रेडिट दे दिया गया । इसके फलस्वरूप 10,000 रुपयों की कम मांग की गयी ।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर, विभाग ने 10,000 रुपयों की अतिरिक्त मांग निकालते हुए कर-निर्धारण आदेश को नवम्बर 1980 में पुनरीक्षित कर दिया । वसूली से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना जनवरी 1981 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

2.9. गलत दर लगाने के कारण कम प्रभार तथा अतिरिक्त कर का न लगाना

(1) गोटरों के टायर तथा ट्यूबों, मोटर-साइकिलों और स्कूटरों पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के विन्दु पर लगने वाली कर की दर 15 अप्रैल 1974 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गयी थी । दो लाख रुपयों से अधिक विक्रयधन पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर भी लगना था ।

बिक्री-कर मण्डल, शोरखपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1980) कि वर्ष 1974-75 के लिये उत्तर प्रदेश के बाहर से खरीदे गए मोटरों तथा स्कूटरों के टायर तथा ट्यूबों के सम्बन्ध में एक व्यापारी का विक्रयधन 4.50 लाख रुपए निश्चित किया गया और उस पर जनवरी 1980 में 7 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया । कर की 12 प्रतिशत की सही दर न लगाने और विक्रयधन 2 लाख रुपयों से अधिक होने के कारण एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर न लगाने के फलस्वरूप 27,000 रुपयों के कर का कम निर्धारण हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (जून 1980), विभाग ने सूचित किया (मार्च 1981) कि 27,000 रुपयों की अतिरिक्त मांग

निकालते हुए कर-निर्धारण आदेश पुनरीक्षित कर दिया गया है। वसूली के विवरण प्रतीक्षित हैं (जनवरी 1982)।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना जून 1980 में दी गयी थी, वास्तविक स्थिति की पुष्टि कर दी है (अगस्त 1981)।

(2) इसके अतिरिक्त पहली अप्रैल 1976 से मिर्च-मसाले निर्माता या आयातकर्ता द्वारा विक्री के बिन्दु पर 6 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। 2 लाख रुपयों से अधिक के विक्रयधन पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर भी लगता है।

विक्री-कर गण्डल, गोरखपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1979) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1976-77 के लिए अपने परिलेखों में, अन्य बातों के साथ-साथ, 6.03 लाख रुपयों का तिलहनों का विक्रयधन घोषित किया। कर-निर्धारण अधिकारी ने इस विक्रयधन को आगे सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर 6.50 लाख रुपये निश्चित किया और उस पर अप्रैल 1978 में 4 प्रतिशत से कर निर्धारित कर दिया। किन्तु, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत मर्दों की सूचियों की लेखापरीक्षा में जांच करने से विदित हुआ कि 3.16 लाख रुपयों के मूल्य का मात्र मसालों की श्रेणी में आता था, तिलहनों की श्रेणी में नहीं, और इस पर 6 प्रतिशत की दर से कर लगता था। विक्रयधन के 2 लाख रुपयों से अधिक होने की दृष्टि से इस पर एक प्रतिशत से अतिरिक्त कर भी लगता था।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (सितम्बर 1979), विभाग ने मसालों के विक्रयधन को 3.46 लाख रुपए निश्चित करते हुए, कर-निर्धारण आदेश को अक्टूबर 1979 में पुनरीक्षित कर दिया और कर के रूप में 10,380 रुपयों की तथा फरवरी-मई 1977 से अगस्त 1979 की अवधि हेतु प्राप्य व्याज के रूप में 5,940 रुपयों की अतिरिक्त मांग सूचित कर दी।

9,607 रुपयों की धनराशि की वसूली कर ली गई है और कर तथा व्याज की छोप धनराशि की वसूली के लिए विभाग ने बताया (अगस्त 1981) कि व्यापारी ने दूसरी अपील के निर्णय होने तक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना सितम्बर 1979 में दी गयी थी, विभाग के अगस्त 1981 के उत्तर का समर्थन कर दिया है (दिसम्बर 1981)।

2.10. अतिरिक्त कर का न लगाना

(1) उत्तर प्रदेश विको-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत; यदि किसी व्यापारी का विक्रयधन किसी करनिधरण वर्ष में दो लाख रुपयों से अधिक हो जाता है, तो वह अपने करयोग्य विक्रयधन पर, सामान्य कर के अतिरिक्त, 4 नवम्बर 1974 से एक प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। 4 दिसम्बर 1979 के बाद करयोग्य विक्रयधन पर अतिरिक्त कर विक्रयधन की विना किसी सीमा के लगना है।

यदि स्वीकृत विक्रयधन पर व्यापारी द्वारा देय कर निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं जमा किया जाता है, तो प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये 2 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा और यह भुगतान न की गयी धनराशि पर लगेगा।

विको-कर मण्डल, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1980) कि (क) औषधि के एक व्यापारी पर 1976-77 वर्ष के लिये 51.04 लाख रुपयों के और (ख) खाद्यालौं के एक व्यापारी पर 1975-76 वर्ष के लिये 24.52 लाख रुपयों के घोषित करयोग्य विक्रयधन पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। इसके फलस्वरूप कुल 0.76 लाख रुपयों के कर का अवनिधरण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर (सितम्बर 1980), औषधि के व्यापारी से सम्बन्धित करनिधरण आदेश विभाग द्वारा 51,040 रुपयों की अतिरिक्त मांग सुनित करते हुए जुलाई 1981 में पुनरीक्षित कर दिया गया। व्यापारी ने अतिरिक्त कर के दायित्व को स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अपने आवधिक परिलेखों को प्रस्तुत करते समय इस कर को पहले ही जमा कर दिया था। 49,032.15 रुपयों की धनराशि जो वस्तुतः पहले जमा की गई थी तदनुसार रामायंजित कर दी गयी; 2,007.85 रुपयों की शेष धनराशि तथा उस पर ब्याज की वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)। खाद्यालौं के दूसरे व्यापारी ने मूल करनिधरण आदेश के विरुद्ध मार्च 1980 में अपील दायर कर दी और अपीलीय प्राधिकारी ने बाद को, फिर से करनिधरण करने के लिए नवम्बर 1981 में प्रतिप्रेषित कर दिया है। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

सरकार को मामलों की सूचना नवम्बर 1980 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

(2) केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अन्तर्गत अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष गहत्व के घोषित माल के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अनुज्ञेय (परिगणितवृल) कर की अधिकतम राज्य दर 30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत थी ।

उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, यदि व्यापारी का विकायधन 2 लाख रुपयों से अधिक हो तो घोषित माल पर भी 31 अक्टूबर 1978 तक एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगना था । किन्तु, अतिरिक्त कर की दर सहित कर की दर 3 प्रतिशत या 4 प्रतिशत की उपर्युक्त अनुज्ञेय अधिकतम दर से अधिक नहीं होनी थी ।

तिलहन अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विशेष महत्व की एक घोषित वस्तु है । वर्ष 1975-76 के दौरान, इस पर कर की राज्य दर 4 अप्रैल 1975 तक प्रथम खरीद पर 3 प्रतिशत, 5 अप्रैल 1975 से पहली अक्टूबर 1975 तक प्रथम खरीद पर एक प्रतिशत और 2 अक्टूबर 1975 से उपर्योक्ता को की गई विक्री पर 4 प्रतिशत थी ।

जनवरी 1981 में विक्री-कर मण्डल, आगरा की लेखापरीक्षा के दौरान यह दख़ा गया कि 5 अप्रैल 1975 से पहली अक्टूबर 1975 की अवधि हेतु एक व्यापारी के 10.64 लाख रुपयों के तिलहनों की प्रथम खरीदों के कायधन पर दिसम्बर 1979 में केवल एक प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया । चूंकि 5 अप्रैल 1975 से पहली अक्टूबर 1975 के दौरान अतिरिक्त कर सहित कर की दर 2 प्रतिशत आती थी जो उपर्युक्त 3 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत की अनुज्ञेय अधिकतम दरों से कम थी और कर-निर्धारिति का कायधन 2 लाख रुपयों से अधिक था, उस पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर भी लगना था, किन्तु यह प्रभारित नहीं किया गया । इसके फलस्वरूप 10,636 रुपयों का कर कम लगा ।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय था, वह इस कर का भुगतान न करने के कारण व्याज का भी देनेदार हो गया जो नवम्बर 1975 से जनवरी 1981 (लेखापरीक्षा का मास) की अवधि के लिए 13,401 रुपये हुआ ।

इस प्रकार कर तथा व्याज के कारण कुल कम प्रभार 24,037 रुपए हुआ ।

सरकार को मामले की सूचना मार्च 1981 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

2.11. माल का गलत वर्गीकरण

- (1) पाँलिथीन/हैंसियन लैमिनेटेड बोरों को जूट के माल के रूप में मानना

उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, किसी अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट पदार्थों को छाँड़कर अन्य पदार्थों से संबंधित विक्रयधन 30 नवम्बर 1973 तक विक्री के रभी विन्दुओं पर 3½ प्रतिशत की दर से करयोग्य था । अधिनियम में संशोधन द्वारा, अवगीकृत पदार्थ जो अलग से अधिसूचित न किए गए हैं, पहली दिसम्बर 1973 से निर्माता या आयातकर्ता द्वारा विक्री के विन्दु पर 7 प्रतिशत की दर से करयोग्य कर दिए गए ।

अप्रैल और अक्टूबर 1980 में गोरखपुर तथा हाथरस स्थित दो विक्री-कर गण्डलों की लेखारीका के दौरान यह देखा गया कि (क) 1976-77 हत्ते, गोरखपुर के एक व्यापारी के 3.70 लाख रुपये मूल्य के स्वनिर्मित जूट लैमिनेटेड पाँलिथीन बोरों के घोषित विक्रय-धन पर तथा (ख) 1975-76 तथा 1976-77 के लिए हाथरस के एक व्यापारी के 7.54 लाख रुपए मूल्य के स्वनिर्मित लैमिनेटेड हैंसियन बोरों के घोषित विक्रय-धन पर, माल को "जूट एण्ड हेम गुड्स" प्रविष्ट के अन्तर्गत मानकर, पहली अक्टूबर 1975 तक 3 प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद 4 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया । लैमिनेटेड बोरे एक अलग ही व्यापारिक पदार्थ हैं और किसी अधिसूचना में इन पदार्थों के लिए किसी विशिष्ट विवरण के अभाव में ये अवगीकृत गदों की श्रेणी में आयेंगे । इस प्रकार, उपर्युक्त पदार्थ पर 7 प्रतिशत की दर से कर लगना था । गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 34,260 रुपयों के कर का अव-निधारण हुआ ।

लेखारीका में इसके बताये जाने पर (अक्टूबर 1980), विभाग ने बताया (दिसम्बर 1981) कि हाथरस तथा गोरखपुर के व्यापारियों के विरुद्ध क्रमशः 23,155 रुपए तथा 11,105 रुपए की अतिरिक्त मांगें निकालते हुए कर-निधारण आदेशों को फरवरी/जुलाई 1981 में पुनर्दिक्षित कर दिया गया है । वसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार ने, जिसे मागले की सूचना मई तथा दिसम्बर 1980 में दी गयी थी, विभाग के उत्तर का समर्थन कर दिया है (जनवरी 1982) ।

(2) पौलिथीन के बोरों (आधानों) को अवगोकृत माल के रूप में मानना

उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, प्लास्टिक के बने हुए पात्र तथा आधान (कन्टेनर्स) 15 नवम्बर 1971 से निर्माता या आयातकर्ता द्वारा विक्री के बिन्दु पर 7 प्रतिशत की दर से करयोग्य कर दिए गए ।

एक उच्च न्यायालय ने 1976 में यह न्यायिक निर्णय दिया कि

पौलिथीन सामग्री प्लास्टिक के सामान्य शीर्ष के अन्तर्गत आती है । जनवरी 1977 में एक अन्य उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पौलिथीन के बोरे आधान (कन्टेनर्स) थे ।

विक्री-कर मण्डल, वाराणसी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1979) कि 15 नवम्बर 1971 से 31 मार्च 1973 की अवधि हेतु एक व्यापारी के 8.00 लाख रुपयों के स्वनिर्मित पौलिथीन बोरों की विक्रियाओं के कर-निधारणों को, जिन पर अवगोकृत मदों में लागू 3½ प्रतिशत की दर से कर लगाया गया, अक्टूबर 1978 में अंतिम रूप दिया गया । माल के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 28,000 रुपयों के विक्री-कर का कम प्रभार हुआ ।

इसके अतिरिक्त, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत परिलेखों के अनुसार विक्रय-धन 1.73 लाख रुपये था और वह जून 1975 से सितम्बर 1979 (लेखापरीक्षा का मास) की अवधि के लिये उपर्युक्त विक्रयधन पर देय कर के रूप में 6,053 रुपयों पर अर्जित व्याज के 6,295 रुपए अदा करने के लिये जिम्मेदार था ।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (अक्टूबर 1979), विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 1980 तथा जुलाई 1981)-कि 34,295 रुपयों की कर तथा व्याज की अतिरिक्त मांग निकालते हुए करनिधारण आदेशों को पुनरीक्षित कर दिया गया है जिसके लिये संबंधित कलेक्टर को वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं ।

राजकार ने, जिसे मामले की सूचना अक्टूबर 1979 में दी गयी थी, तथाओं की पुष्टि कर दी है और कहा है कि कर तथा व्याज की वसूली देख ली जायेगी ।

(3) लोहे के पदार्थों पर “लोहा तथा इस्पात” के रूप में कर लगाना

जैसा कि केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में उल्लिखित है, ‘लोहा तथा इस्पात’ के विभिन्न रूप एक धौषित वस्तु है जिसके आधार पर उस पर लगने वाली कर की राज्य दर 30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत की अधिकतम सीमा

तक लगनी थी। 2 अक्टूबर 1975 से कर की राज्य दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गयी। इसके अतिरिक्त पहली दिसम्बर 1973 से लोहा अथवा इस्पात के पदार्थों को जो किसी अन्य अधिसूचना में सम्मिलित नहीं किये गये थे, 'मिल स्टोर्स एण्ड हार्डवेयर्स' के वर्ग में सम्मिलित कर तिया गया जो पहली दिसम्बर 1973 से निर्गता या आयातकर्ता द्वारा विक्री के विन्दु पर 7 प्रतिशत की दर से करयोग्य हो गये।

विक्री-कर गण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1980) कि एक व्यापारी के मामले में वर्ष 1975-76 के लिए टिप बूट फूल हील, टिप बूट टो, टिप नेल्स स्पून्स इत्यादि लोहे के सामानों की विक्रियाँ के 10.30 लाख रुपयों के विक्रय-धन पर, इन सामानों को 'लोहा तथा इस्पात' की श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए, मई 1978 में पहली अक्टूबर 1975 तक 3 प्रतिशत की दर से और उसके बाद 4 प्रतिशत से कर निर्धारित किया गया।

उपर्युक्त सामान केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत 'लोहा तथा इस्पात' में समाविष्ट गदों की सूची में रामिलित नहीं किये गये थे और चूंकि ये किसी अन्य अधिसूचना में भी नहीं आते थे, ये 'मिल स्टोर्स एण्ड हार्डवेयर' में लागू 7 प्रतिशत की दर से करयोग्य थे। सामानों के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 33,394 रुपयों का कग प्रभार हुआ।

अप्रैल 1980 में लेखापरीक्षा में इसके वताये जाने पर, विभाग ने अप्रैल 1981 में बताया कि 33,394 रुपयों की अतिरिक्त मांग निकालते हुए करगिर्धारण आदेश फरवरी 1981 में पुनरीक्षित कर दिया गया है। वसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

सरकार को मामले की सूचना अप्रैल 1980 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

(4) 'मिल बोर्ड' का 'कागज' के रूप में वर्गीकरण करना

1976-77 तथा 1977-78 वर्षों के लिये कर-निर्धारण के प्रयोग न होते, 'सभी फ्रांकर के कागज' के लिए कर की दर निर्गता या आयातकर्ता द्वारा विक्री के विन्दु पर 5 प्रतिशत थी जब कि अवर्गीकृत मद वें लिए कर की दर 7 प्रतिशत थी।

विक्री-कर मण्डल, मुजफ्फरनगर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1980) कि एक व्यापारी ने मिल बोर्ड की अपनी

विकियां 1976-77 वर्ष के लिये 4.67 लाख रुपये तथा 1977-78 वर्ष के लिए 4.91 लाख रुपये घोषित कीं। इन पर, मिल बोर्ड को 'सभी प्रकार के कागज' के रूप में मानते हुए, क्रमशः सितम्बर 1978 तथा अप्रैल 1979 में 5 प्रतिशत की दर से कर निधारित किया गया।

वाणिज्यिक वस्तु की हैसियत से मिल बोर्ड का वर्गीकरण कागज के रूप में गहरी किया जा सकता था और चूंकि यह किसी अन्य निर्दिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता था, इस पर एक 'अवगार्कृत मद' की भाँति 7 प्रतिशत की दर से कर प्रभारित किया जाना था। वस्तु के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 19,157 रुपयों के कर का कम प्रभार हुआ।

चूंकि उपर्युक्त कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय था, वह इस कर का भुगतान न करने के कारण व्याज का भी देनेदार हो गया और मई 1977 से नवम्बर 1980 (लेखापरीक्षा का मास) की अवधि हते हुए ऐसे व्याज की धनराशि 14,119 रुपये हुयी।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर (जनवरी 1981), विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 1981) कि उपर्युक्त कर के लिए अतिरिक्त मांग सूजित करते हुए करनिधारण आदशों को पुनरीक्षित कर दिया गया है। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

सरकार को मामले की सूचना जनवरी 1981 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

(5) 'सेलोफेन' को 'कागज' के रूप में मानना

विकी-कर मण्डल, वाराणसी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1980) कि करनिधारण वर्ष 1975-76 के लिए एक व्यापारी की 6,03,610 रुपयों की सेलोफेन (पारदर्शक पदार्थ) की विकियां पर 'सभी प्रकार के कागज' में लागू 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया (अगस्त 1979)।

चूंकि सेलोफेन न तो कागज था और न किन्हीं अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के ही अन्तर्गत आता था, इस पर एक अवगार्कृत मद की भाँति 7 प्रतिशत की दर से कर लगना था। वस्तु के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 12,072 रुपयों का कर कम लगा।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (जुलाई 1980), विभाग ने 12,072 रुपयों की अतिरिक्त मांग सूजित करते हुए करनिधारण

आदेश को अगस्त 1980 में पुनरीक्षित कर दिया । वसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना जूलाइ 1980 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

2.12. अर्थदण्ड आरोपित न करना

उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, 2 लाख रुपयों से अधिक विक्रय-धन वाले प्रत्येक व्यापारी से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक मास के लिये अनुबंधी मास की समाप्ति के पूर्व अपने विक्रय-धन के परिलेख प्रस्तुत करें । उससे यह भी अपेक्षित है कि वह परिलेख प्रस्तुत करने से पूर्व या परिलेख के साथ देय कर को जमा करे । किन्तु करनिधारण प्राधिकारी अपने विवेक के अनुसार कारणों का उल्लेख करते हुए परिलेख प्रस्तुत करने की तिथि आगे बढ़ा सकता है । यदि करनिधारण प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि कोई व्यापारी उचित कारण के बिना अपने विक्रय-धन का परिलेख प्रस्तुत करने या इसे स्वीकृत समय के अन्दर प्रस्तुत करने में असफल रहा है तो वह, ऐसी जांच के बाद, जैसी कि वह आवश्यक समझे, निदेश दें सकता है कि ऐसी व्यापारी देय कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो, यदि देय कर 10,000 रुपये तक है, तो देय कर के 10 प्रतिशत से कम और 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और यदि देय कर 10,000 रुपये से अधिक है तो देय कर का 50 प्रतिशत होगी ।

विक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1980) कि एक व्यापारी ने 1976-77 वर्ष के दौरान सात महीने अपने विक्रय-धन के परिलेख निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किये /देय कर जमा नहीं किया । परिलेखों का प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ाने के लिए न तो व्यापारी ने आवेदन-पत्र दिया और न ही करनिधारण प्राधिकारी ने स्वीकृति दी । अतः व्यापारी उपर्युक्त निर्धारित दरों पर अर्थदण्ड का भुगतान करने का भागी था किन्तु इसे आरोपित करने के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर (जूलाइ 1980), विभाग ने दिर्घम्यर 1980 में 18,272 रुपयों का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया । वसूली से संबंधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना अगस्त 1981 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982) ।

2.13. कर की संगणना में गणितीय भूलें

(क) विक्री-कर मण्डल, वाराणसी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1980) कि 1975-76 वर्ष के लिए एक व्यापारी के 16.55 लाख रुपयों के स्वीकृत करयोग्य विक्रयधन पर, विक्रयधन में समाविष्ट विभिन्न वस्तुओं पर लागू विभिन्न दरों से कर निर्धारित किया गया और विक्रय-धन पर 13,838 रुपयों का अतिरिक्त कर भी लगाया गया। यद्यपि लगने वाले कर के सभी मदों का योग 60,495 रुपये होता था, किन्तु सम्पूर्ण योग से 13,838 रुपयों के अतिरिक्त कर का अंक छोड़ देने से वह 46,657 रुपये निकला। इसके फलस्वरूप 13,838 रुपयों का कर कम लगा।

चूंकि अतिरिक्त कर की उपर्युक्त धनराशि व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय थी, वह कर न अदा करने के कारण ब्याज का भी देनदार हो गया। लेखापरीक्षा के माह (अप्रैल 1980) तक ब्याज के कारण लगने वाली धनराशि 13,284 रुपये आयी।

सरकार को मामले की सूचना जून 1980 में दी गयी; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

(ब) विक्री-कर मण्डल, आगरा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1980) कि 1974-75 करनिर्धारण वर्ष के लिए जूतों के एक व्यापारी के 2.35 लाख रुपयों की निश्चित अन्तर्राजीय विक्रियों की धनराशि पर, वाद में लागू 10 प्रतिशत की दर लागू करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, कर निर्धारित किया गया (क्योंकि विक्रियां निर्धारित धोषणा-पत्रों से समर्थित नहीं थीं)। किन्तु, गणना में भूल के कारण कर 23,536 रुपयों के बजाय 2,354 रुपये निकाला गया। इसके फलस्वरूप 21,182 रुपयों के कर का कम निर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 1981) कि 21,182 रुपयों की अतिरिक्त मांग निकालते हुए करनिर्धारण अक्तूबर 1980 में पुनरीक्षित कर दिया गया है। वसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

गरकार ने, जिसे मामले की सूचना नवम्बर 1980 में दी गयी थी, तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

2.14. रिफण्ड स्वीकृत करने से पूर्व बकाया प्राप्तों का समाधोजन न करना

उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, किसी व्यापारी को बापर किये जाने वाले कर या अन्य प्राप्तों की धनराशि,

इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा केंद्रीय विक्री-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत व्यापारी के विरुद्ध बकाया कर या अन्य धनराशि के प्रति पहले समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी ।

विक्री-कर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1980) कि वर्ष 1973-74 हेतु सिलाइ मशीनों, पंखों इत्यादि के एक व्यापारी का करनिर्धारण 42.59 लाख रुपयों के घोषित विकल्पन के स्थान पर 50 लाख रुपयों का विकल्पन निश्चित करते हुए सर्वोत्तम न्याय के आधार पर नवम्बर 1977 में किया गया। व्यापारी ने 3,20,712 रुपये जमा कर दिये और इस कर-निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर दी । किन्तु अपील में व्यापारी का घोषित विकल्पन 3,13,456 रुपयों के कर-दायित्व के साथ स्वीकृत कर लिया गया ।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि वस्तुतः उपर्युक्त स्वीकृत कर 31 अगस्त 1975 तक पूर्ण रूप से जमा कर दिया जाना था, जिसके स्थान पर व्यापारी ने निर्धारित रामब के अन्दर केवल 2,76,968 रुपये जमा किये थे । 21,000 रुपयों तथा 15,488 रुपयों की शेष धनराशियां क्रमशः जनवरी तथा मार्च 1978 में जमा की गयी थीं । इस प्रकार, व्यापारी प्राप्त कर के शेष का विलम्ब से भुगतान करने के कारण जून 1975 से मार्च 1978 की अवधि के लिए 23,972 रुपयों के व्याज के भुगतान का भी दायी हो गया । किन्तु रिफण्ड स्वीकृत करते रामब व्याज की वसूली पर, जो पहले ही प्राप्त हो गया था, विचार नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (मार्च 1981), विभाग ने 23,972 रुपयों की वसूली कर ली (मई 1981) ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना मार्च 1981 में दी गयी थी, तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981) ।

मोटर स्पिरिट तथा लुब्रीकेंट को विक्री पर कर

2.15. राज्य में अल्कोहल की प्रथम खरोद के बिन्दु पर कर का न लगाना

उत्तर प्रदेश मोटर सिरिट तथा डीजल तेल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत, जैसा वह 1974 तथा 1975 में संशोधित किया गया है, राज्य में अल्कोहल की प्रथम विक्री पर 2

मई 1974 से 40 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 1975 में यह निर्णय लिया कि अधिनियम में किए गए उपर्युक्त संशोधन असंवैधानिक थे और संवैधित पार्टियों से वसूल की गयी धनराशियां वापस कर दी जानी चाहिए। तदुपरान्त, पूर्वगामी प्रभाव देकर 2 मई 1974 से राज्य में अल्कोहल की प्रथम खरीद के बिन्दु पर प्रथम दस लाख लीटरों हते 40 पैसे प्रति लीटर की दर से और शेष मात्रा के लिये 20 पैसे प्रति लीटर की दर से खरीदार दबय कर आरोपित करने के लिए प्राविधिक करते हुए 1976 में अधिनियम संशोधित किया गया और उसकी वसूली तथा राज्य सरकार को भुगतान निर्धारित ढंग से किया जाना था।

मोदीनगर (जिला गाजियाबाद) स्थित एक आसवनी की लेखापरिक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसंबर 1976) कि विभिन्न व्यापारियों ने आसवनी से मई 1974 और मार्च 1976 के बीच 4.61 लाख बल्क लीटर परिशोधित स्पिरिट और अगस्त 1975 तथा मार्च 1976 के बीच 1.90 लाख बल्क लीटर साधारण विकृत (डिगेंचड़) स्पिरिट खरीदी। आसवनी ने मई 1974 तथा जुलाई/अगस्त 1975 के बीच परिशोधित स्पिरिट तथा साधारण विकृत स्पिरिट की विक्रियां पर खरीदारों से 2.48 लाख रुपयों के कर की वसूली की थी और उसे कोषागार में जमा कर दिया था; किन्तु अगस्त 1975 से 18 अप्रैल 1976 की अवधि हते विभिन्न पार्टियों से विक्री-कर के रूप में वसूल की गयी 1.27 लाख रुपयों की धनराशि आसवनी ने बाने पास रोक ली और इसने उच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, एहते जमा की गयी 2.48 लाख रुपयों की धनराशि को वापस करने के लिये भी कहा (अगस्त 1975)।

किन्तु विभाग ने 1976 में संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत 1.27 लाख रुपयों के क्रम-कर की गांग सूचित नहीं की (मई 1978 तक)।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना जनवरी 1977 में दी गयी थी, वताया (जून 1981) कि आसवनी से मई 1974 तथा मार्च 1976 के बीच परिशोधित स्पिरिट, साधारण विकृत स्पिरिट तथा विशिष्ट विकृत स्पिरिट की क्रमशः 4.61, 4.12 और 1.56 लाख बल्क लीटरों की खरीदों पर प्राप्त 4.12 लाख रुपयों के सम्पूर्ण कर में से, विक्री-कर के रूप में पहले जमा की गयी 2.48 लाख रुपयों की धनराशि समार्पित कर दी जायेगी और यह कि 1.64 लाख रुपयों की वसूली हते आदेश जारी कर दिए गये हैं।

अध्याय 3

आबकारी विभाग

राज्य आबकारी

3.1. टेस्ट आडिट के सामान्य परिणाम

वर्ष 1980-81 के दौरान, राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा अभिलेखों के टेस्ट आडिट से शुल्क और फीस के न लगाने/कम लगाने के 23.58 लाख रुपयों के मामलों का पता चला, जिनका मुख्य रूप से वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

	मदों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. लाइसेंस फीस का संग्रह न करना/ कम संग्रह करना	60	12.56
2. स्पिरिट की छीजें पर शुल्क का न लगाना/कम लगाना	32	6.64
3. देशी स्पिरिट की दुकानों के सम्बन्ध में नीलाम की धनराशि का संग्रह न करना	1	2.36
4. विविध	105	2.02
योग ..	198	23.58

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तरों में किया गया है ।

3.2. लाइसेंस फीस को बसूली न होना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बनी नियमावली के अंतर्गत, नीलाम प्रणाली में देशी स्पिरिट की फूटकर विक्री के लिये लाइसेंस फीस सार्वजनिक नीलाम द्वारा नियत की जाती है । नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रविधान है कि

(क) किसी जिले की नीलामी विक्री में कोई व्यक्ति, जो उस जिले में स्थायी रूप से नहीं रहता हो, तब तक बोली नहीं लगा सकता

है, जब तक वह अपने रहने वाली तहसील के तहसीलदार से दिया हुआ सम्पन्नता प्रमाण-पत्र (सालवेसी सर्टिफिकेट) प्रस्तुत नहीं करता है। जब दूसरे जिले के किसी व्यक्ति की बोली एसे प्रमाण-पत्र के बिना स्वीकृत की जाती है, तो नीलाम करने वाले अधिकारी को इस विधि को अपनाने के कारणों को लिपिबद्ध करना होता है, (ख) जहां दुकानों की नीलामी व्यक्तियों के किसी गृट के पक्ष में हाँती है उनका आवंटन सफल बोली से सम्बद्ध गृट के सभी सदस्यों में कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे ठेके की पूर्ति के लिये संयुक्त एवं अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होते हैं, और (ग) सफल बोली लगाने वाले को वार्षिक लाइसेंस फीस के छठे भाग के बराबर धनराशि का भुगतान नीलाम की समाप्ति पर करना होता है तथा शेष का दस मासिक किस्तों में। यदि लाइसेंस फीस के, अग्रिम जमा धनराशि के बराबर अथवा उससे अधिक धनराशि के, भुगतान की चक की आशंका हो तो लाइसेंस को निरस्त कर देना चाहिए और ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर (एटे दी रिस्क एन्ड कौस्ट आफ दी कान्ट्रीक्टर) दुकानों का पुनः नीलाम कर देना चाहिए और यदि कोई हानि हो तो हानि की राशि को चूक करने वाले से दीवानी बाद (सिविल सूट) के द्वारा वसूल करना चाहिए।

(1) जिला आबकारी कार्यालय, वाराणसी के कार्यालय को लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1980) कि वर्ष 1978-79 हत्ते दशी स्पिरिट की 22 दुकानों के लाइसेंस दो समूहों में दिये गये थे—दस दुकानों का मिसिर पोखरा समूह (मिसिर पोखरा, कामाच्छा, गोलगढ़इडा, लाहटिया, चेतईपुर, सराय नाका, रामनगर, शिवदासपुर, तारापुर और बचाह) एवं बारह दुकानों का नखास समूह (कुडीगढ़ टोला, नखास, सराय गोबद्धन, दिथोड़ी मोहाल, शिवपुर, हरहना, दामोदरपुर, कुराओता, हुकुलगंज, आशापुर, पड़ाव और राजा बाजार)। प्रथम दुकान-समूह 39.15 लाख रुपये की अधिकतम बोली पर तय किया गया था जिसकी बोली छ: व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से लगाई थी, जिनमें से तीन आगरा के, एक बस्ती का और दो लखनऊ के निवासी थे। दूसरा दुकान-समूह 49.20 लाख रुपये की, छ: व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लगाई गई, अधिकतम बोली पर तय किया गया था जिनमें से एक बस्ती का, एक आगरे का और चार लखनऊ के निवासी थे।

दोनों दुकान-समूहों के सभी बोली लगाने वाले जिला वाराणसी के बाहर के थे। परन्तु मिसिर पोखरा दुकान-समूह के बोली लगाने वालों से सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। अपेक्षित प्रलेखों को उनके द्वारा प्रस्तुत किए बिना ही उन्हें नीलामी में बोली लगाने हत्ते अनुमति प्रदान किये जाने के लिये कोई कारण भी लिपिबद्ध नहीं किये गये थे।

नखास समूह से संबंधित बोली लगाने वालों में से जिला वस्ती के एक व्यक्ति ने 11.70 लाख रुपये का सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था, लखनऊ के दो व्यक्तियों में से प्रत्येक ने 5 लाख रुपये के सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये थे, आगरा के एक व्यक्ति ने 0.50 लाख रुपये का सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था और शेष दो व्यक्तियों ने ऐसा कोई भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उनसे प्राप्त उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारीकर्त्ता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आवकारी आयुक्त के निदेशानुसार स्वीकृत बोली की धनराशि के आधे की धनराशि के सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिए थे।

दुकानों के तथा हो जाने के बाद मिसिर पोखरा समूह के सम्बन्ध में अनियम लाइसेंस फीस, जो बोली की धनराशि का छठा भाग है और तथा होने की तिथि को एकमुद्दत देय है, का भुगतान 55 दिनों में और तरह किस्तों में हुआ था और नखास समूह के सम्बन्ध में 54 दिनों में और चौदह किस्तों में।

अप्रैल से प्रारम्भ प्रत्येक अनुवर्ती माह की पहली तारीख को बोली की धनराशि का पांच बटा छः भाग 10 मासिक किस्तों में पूर्ण रूप से देय था। किन्तु मिसिर पोखरा समूह के सम्बन्ध में 7 से 19 अवसरों पर और नखास समूह के सम्बन्ध में 6 से 19 अवसरों पर प्रत्येक माह में मासिक किस्तों का भुगतान खण्डशः किया गया था।

दोनों दुकान समूहों के मामले में मासिक लाइसेंस फीस के भुगतान में दरों से देय फीस अगस्त 1978 में जमा जारीकर्त्ता धनराशि से वढ़ गई। किन्तु विभाग ने लाइसेंसों को निरस्त करके नियमावली के अन्तर्गत दुकानों की पुनः नीलामी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। लाइसेंसधारियों के द्वारा यह दुकानों वर्ष के अन्त तक चलाई गई किन्तु उक्त दुकान समूहों के सम्बन्ध में 4,99,280 रुपये की लाइसेंस फीस लम्बित (पैन्डंग) रही (अप्रैल 1980)।

विभाग ने अप्रैल 1979 में कलेक्टर, आगरा, वस्ती और लखनऊ को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये। मिसिर पोखरा दुकान समूहों के सम्बन्ध में जिला आगरा के लाइसेंसधारियों और नखास दुकान समूहों के सम्बन्ध में जिला वस्ती के लाइसेंसधारियों, जिन्होंने 11.70 लाख रुपये का सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था, के विरुद्ध जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र कलेक्टर, आगरा और वस्ती ने क्रमशः जून और जुलाई 1979 में यह कहते हुए लौटा दिए कि दिए हुए पत्तों पर न तो चूकर्ता रहते थे और न ही उनके नामों में उनके द्वारा अधिकृत कोई

चल अथवा अचल सम्पत्ति थी । कलेक्टर, लखनऊ से उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

वर्ष 1978-79 के लिये, दिना सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये और सम्बन्धित पक्षों की आर्थिक स्थिति का सत्यापन किये एवं लाइसेंस-धारियों द्वारा लाइसेंस फीस की किस्तों के भुगतान में चौक करने पर नियमों को लागू किये गये, 22 देशी शाराब की दुकानों के लाइसेंसों के विक्रय का परिणाम यह हुआ कि मिसिर पोखरा दुकान समूह के सम्बन्ध में 2,14,630 रुपये और नखास दुकान समूह के सम्बन्ध में 2,84,650 रुपये अर्थात् कुल 4,99,280 रुपये की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई ।

सरकार को मामले की सूचना नवम्बर 1980 में दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

(2) मार्च 1981 में जिला आबकारी कार्यालय, फैजाबाद की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि चौक, रकाबगंज, भूपतपुर, जलालाबाद, दर्शनगर, रानीबाजार, बाल्दा, बोगमगंज, देवकली, फतेहगंज, नाका, रायगंज, सादतगंज, साहवगंज और मौदहा की 15 देशी स्पिरिट की दुकानों का वर्ष 1976-77 के लिए नीलाम 25 मार्च 1976 को एक समूह में हुआ था और जो 8 व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा संयुक्त रूप से लगाई गई 16.71 लाख रुपए की अधिकतम बोली पर तय हुई थीं । इस सफल बोली से सम्बन्धित व्यक्तियों में से छः बलिया के, एक जैनपुर के और एक आजमगढ़ के निवासी थे । बोली लगाने वाले व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति (बलिया निवासी) से सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था जबकि आठों व्यक्तियों को बोली लगाने दी गई थी । ऐसे कोई कारण दर्ज नहीं थे जिनसे इन लोगों को नीलाम में बोली लगाने की अनुमति आवश्यक प्रलेखों को प्रस्तुत किये बिना दी गयी थी । बोली लगाने वाले उक्त व्यक्ति द्वारा प्रेषित केवल 7.50 लाख रुपये का सम्पन्नता प्रमाण-पत्र जोखिम को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं था । ऐसे सम्पन्नता प्रमाण-पत्र को, जो पर्याप्त धनराशि का नहीं था, स्वीकृति प्रदान करने का कारण भी दर्ज नहीं था ।

सफल बोली से सम्बन्धित सभी संयुक्त बोली लगाने वाले संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग रूप से ठेके की पूर्ति के लिए उत्तरदायी थे । किन्तु विभाग द्वारा रखे गए लाइसेंस रीजिस्टर में आठ संयुक्त बोली लगाने वालों में से केवल उस एक का नाम दर्ज था जो बलिया का निवासी था और जिसने 7.50 लाख रुपये की अपर्याप्त धनराशि का सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था ।

नीलामी के बाद, जिला आवकारी अधिकारी द्वारा समूह की कुल लाइसेंस फीस का प्रभाजन, उसमें संघटक दुकानों के बीच कर दिया गया था। अग्रिम लाइसेंस फीस, जो नीलाम की धनराशि का छठा भाग होता है और जो तय होने की तिथि को ही देय है, का भुगतान 30 मार्च 1976 से 28 अप्रैल 1976 की अवधि के दौरान किया गया था। अप्रैल से प्रारम्भ प्रत्येक माह की पहली तारीख को देय लाइसेंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान भी विलम्ब से किया गया था। समूह की पन्द्रह दुकानों में से रकाबगंज, जलालाबाद, भूपतपुर, दर्शननगर, चौक और रानीबाजार स्थित छः दुकानों के सम्बन्ध में मासिक लाइसेंस फीस के भुगतान में चूक अप्रैल 1976 से प्रारम्भ हो गई थी और पहली जून 1976 के उसकी धनराशि अग्रिम लाइसेंस फीस की धनराशि से अधिक हो गई थी। नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षित, विभाग ने लाइसेंस को निरस्त करके दुकानों की पुनः नीलामी करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की। लाइसेंसधारियों द्वारा दुकानों सम्पूर्ण वर्ष, अर्थात् मार्च 1977 तक चलाई गई। फिर भी रकाबगंज, जलालाबाद, भूपतपुर, दर्शननगर, चौक और रानीबाजार स्थित छः दुकानों के सम्बन्ध में वर्ष के अन्त में 1,59,707 रुपये की लाइसेंस फीस बसूल होने से रह गई।

विभाग ने 30.8.1977 को कलेक्टर, बलिया के पास उपर्युक्त केवल एक लाइसेंसधारी के विस्तृदध्य ही बसूली प्रमाण-पत्र भेजा। लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 1981)। अक्तूबर 1981 में विभाग ने सूचित किया कि शेष सात दोली लगाने वालों के विरुद्ध भी बसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं और उनसे बकाया की बसूली के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 1976-77 के लिए 15 देशी स्पिरिट की दुकानों के लाइसेंसों के, पक्षों (पार्टीज) की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें बिना, विक्रय और लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस फीस के भुगतान में चूक करने पर नियमों को लागू न करने के फलस्वरूप 1,59,707 रुपये की लाइसेंस फीस बसूल होने से रह गयी।

सरकार को मामले की सूचना मई 1981 में दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

(3) जिला आवकारी कार्यालय, राहारनपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1981) कि वर्ष 1978-79 के लिए छठुमलपुर, बीहट और धनपुरा की तीन देशी स्पिरिट की दुकानों का अलग-अलग नीलाम हुआ था और क्रमशः 5.10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और

2.75 लाख रुपए की अधिकतम बोंलियों पर तय की गयीं थीं । प्रथम दो दुकानों के सम्बन्ध में उच्चतम बोली लगाने वाला व्यक्ति आगरा जिले का था जिसने कलेक्टर आगरा से प्राप्त रांपन्ता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था। तीसरी दुकान के मामले में, एक अन्य व्यक्ति के साथ मिल कर जिसका पता दर्ज नहीं था, आगरे के उसी व्यक्ति द्वारा उच्चतम बोली लगाई गई थी । लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों ने दुकानों चलाना प्रारम्भ कर दिया परन्तु प्रत्येक माह में मासिक लाइसेंस फीस के समय से भुगतान में चूक को गयी । जून 1978 तक चूक की धनराशि तीनों दुकानों के सम्बन्ध में दो महीनों की अग्रिम जमा की धनराशि रो अधिक हो गयी । जैसा कि नियमावली में प्रविधान है, विभाग ने, फिर भी न तो देय मासिक लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए और न ही लाइसेंसों को निरस्त करके दुकानों की पुनः नीलामी के लिए कोई नोटिस जारी की । वर्ष की समाप्ति पर प्रथम दो दुकानों में से प्रत्येक के मामले में क्रमशः 42,500 रुपए और 41,600 रुपये की एक महीने की (जनवरी 1979) लाइसेंस फीस और तीसरी दुकान के मामले में 35,800 रुपये (डोँड महीने से ऊपर की फीस) का भुगतान नहीं हुआ ।

कलेक्टर आगरा को अगस्त 1979 में वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गये थे जिसने जून 1980 में सूचित किया कि चूक करने वाले ने अपनी समस्त चल और अचल समाप्ति नवम्बर और दिसम्बर 1979 में देच दी है और आगरे से बाहर खिसक गया है । अतः कोई वसूली नहीं की जा सकी । विभाग ने तीसरी दुकान के सह-लाइसेंसी के खिलाफ, उसका पता उपलब्ध न होने के कारण, वसूली प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया था । इस प्रकार ये विभाग के द्वारा कार्यवाही करने में विलम्ब के परिणाम-स्वरूप 1,19,900 रुपयों की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हो सकी ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना जुलाई 1981 में दी गयी थी, उपर्युक्त तथ्यों की अक्तूबर 1981 में पुष्टि कर दी है ।

3.3. मसालेदार स्पिरिट को भण्डारण छीजन पर शुल्क का न लगाना

उत्तर प्रदेश आवकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन वनी नियमावली के अन्तर्गत किसी आसवनी में एक कलेण्डर माह के दौरान भण्डारित सादी और मसालेदार स्पिरिट की (बांतलों में भरी गई स्पिरिट को छोड़कर) वास्तविक क्षमित के लिये निःशुल्क छूट अधिकतम 0.7 प्रतिशत तक मिलती है । यदि किसी भी प्रकार की स्पिरिट की कुल छीजन 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती तो निःशुल्क छूट की सीमा से बढ़ी हुई शुद्ध छीजन पर ही शुल्क प्रभारित होता है । किन्तु यदि कुल छीजन 1.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो बिना निःशुल्क छूट का लाभ

दिए सम्पूर्ण छीजन पर (1) सादी स्पिरिट है तो देशी स्पिरिट पर लगने वाले शुल्क की उच्चतम दर पर, और (2) मसालेदार स्पिरिट है तो ऐसी स्पिरिट पर लगने वाले शुल्क की दर पर, शुल्क प्रभारित होता है ।

सादी स्पिरिट उच्च सांद्रता (स्ट्रॉक्यू) वाली स्पिरिट है और मानवीय उपभोग के अधिक है जब कि मसालेदार स्पिरिट पेय है और इसकी सांद्रता 1978-79 में परिमाणतः 25 प्रतिशत और अप्रैल 1979 से परिमाणतः 36 प्रतिशत सरकार द्वारा निर्धारित है ।

नवाबपंज (जिला गोण्डा) स्थित एक आसदी के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1980) कि मसालेदार स्पिरिट की मासिक भण्डारण छीजन, सितम्बर से नवम्बर 1978, फरवरी और मई 1979 एवं जनवरी, फरवरी, जून और जुलाई 1980 की अवधि के दौरान भण्डारित मसालेदार स्पिरिट की कुल मात्रा के 2.2 से 7.3 प्रतिशत के बीच रही । क्योंकि छीजन 1.5 प्रतिशत की सीमा से अधिक बढ़ गई थी, कोई निःशुल्क छूट प्राप्त नहीं थी और मसालेदार स्पिरिट पर शुल्क ऐसी स्पिरिट पर लगने वाले शुल्क की दर से प्रभार्य था । किन्तु, यद्यपि विभाग ने सादी और मसालेदार स्पिरिट के स्टाक की स्थिति अलग-अलग निकाली हुई थी, उसने स्वीकार्य भण्डारण छीजन की प्रतिशतता आगणित करने हेतु दोनों प्रकार की स्पिरिट मिला दी जो (ऐसा करने से) 0.7 प्रतिशत की अनुज्ञय सीमा के अन्दर हो गयी । दोनों प्रकार की स्पिरिट पर अलग-अलग छीजन सीमाओं के न लगाने के फलस्वरूप 8,000.5 लिटर अल्कोहल पर, जो उपर्युक्त महीनों के दौरान मसालेदार स्पिरिट की छीजन ही थी, शुल्क लगने से रह गया । लगने योग्य आवकारी शुल्क 1.96 लाख रुपये बनता था (1,821.1 लीटर अल्कोहल की छीजन पर 32 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से और 6,179.4 लीटर अल्कोहल की छीजन पर 22.22 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से) ।

विभाग/सरकार को भासले की सूचना नवम्बर 1980 में दी गयी । इस सम्बन्ध में विभाग ने सरकार को सूचित किया है कि स्पष्ट आदेशों के अभाव में दोनों प्रकार की स्पिरिट के स्टाक को इकट्ठा लेते हुए छीजन की छूट आगणित की जा रही है और लेहापरीक्षा में बताई गयी वसूली उसी स्थिति में सम्बद्ध हो गयी जबकि नियमों में इस दात का विशेष रूप से प्रविधान किया जाये कि प्रत्येक प्रकार की स्पिरिट के लिए छीजन छूट अलग-अलग संगणित की जाय । विभाग का मन्तव्य स्वीकार्य नहीं है । दोनों प्रकार की स्पिरिटों की प्रकृति विभिन्न है और जैसा कि उपप्रस्तर 1 में उल्लेख है नियमों के अन्तर्गत शुल्क की अलग-अलग दरें निर्धारित हैं ।

सरकार के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

3.4. मसालेदार स्पिरिट एवं डिफेन्स रम को बांड के अधीन की गई छुलाई में हुई हानि पर शुल्क का न लगाना

उत्तर प्रदेश आवकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत, बांड के अधीन लकड़ी के पीपों या धातु के पात्रों में ले जाई गई या निर्यातित स्पिरिट के रिसन, वाष्पीकरण या अन्य अपरिहार्य कारणों से मार्ग में हुई वास्तविक क्षति के लिये, आसवनी से बाहर भेजे गये किसी कन्साइनमेन्ट में समाविष्ट प्रत्येक लकड़ी के पीपे या धातु के पात्र में रखी गयी स्पिरिट के मात्रा की 0.5 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक छूट स्वीकार्य है। यदि छोजन स्वीकार्य सीमा से अधिक हो जाये तो आसवनी के प्रभारी अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आसवक या बाण्ड निष्पादित करने वाले व्यक्ति से, जैसा कि निर्धारित है, स्पष्टीकरण प्राप्त करे और उसे परिस्थितियों की पूरी रिपोर्ट के साथ उच्चतर दिभागीय अधिकारियों वाले भेजे। बोतलों में, जिनमें उत्पादन अन्तिम रूप से बेचे जाते हैं, भेजी गई स्पिरिट की किसी हानि के लिये छूट देने संबंधी कोई प्रविधान नियमावली में नहीं है।

(1) उन्नाव स्थित एक आसवनी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1980) कि अक्तूबर 1978 में जुलाई 1980 की अवधि के दौरान (क) 393.9 अल्कोहोलिक लीटर स्पिरिट की सम्पूर्ण हानि, जो भेजी गयी कुल मात्रा की 3.29 प्रतिशत बनती थी, धातु के पीपों में भेजे गये 20 कन्साइनमेन्टों में घटित हुई। इसमें से 334.1 अल्कोहोलिक लीटर स्पिरिट स्वीकार्य प्रतिशतता से अधिक थी, और (ख) 563.6 अल्कोहोलिक लीटर स्पिरिट, जो भेजी गई कुल मात्रा का 1.49 प्रतिशत बनती थी, शीशे की बोतलों के 55 कन्साइनमेन्टों में घटित हुई जिसके लिये कोई छूट प्राप्य नहीं थी।

फिर भी आसवनी के प्रभारी अधिकारी ने उचित अधिकारी के पास स्पिरिट की छोजनों की रिपोर्ट भेजने की कोई कार्यवाही नहीं की। इसके फलस्वरूप 21,603 रुपए का शुल्क नहीं लगा (अक्तूबर 1978 से मार्च 1979 की अवधि के दौरान घटी 169.3 लीटर अल्कोहोल की छोजन पर 32 रुपए प्रति अल्कोहोलिक लीटर की दर से और अप्रैल 1979 से जुलाई 1980 की अवधि के दौरान घटी 728.4 लीटर अल्कोहोल की छोजन पर 22.22 रुपए प्रति अल्कोहोलिक लीटर की दर से)।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित करने पर (नवम्बर 1980) प्रभारी अधिकारी ने बताया कि स्पिरिट की अधिक छोजन का विवरण-पत्र सक्षम अधिकारी को भेज दिया जायेगा।

आदकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने जून 1981 में सूचित किया कि 21,603 रुपये का शुल्क आरोपित कर दिया गया है ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना जनवरी 1981 में दी गयी थी, उक्त तथ्यों की पुष्टि की (जुलाई 1981) ।

(2) उन्नाव स्थित एक अन्य आसवनी के मामले में यह देखा गया (नवम्बर 1980) कि अक्टूबर 1978 से सितम्बर 1980 की अवधि के दौरान राज्य में विभिन्न कैन्टीन स्टोर्स विभाग को शीशे की बोतलों में बांड के अधीन भेजी गयी डिफेन्स रम के 41 कन्साइनमेन्टों में 487.7 अल्कोहलिक लीटर स्पिरिट की हानि घटित हुई । आसवनी के प्रभारी अधिकारी ने उचित अधिकारियों को स्पिरिट की छीज़िनों की रिपोर्ट भेजने की कोई कार्यवाही नहीं की थी । इसके फलस्वरूप 16,335 रुपए का शुल्क आरोपित नहीं किया गया (अक्टूबर 1978 से मार्च 1979 की अवधि के दौरान की 151.5 लीटर अल्कोहल की छीज़िन पर 41.25 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से और मई 1979 से मई 1980 की अवधि के दौरान की 336.2 लीटर अल्कोहल की छीज़िन पर 30 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से) ।

जब लेखापरीक्षा में यह मामला उठाया गया (नवम्बर 1980) तो प्रभारी अधिकारी ने आसवकों द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें स्पिरिट की उक्त छीज़िनों के विषय में एक विवरण-पत्र 25 फरवरी 1981 को भेजा ।

आदकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने जून 1981 में सूचित किया कि 16,335 रुपए का शुल्क आरोपित कर दिया गया है ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना जनवरी 1981 में दी गयी थी, उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की (जुलाई 1981) ।

3.5. उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यातित देशी स्पिरिट पर शुल्क न लगाना

उत्तर प्रदेश आदकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश की किसी भी आसवनी अथवा बंधित गोदाम से उत्तर प्रदेश के बाहर भारत के किसी भी भाग क्वं निर्यातित देशी स्पिरिट पर, निर्यात के हेतु स्पिरिट के कन्साइनमेन्ट के लिये पास जारी करने के पूर्व, 1.75 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से शुल्क आरोपित होना चाहिये । नियमों में यह भी अपेक्षित है कि ऐसे उद्देश्य के लिये स्पिरिट की निकासी की अर्जी के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात शुल्क के भुगतान के प्रमाण में, कोषागार की रसीद संलग्न होनी चाहिये ।

लखनऊ स्थित एक आसवनी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर-नवम्बर 1980) कि मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को निर्यात के लिये देशी स्पिरिट की निकासी के चार मामलों में आसवनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के साथ, शुल्क के भुगतान के प्रमाण-स्वरूप क्रेषणार की रसीद संलग्न नहीं थीं किन्तु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये और जून से अक्तूबर 1980 की अवधि के दौरान 4 कन्साइनमेन्टों में 38,338 बल्क लीटर देशी स्पिरिट, जिसमें 34,100.5 लीटर अल्कोहल निहित था, के निर्यात की अनुमति, उन कन्साइनमेन्टों पर शुल्क आरोपित किये विना, प्रदान की। इसके परिणाम-स्वरूप 59,675 रुपये का शुल्क आरोपित नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर (नवम्बर 1980) विभाग ने आसवनी के विरुद्ध उक्त धनराशि की मांग सूचित की और उसी माह में उसकी वसूली कर ली।

मई 1981 में आवकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने यह और सूचित किया कि सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी दे दी गयी है।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना नवम्बर 1980 में दी गयी थी, आवकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के साथ सहमति प्रकट की (जून 1981)।

3.6. भारत में बनी विदेशी शराब पर शुल्क का कम लगाना

उत्तर प्रदेश आवकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति जिसके पास विदेशी शराब की विक्री हेतु लाइसेंस है भारत में बनी विदेशी शराब का आयात, ऐसी शराब पर उत्तर प्रदेश में प्रभावी दरों पर शुल्क का भुगतान करके, कर सकता है।

21 अगस्त 1980 को जारी की गयी एक सरकारी अधिसूचना के अन्तर्गत भारत में बनी विदेशी शराब पर उत्तर प्रदेश में शुल्क की दर बढ़ाकर 40 रुपए से 55 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर को बढ़ाई हुई दर के बजाय 40 रुपए की पूर्व-संशोधित दर से ही आवकारी शुल्क की वसूली की गई जिसके परिणाम-स्वरूप 34,091 रुपये का शुल्क कम लगा।

जिला आवकारी कार्यालय, वाराणसी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1980) कि भारत में बनी विदेशी शराब, जिसमें 2,272.7 लीटर अल्कोहल निहित था, का आयात पहली सितम्बर 1980 को किया गया था किन्तु उस पर 55 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर को बढ़ाई हुई दर के बजाय 40 रुपए की पूर्व-संशोधित दर से ही आवकारी शुल्क की वसूली की गई जिसके परिणाम-स्वरूप 34,091 रुपये का शुल्क कम लगा।

जब लेखापरीक्षा में यह बताया गया (अक्तूबर 1980) तो विभाग ने अक्तूबर 1980 में शुल्क की अतिरिक्त मांग सूचित की । वसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना नवम्बर 1980 में दी गयी, बताया (जून 1981) कि देय धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में करने के आदेश अप्रैल 1981 में दे दिए गये हैं ।

3.7. निर्धारित फीस का कम वसूल करना

उत्तर प्रदेश आवकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत वने नियमों में प्रविधान है कि किसी बोली लगाने वाले को, जिसे किसी आवकारी वर्ष (अप्रैल से मार्च) हेतु थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को विदेशी शराब की थोक विक्री के लिये लाइसेंस प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित भुगतान करने होते हैं (क) बोली की धनराशि और इसके अलावा (ख) प्रति मान्य क्वार्ट बोतल (रेप्यूटेड क्वार्ट बॉटल) हेतु निर्धारित दरों पर लाइसेंसधारी विक्रेताओं को शराब की कुल विक्रियां पर आगणित निर्धारित फीस । सफल बोली लगाने वाले को नीलाम की समाप्ति के तुरन्त बाद बोली की धनराशि का एक चौथाई भुगतान करना आवश्यक है और शेष धनराशि का भुगतान 9 समान मासिक किस्तों में किया जाता है । जहां तक निर्धारित फीस का सम्बन्ध है लाइसेंसधारी को प्रथम तिमाही के लिये, तिमाही के दौरान समाप्तिक कार्य-व्यापार के परिमाण पर लगाने वाली निर्धारित फीस को आवृत्त करने हेतु एक पर्याप्त धनराशि पेशगी देनी होती है और तिमाही के अन्त में, तिमाही की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रभारी आवकारी निरीक्षक द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र (जिसमें तिमाही के दौरान विदेशी शराब की विक्रियां और तिमाही के लिये देय निर्धारित फीस की धनराशि दर्शित रहती है) के आधार पर समायोजन किये जाते हैं । दूसरी, और उसके बाद की तिमाहियों के लिये, पूर्वती तिमाही के लिये भुगतान की गई निर्धारित फीस पेशगी दी जाती है और बाद में सम्बन्धित तिमाहियों के दौरान विदेशी शराब की की गई वास्तविक विक्रियां पर देय निर्धारित फीस के आधार पर समायोजन किये जाते हैं ।

जिला आवकारी कार्यालय, दाराणसी की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अप्रैल 1979) कि 1977-78 के लिये विदेशी शराब की थोक विक्री के लिए एक दुकान का ठेका 22,500 रुपयों की बोली-धनराशि हेतु दिया गया । यद्यपि लाइसेंसधारी ने बोली की धनराशि का भुगतान कार्यक्रम के अनुसार किया, किन्तु वर्ष के दौरान शराब की विक्रियां पर

देय 64,429 रुपयों की कुल निर्धारित फीस के समक्ष केवल 30,800 रुपये जदा किये ।

यह देखा गया कि प्रत्येक तिमाही हेतु निर्धारित फीस को लगाने तथा उसे पेशगी वसूल करने में विभाग असफल रहा और लाइसेंसधारी ने निर्धारित फीस के प्रति किस्तों का भुगतान अपनी इच्छानुसार किया— 5 मई 1977 को 10,000 रुपए; 2 जनवरी 1978 को 5,800 रुपए; 11 तथा 20 फरवरी 1978 प्रत्येक को 5,000 रुपए और 2 मार्च 1978 को 5,000 रुपए ।

लाइसेंसधारी के लंबे की एक विवरणी 15 फरवरी 1979 (वर्ष 1977-78 की समाप्ति के 10 माह बाद) को तैयार की गई और गलत गणना के कारण, ठेकेदार द्वारा देय निर्धारित फीस की कुल धनराशि 30,297 रुपये दिखाई गई । चूंकि लाइसेंसधारी 30,800 रुपयों का भुगतान पहले ही कर चुका था, उससे वसूली योग्य कोई धनराशि दिखाई नहीं गई ।

जब आडिट ने बताया (अप्रैल 1979) कि विदेशी शराब की विक्रियों पर देय निर्धारित फीस की कुल धनराशि 64,429 रुपये आती है, तो विभाग ने कहा कि सही धनराशि के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा । 33,629 रुपयों की कम वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र 16 जून 1979 को जारी किया गया किन्तु संबंधित तहसीलदार ने यह कहते हुए उसे मार्च 1980 में वापस कर दिया कि वकायादार के नाम चल अथवा अचल कोई सम्पत्ति नहीं है । इस प्रकार 33,629 रुपयों के सरकारी वकायों की वसूली की कोई सम्भावना नहीं रही ।

सरकार ने मामले के तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (अगस्त 1981) कि चूक की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये की जा रही जांच प्रगति में है ।

3.8. आवकारी अधिष्ठान (एसटैब्लिशमेंट) के अधिक प्रभार का न वसूला जाना

उत्तर प्रदेश आवकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत बने नियमों में प्रविधान है कि यदि किसी ब्रूअरी में नियुक्त आवकारी अधिष्ठान के वार्षिक प्रभार उस शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं जो राज्य के भीतर जिलों को ब्रूअरी द्वारा की गई निकासी पर आरोपणीय हो तो उस बढ़ती को ब्रूअरी से वसूल किया जाना चाहिए ।

नवावगंज (जिला गोण्डा) स्थित एक बूअरी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1980) कि 1978-79, 1979-80 और 1980-81 वर्षों के लिये उक्त बूअरी स्थित आवकारी अधिष्ठान का वार्षिक प्रभार बूअरी द्वारा राज्य के भीतर लाइसेंसधारी विकेताओं को निर्गत की गई विधर पर लगाए गए शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक हो गया जो कमशः 14,285 रुपए, 12,194 रुपए और 13,479 रुपए हुआ किन्तु इस 39,958 रुपये के अधिष्ठान के अधिक प्रभार को बूअरी से वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (अक्तूबर 1980) विभाग ने कहा कि बूअर्स गे वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

गरकार को मामले की सूचना अक्तूबर 1980 में दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (जगवरी 1982)।

अध्याय 4

परिवहन विभाग

वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर

4.1. टेस्ट आडिट के सामान्य परिणाम

1980-81 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालयों के टेस्ट आडिट के दौरान 9.27 लाख रुपयों के कर कम लगाए जाने का पता चला। उसका श्रेणीबार वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

धनराशि
(लाख रुपयों में)

1—मार्ग-कर का कम लगाना	1.46
2—अतिरिक्त यात्री-कर सहित यात्री- कर का कम लगाना	2.66
3—माल-कर का कम लगाना	0.62
4—विविध	4.53
	यांप
	9.27

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तरों में किया गया है ।

4.2. परिवालकों द्वारा जमा की गयीं राशियों के अभिलेखों के रख-रखाव तथा कोषागार के आंकड़ों से ऐसी जमाराशियों के प्रमाणी-करण में कमियां

4.2.1. परिवहन विभाग विभिन्न वित्तीय संविधियों के अन्तर्गत कर तथा फीस का संग्रह करता है, यथा, गोटर वाहन अधिनियम, 1939, संयुक्त प्रांत गोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश गोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उत्तर प्रदेश गोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 ।

4.2.2. परिवालकों द्वारा कर देय (ड्रूज) या तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के राजांची के पास या चालनों के माध्यम से सीधे

कोषागार में जमा किए जाते हैं । लगभग 50 से 55 प्रतिशत मामलों में धनराशियां, जिनमें जमा की गयीं कुल धनराशियों का लगभग 30 से 35 प्रतिशत निहित होता है, सीधे कोषागार में जमा की जाती है । यजांची द्वारा प्रतिदिन संग्रहीत धनराशियां कोषागार में दूररे दिन जमा की जाती हैं । परिचालकों के अतिरिक्त, निमांकित द्वारा भी कर की धनराशियां सीधे कोषागार में जमा की जाती हैं (क) क्षेत्र के विभिन्न अधिकारियों जैसे सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), यात्रीकर अधिकारी, यात्रीकर अधीक्षक, मालकर अधिकारी, मालकर बवीक्षक तथा जांच चीकियों के प्रभारी अधिकारी, (ए) उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क के परिवहन विभाग के अधिकारी, (ग) भू-राजस्व के वकायों के रूप में संग्रहीत धनराशियों के संबंध में, राजस्व अधिकारी तथा (घ) अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित बाहनों के सम्बन्ध में अन्य क्षेत्रों के परिचालक । अंततः सभी गरकारी देश क्षेत्र के विभिन्न जिला कोषागारों में रामदाध प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत, जमा किए जाते हैं ।

4.2.3. दूसरे तथा अन्य देशों के संग्रह में, विभागीय अधिकारियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्धारित कर तथा देश संग्रहीत हो जाते हैं और अंततः कोषागार में जमा कर दिए जाते हैं तथा परिचालकों के व्यक्तिगत लेखों में अनुमत क्रेडिटों का सत्याग्रह कोषागार में वस्तुतः जमा की यई धनराशियों से किया जाता है । यह सुनिश्चित करने के लिए, निमांकित प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

(1) सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार, कोषाधिकारी शे यह अपेक्षित है कि वह ट्रॉबरी चालानों की विभागीय प्रतियां और माह के अन्त में मारिक प्राप्ति अनुसूची की एक प्रति विभागीय अधिकारियों को प्रेषित करे । गरकार ने 1976 में आदेश जारी किए थे कि चालान की विभागीय प्रतियों का संग्रह विभागीय प्राधिकारियों को स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से महीने में दो बार करना चाहिए । विभागीय प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि मांग तथा वसूली रजिस्टरों में व्यक्तिगत परिचालकों को अनुमत क्रेडिटों के सत्याग्रह हेतु, प्राप्ति-अनुसूचियों (रिसीट-शेंड्यूल) के अनुसार सभी चालानों की विभागीय प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं ।

(2) लेखों में अंकित धनराशियों से प्राप्तियों के विभागीय आंकड़ों के समाधान को सुगम बनाने हेतु, परिवहन आयुक्त ने 1964 में आदेश जारी किए जिनमें प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा, प्रत्येक मूल्य शीर्ष (मंजर हेड) के लिए अलग-अलग (क) एक कोषागार-वार

चालान रजिस्टर तथा (ख) क्षेत्रों के सभी कोषागारों के सम्बन्ध में एक सामान्य द्रेजरी चालान रजिस्टर, रखने (मेन्टेनेन्स) के लिए प्रविधान था। यदि किसी मास के सभी चालान कोषागारों से प्राप्त हो जाते हैं और उपर्युक्त रजिस्टरों में उनकी प्रविष्टि सम्यक् रूप से कर दी जाती है, तो कोषागार-वार चालान रजिस्टरों के मासिक योग, कोषागारों से प्राप्त सम्बन्धित गहीनों की प्राप्ति-अनुसूचियों के योगों तथा साथ ही साथ उस मास के सामान्य कोषागार चालान रजिस्टर के योग से मिल जाने चाहिए।

(3) परिवहन आयुक्त ने जूलाई 1975 में अनुदेश जारी किये कि ध्रेवीय परिवहन अधिकारियों को उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित दो चालान रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों पर आधारित प्रत्येक मुख्य शीर्ष के लिये अलग-अलग दो मासिक विवरणियां तैयार करना चाहिए और उसे आयुक्त के पास भेजना चाहिए जिनमें प्राप्तियों, वापसियों और निवल संग्रहों से संबंधित विभागीय आंकड़े दर्शाये गये हों; एक—प्रत्येक कोषागार से संबंधित और दो—सम्पूर्ण क्षेत्र से संबंधित। ये विवरणियां, इनमें प्रदर्शित आंकड़ों को कोषागार के आंकड़ों से सत्यापित करने के पश्चात्, आगामी मास के दसवें दिनांक तक परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत की जानी थी। इन विवरणियों का उद्देश्य विभागाध्यक्ष को (क) लेखों में अंकित आंकड़ों से समाधान हेतु प्राप्तियों के मासिक तथा वर्षमान (प्रोग्रेसिव) आंकड़ों का क्षेत्रवार तथा कोषागार-वार अभिलेच्छ रखने तथा (ख) करों तथा फीस के संग्रह की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार को मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने में, समर्थ बनाना था।

(4) खजांची के पास जमा की गई धनराशियों हेतु, वह प्रत्येक धन-राशि को एक प्रार्थना-पत्र के आधार पर स्वीकार करता है जिस पर कार्यकारी (डीलिंग) कर अनुभाग परिचालक द्वारा देय धनराशि को पहले अंकित करता है। खजांची प्राप्त धनराशि को विभिन्न मुख्य शीर्षों हेतु रखी गई गण रोकड़ वहियों में नोट करता है। गण रोकड़ वहियों के दर्दनिक योगों को निकाला जाता है और समस्त संग्रहीत धनराशि मुख्य रोकड़ वही में नोट की जाती है और तब धनराशि आगामी दिन कोषागार में जमा कर दी जाती है। तदनन्तर प्रत्येक प्रार्थना-पत्र, जिसमें प्राप्ति संख्या तथा प्राप्त धनराशि के विवरण दिए होते हैं, कर अनुभाग को प्रेषित कर दिया जाता है।

इसी प्रकार, कोषागार से चालानों की प्राप्ति तथा उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित रजिस्टरों में उनकी प्रविष्टि हो जाने पर, कोषागार

में सीधे जमा की गयीं धनराशियों से सम्बन्धित चालानों को कार्यकारी (डीलिंग) अनुभागों को भेजना होता है ।

कार्यकारी अनुभागों से यह अपेक्षित है कि वे धनराशियों को अपनी सम्बन्धित गाँण रोकड़ वहियों में अंकित कर जिनमें मांग एवं वसूली रजिस्टरों में प्रविष्टियां अंकित की जाती हैं जिनमें प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग पृष्ठ रखे जाते हैं । मांग एवं वसूली रजिस्टरों में प्रविष्टियां किसी अधिकारी के प्रमाणीकरण के अन्तर्गत की जाती हैं जो साथ-ही-साथ गाँण रोकड़ वहियों की प्रविष्टियों को भी प्रमाणित करता है ।

यदि खजांची द्वारा प्राप्त (और प्रतिदिन कोषागार में जमा की गयीं) धनराशियों से सम्बन्धित प्रलेख तथा कोषागार में सीधे जमा की गयीं और उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित दो रजिस्टरों में अंकित की गयीं धनराशियों के चालान यथाविधि प्राप्त हो जाते हैं और कार्यकारी अनुभागों द्वारा अंकित कर दिए जाते हैं, तो गाँण रोकड़ वहियों के मासिक योग, विभिन्न शीर्षों हेतु, दो रजिस्टरों के मासिक योगों से मिल जाने चाहिए ।

(5) परिवहन आयुक्त को दो अन्य मासिक विवरणियां भेजनी अपेक्षित हैं—एक लेखा विभाग द्वारा, कोषागार में जमा की गयीं और सामान्य चालान रजिस्टर में प्रदर्शित धनराशियों के आधार पर तथा दूसरी सांख्यिक (स्टैटिस्टिकल) अनुभाग द्वारा विभिन्न अनुभागों के मांग तथा वसूली रजिस्टरों में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर । जैसा कि उपर्युक्त मद (4) में उल्लिखित है, यदि अनुभागों को भेजे गए सभी चालान/प्रलेख गाँण रोकड़ वहियों और मांग तथा वसूली रजिस्टरों में ठीक-ठीक अंकित कर दिए जाते हैं, तो दोनों विवरणियों के अंकड़े (एक-दूसरे के) अनुरूप होने चाहिए और इससे यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि मांग तथा वसूली रजिस्टर में परिचालकों को मासिक/वार्षिक दिए गए क्रोडिट कोषागार में जमा की गयी कुल धनराशि के अनुरूप हैं ।

4.2.4. आगरा, इलाहाबाद, फैजाबाद और कानपुर स्थित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों के टेस्ट चेक में निम्न दातों का पता चला :—

(1) उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी में भी न तो प्राप्त अनुसूचियाँ और न ही चालानों की विभागीय प्रतियां कोषागारों से प्राप्त हो रही थीं अथवा संग्रहीत कई जा रही थीं । इस प्रकार, विभिन्न अनुभागों में गाँग एवं वसूली रजिस्टरों में उनके सम्बन्धित लेखों

में परिचालकों की जमा-धनराशियाँ न तो कोषगार के अभिलेखों के आधार पर अंकित की गईं थीं और न उनके संदर्भ में सत्यपित की गयी थीं ।

(2) फैजाबाद और इलाहाबाद क्षेत्रों में कोषगार-वार चालान रजिस्टर नहीं रखे गये । इसके अतिरिक्त, चारों क्षेत्रों के सामान्य ट्रेजरी चालान रजिस्टर और आगरा तथा कानपुर क्षेत्रों के कोषगार-वार चालान रजिस्टर समुचित रूप से गहीं रखे गये थे और उनसे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुयी जिसके लिए वे रखे गये थे । विभिन्न परिचालकों द्वारा मास के दौरान प्रस्तुत किए गए ट्रेजरी चालानों की प्रतियाँ से इन रजिस्टरों में उनकी प्रस्तुति (प्रजेन्टेशन) के क्रम में (इन चालानों को कार्यकारी अनुभागों की गणे रोकड़ बहियों/मांग एवं वसूली रजिस्टरों में अंकन हेतु भेजने से पूर्व) प्रविष्टियां की गयीं थीं । खजांची तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दैनिक जमा की गयीं धनराशियों के सम्बन्ध में चालानों की उनकी जानी प्रतियाँ के आधार पर भी चालान रजिस्टरों में भी प्रविष्टियां नहीं की गयीं ।

(3) विभिन्न मूल्य शीषों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ के कोषगार-वार तथा क्षेत्रवार आंकड़ों की मासिक विवरणियाँ केवल कानपुर में प्रस्तुत की जा रही थीं, जबकि अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रवार आंकड़ों के प्रदर्शित करने वाली केवल एक विवरणी तैयार की गई थी । किन्तु ये विवरणियाँ जो सामान्य ट्रेजरी चालान रजिस्टर/खजांची की गणे रोकड़ बहियों के आधार पर तैयार की गयी थीं, कोषगार में जमा की गयी और सरकारी लेखों में प्रदर्शित होने वाली धनराशि का प्रामाणिक अभिलेख नहीं थीं, और न तो विवरणियाँ का कोषगार में अंकित आंकड़ों से सत्यागत किया गया था ।

(4) अनुभागों की गणे रोकड़ बहियों में तथा मांग और वसूली रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ केवल निम्न के आधार पर की गईं :

(क) जनरल चालान रजिस्टर में प्रविष्टियाँ कर लेने के बाद कैशियर द्वारा अग्रसारित चालानों की जमाकर्ताओं की प्रतियाँ, तथा (ख) कैशियर द्वारा परिचालकों से प्राप्त जमा-धनराशियों के मामले में संवंधित प्रार्थना-पत्रों पर की गई टिप्पणियाँ । इग प्रकार, गह सुगिश्चित करने के लिए कोई उपाय नहीं था कि व्यक्तिगत परिचालकों को दिए गए सभी क्रेडिट, विशेषता: जमाकर्ताओं की चालानों की प्रतियाँ के आधार पर दिए गए क्रेडिट, कोषगार में जमा की गयी

धनराशियों के अनुरूप थे । परिचालकों को जाली चालानों के आधार पर क्रीड़िट दिए जाने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता । खजांची द्वारा कोषागार में दैनिक संग्रहों की जमा धनराशियों का भी स्वतन्त्र रूप से सत्यापन नहीं किया गया ।

(5) इसी प्रकार, उपर्युक्त प्रस्तर 4.2.3 (5) में सन्दर्भित लेखा तथा सांख्यिकीय शाखाओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियां कोषागार में वस्तुतः जमा की गयीं धनराशियों की ज्ञातक नहीं थीं । इसके अतिरिक्त जैसा कि परिशिष्ट-3 में दिखाया गया है, इलाहाबाद तथा कानपुर से सम्बन्धित दोनों शाखाओं के आंकड़ों में बहुत अधिक भिन्नताएं थीं ।

(6) सरकार के वित्तीय नियमों में यह भी अपेक्षित है कि बैंक/कोषागार में प्रस्तुत करने से पूर्व ट्रेजरी चालानों के अन्तिम कालम में हस्ताक्षर करने हेतु प्रत्येक जिले के लिए विभागीय अधिकारी मनोनीत किये जाने चाहिये । अधिकारियों को मनोनीत करना अपेक्षित है (क) क्षेत्रों के सभी कोषागारों से क्रेडिटों की मासिक सूची की नियमित तथा यथासमय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, और (ख) क्षेत्रों के सभी कोषागारों से प्रत्येक माह दो किसियों में ट्रेजरी चालानों की विभागीय प्रतियों के संग्रह हेतु । चालानों के अन्तिम कालम में हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर सम्बन्धित बैंक/कोषाधिकारियों को भेजना अपेक्षित है ।

किसी भी क्षेत्र में न तो ऐसे नाम निर्देशन किए गए और न ही किसी अधिकारी के हस्ताक्षर बैंकों/कोषागारों को भेजे गए । ट्रेजरी चालान भी, बैंकों/कोषागारों में प्रस्तुत करने से पूर्व, अन्तिम कालम में हस्ताक्षर किये जाने हेतु किसी विभागीय अधिकारी को सामान्यतया प्रस्तुत नहीं किए गए ।

सरकार को मामले की सूचना मई 1981 में दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

4.3. अन्तर्राजीय मामले पर जारी किये गये अस्थायी परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर हेतु फीस का कम लगाना

मोटर बाह्य अधिनियम, 1939 के प्रविधानों के अन्तर्गत, कोइँ

परिवहन बाहन, किसी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अथवा किसी राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत परमिट के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं चल सकता। परमिट ऐसी अवधि के लिए जारी किए जाते हैं जो तीन वर्षों से कम और पांच वर्षों से अधिक न हो। अस्थायी परमिट भी जारी किए जाते हैं जो सीमित अवधि—जो चार महीनों से अधिक न हो—के लिए प्रभावी होते हैं। किसी राज्य में स्वीकृत किया गया परमिट किसी अन्य राज्य गे उस राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए बिना मान्य नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में, भारी परिवहन बाहनों के लिए परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर हेतु निम्न प्रकार फीस निर्धारित है :

(क) प्रथम वर्ष के लिए 36 रुए और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के लिए 24 रुए;

(ख) अस्थायी परमिटों के मामले में, प्रथम राप्ताह के लिए 18 रुए और प्रत्येक उत्तरवर्ती राप्ताह या उसके अंदा के लिए 6 रुए।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आगरा के कार्यालय की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1978) कि उत्तर प्रदेश में बाहनों के चलने के लिए राजस्थान तथा पंजाब राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जुलाई 1973 से जुलाई 1978 के दौरान जारी किए गए 1,682 अस्थायी परमिटों—प्रत्येक 120 दिनों की अवधि के लिए—के संबंध में, प्रतिहस्ताक्षर की फीस अस्थायी परमिटों के लिए निर्धारित दरों के लागू करने के बजाय 36 रुए प्रति परमिट की दर गे प्रभारित की गई। इसके फलस्वरूप 1.31 लाख रुपयों की फीस कम लगी।

मार्च 1979 में लेखारीका द्वारा इसके बताये जाने पर, विभाग ने 1.11 लाख रुपयों की फीस कम लगाने को स्वीकारते हुए कहा (जुलाई, 1981) कि 16,208 रुए बसूल कर लिए गए हैं और शेष धनराशि की बसुली प्रगति गें हैं।

सरकार ने बताया (जुलाई 1981) कि 0.20 लाख रुपयों के अन्तर का समाधान किया जा रहा है; अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

4.4. मार्ग-कर का अवनिधारण

उत्तर प्रदेश गोटर बाहन कारधान अधिनियम, 1935 के अंतर्गत, यात्रियों तथा उनके हल्के व्यक्तिगत सामान को ले जाने के लिए किराये पर चलने वाले किसी मोटर बाहन पर मार्ग-कर का निर्धारण, अन्य बातों

के साथ-साथ, उस मार्ग की श्रेणी पर जिस पर यह चलता है, निर्भर करता है। मार्ग-कर लगाने के प्रयोजन हेतु मार्ग चार श्रेणियों में वर्गीकृत है: सेषल, ए, बी तथा सी, और सेषल श्रेणी के लिए कर की दर उच्चतम है तथा ए, बी और सी श्रेणी के मार्गों के लिए क्रमशः निम्नतर है।

बरेली (सितम्बर 1977) तथा भांसी (नवम्बर 1979) स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अप्रैल 1977 और दिसम्बर 1977 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु, (क) विभिन्न 'ए' श्रेणी के मार्गों पर चलने वाले, बरेली क्षेत्र में 29 यात्री बाहनों तथा भांसी क्षेत्र में 4 छ: बाहनों के संबंध में, मार्ग-कर 'बी' श्रेणी के मार्गों में लागू दरों पर प्रभारित किया गया, और (ख) भांसी क्षेत्र में, 'स्पेशल' श्रेणी के मार्ग पर चलने वाले दो बाहनों के सम्बन्ध में, मार्ग-कर 'ए' श्रेणी में लागू दरों पर प्रभारित किया गया। गलत दरों के लागू करने के फलस्वरूप 23,113 रुपयों के मार्ग-कर का कम प्रभार हुआ।

लेखा-परीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर, विभाग ने बरेली क्षेत्र से संबंधित 12,523 रुपयों के कम प्रभार की समूर्ण धनराशि को बसूली कर ली। भांसी क्षेत्र के सम्बन्ध में मांग की नोटिस 1979 में जारी की गयी तथा गया। बसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) :

सरकार को मामले की सूचना नवम्बर 1977 तथा दिसम्बर 1979 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

4.5. यात्री-कर का अवनिधारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत निर्मित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अनुसार, एकमुक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देश यात्री-कर एक सूत्र (फार्मूला) के आधार पर आगणित किया जाता है जिसके कारक (फैक्टर्स) ये हैं : किराया, यात्राओं की रख्या, भार-कारक तथा यात्री-कर की दर।

(1) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मेरठ के कार्यालय की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1980) कि क्षेत्र का मेरठ-खजुरी-असीफावाद मार्ग खजुरी से टटिना तक बढ़ा दिया गया किन्तु बढ़े हुए मार्ग पर चलने के लिए मई 1977 में स्वीकृत 20 यात्री गाड़ियों पर यात्री-कर का निर्धारण नहीं किया गया। बढ़े हुए मार्ग पर यात्री-कर के निर्धारण में विभाग के पक्ष में असफलता के फलस्वरूप जून 1977 से अप्रैल 1980 की अवधि में 21,193 रुपयों का कर लगने से रह गया।

लेखापरीक्षा (मई 1980) में इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया कि 11,352 रुपए वसूले जा चुके हैं और जहां तक शेष धनराशि का संबंध है कुछ यात्रा-पड़ताल की जा रही है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना जून 1980 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

(2) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, काठगोदाम के कार्यालय की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1978) कि (क) किछ्छा-खतीमा मार्ग पर चलने वाली 34 यात्री गाड़ियों पर प्रति यात्री गाड़ी प्रति मास 51 यात्राओं के बजाय 50 यात्राओं के आधार पर कर लगाया गया और किराए की गणना 3.15 रुपए के बजाय 3.13 रुपए पर की गयी और (ख) दिग्नेशपुर-बद्रपुर मार्ग पर चलने वाली 10 यात्री गाड़ियों पर 2.00 रुपए के बजाय 1.50 रुपए किराया लेकर कर प्रभारित किया गया । इसके फलस्वरूप मई 1975 और मार्च 1978 के बीच विभिन्न अवधियों के दौरान 21,074 रुपयों के यात्री-कर का कम प्रभार हुआ ।

लेखा-परीक्षा (अप्रैल 1978) में इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने 20,807 रुपयों की धनराशि की वसूली कर ली (अगस्त 1978 से नवम्बर 1979) । 267 रुपयों की शेष धनराशि की वसूली प्रगति में बताई गई है ।

सरकार को मामले की सूचना अप्रैल 1978 में दी गयी; अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

4.6. यात्रियों के खड़े होने को क्षमता पर यात्री-कर की गणना में भूल

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 में प्रविधान है कि एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्री-कर की गणना के प्रयोजन हेतु किसी यात्री गाड़ी गें प्राधिकृत खड़े होने की क्षमता का 50 प्रतिशत लिया जाना चाहिए ।

मुरादाबाद तथा भांसी स्थित उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1976 तथा दिसम्बर 1978) कि 35 यात्री गाड़ियों को उनकी बैठने की क्षमताओं के 25 प्रतिशत तक खड़े यात्रियों को ले जाने के लिए अक्टूबर 1975 और जनवरी 1978 के बीच विभिन्न तिथियों में विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया । किन्तु ऐसी प्राधिकृत खड़े होने की क्षमता के 50 प्रतिशत पर यात्री-कर का निर्धारण नहीं किया गया, फलतः अक्टूबर 1975 से

दिसम्बर 1978 की अवधि के दौरान 22,770 रुपयों का कर कम लगा ।

लेखा परीक्षा (अप्रैल 1977 तथा अप्रैल 1979) में इसके इंधित किए जाने पर, विभाग ने 22,206 रुपयों की वसूली कर ली थी और शेष धनराशि की वसूली प्रगति में है (मार्च 1981) ।

सरकार को मामले की सूचना अप्रैल 1977 तथा अप्रैल 1979 में दी गयी; अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

4.7. समन्वय के अभाव में माल-कर लगने से छूट जाना

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1935 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत किसी माल वाहन के परिचालक से अपेक्षित है कि वह वाहन की प्राधिकृत ले जाने की क्षमता पर निर्धारित दरों पर माल-कर के साथ ही मार्ग-कर का भी, भुगतान करें ।

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बांदा के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवंबर 1980) कि जल निगम के तीन व्यक्तिगत मालवाहन जून 1977 में पंजीकृत किए गए जिन पर मार्ग-कर तथा माल-कर दोनों लगने थे । मार्गकर तो वसूल कर लिया गया किन्तु कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के गद्य गणन्य के अभाव में माल-कर निर्धारित होने से छूट गया । जून 1977 से नवम्बर 1980 की अवधि हेतु माल-कर की धनराशि जो इस प्रकार निर्धारण से छूट गयी 27,000 रुपए हुयी ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1980) में इसके बताए जाने पर, विभाग ने कर की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली कर ली (अगस्त 1981) ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना जनवरी 1981 में दी गयी थी, वसूली की पुष्टि कर दी है (अक्टूबर 1981) ।

अध्याय 5

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग

गन्ने के क्रय पर कर

5.1. टेस्ट आडिट के सम्बन्ध परिणाम

वर्ष 1980-81 के दौरान चीनी मिलों तथा सांडसारी इकाइयों के अभिलेखों के टेस्ट आडिट में 73.84 लाख रुपयों के कर न लगने/कर कम लगने के मामलों का पता चला, जिनका मुख्यतया वर्गीकरण निम्नलिखित है :

	धनराशि (लाख रुपयों में)
1-क्रय-कर का भुगतान किये विना चीनी की निकासी	23.70
2-चीनी मिलों/सांडसारी इकाइयों को क्रय-कर की अनियमित छूट देना	24.97
3-क्रय-कर का कम निर्धारण/गलत छूट	21.32
4-विविध	3.85
	योग 73.84

कुछ सहत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तररों में किया गया है ।

5.2. क्रय-कर का भुगतान किए बिना चीनी को अनधिकृत निकासी उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई भी चीनी मिल अपनी उत्पादित चीनी की निकासी मिल के बाहर तब तक नहीं करेगी जब तक बाहर निकाली गई चीनी के उत्पादन में प्रयुक्त गन्ने की सुरीद पर लगने वाले क्रय-कर का भुगतान न कर दिया गया हो । इन ग्रन्थिधारियों का उल्लंघन करने पर मिल, देय कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड की भी भागी होंगी जो देय कर के एक से प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1980 और दिसम्बर 1980) कि जनवरी 1979 से अक्टूबर 1980 की अवधि के दौरान नवाबगंज (गोडा) और सिरावा बाजार (गोरखपुर) स्थित दो चीनी मिलों ने 1977-78 से 1979-80 गौसम के दौरान परे गये गन्ने से उत्पादित चीनी की 1,62,834 बोरियों की निकासी उन पर देय 22.84 लाख रुपयों के क्रय-कर का भुगतान किये बिना कर दी। यद्यपि नवाबगंज फैक्ट्री, कर-निर्धारण प्रांथिकारी को प्रस्तुत किये गये मासिक परिलेखों (रिटर्न्स) में, कर का भुगतान किये बिना ही चीनी की निकासी दिखाती रही है तथापि कर की वसूली करने तथा कर के भुगतान न किये जाने के तिये अर्थदण्ड आरोपित करने की कोई भी कार्रवाही नहीं की गयी।

सरकार को उआर्युक्त दो मामलों की सूचना जुलाई 1980 और फरवरी 1981 में दी गयी; अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

5.3. विकल्पों को अनियमित स्वीकृति के कारण क्रय-कर को हानि

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बने, नियमावली के अन्तर्गत खांडसारी चीनी का निर्माण करने वाली किसी इकाई के मालिक को यह विकल्प दिया गया है कि वह गन्ने के क्रय पर कर का भुगतान या तो गन्नों की क्रय की गई वास्तविक मात्रा पर करे अथवा इकाई की पेराई क्षमता और अन्य संबद्ध कारकों पर आधारित, निर्धारित जनुसूची के अनुसार, ऐसी खरीदों की कलित मात्रा पर। विकल्प का लाभ उठाने के लिये इकाई के मालिक को गन्ना आयुक्त और कर-निर्धारण अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा-पत्र भेजना होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इकाई के कार्यारम्भ की तिथि विनिर्दिष्ट की जाती है और जो उनके पास प्रत्येक वर्ष में 31 जनवरी को अथवा उसमें पूर्व या इकाई के कार्यारम्भ से 15 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, पहुँच जाये। उसके बाद इस आमत्य का कोई भी घोषणा-पत्र स्वीकृत नहीं किया जाना है।

खांडसारी निरीक्षक, गजराऊला (मुरादाबाद) के कार्यालय की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1978) कि 1975-76 मौसम के लिए 7 इकाइयों ने घोषणा-पत्र समय से प्रस्तुत नहीं किए थे। ये घोषणा-पत्र एक इकाई के मामले में इकाई के कार्यारम्भ से 6 दिन पूर्व, 3 इकाइयों के मामले में 9 दिन पूर्व, 2 इकाइयों के मामले में 11 दिन पूर्व और एक अन्य इकाई के मामले में 13 दिन पूर्व प्रस्तुत किए गए थे। फिर भी ये घोषणा-पत्र कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा

स्वीकार कर लिए गये थे और इकाइयों का कर-निधारण गने की कलिपत मात्रा के आधार पर उन्हें विकलिपत इकाइयां मानते हुए किया गया था ।

यदि इन इकाइयों का कर-निधारण किये गये गने की वास्तविक मात्रा के आधार पर किया गया होता तो एकत्र किये गये 1.70 लाख रुपयों के विरुद्ध विभाग को 3.46 लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त होता । इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को 1.76 लाख रुपए के कर-कर की हानि हुई ।

सरकार को मामले की सूचना फरवरी 1979 में दी गयी । मई 1981 में सरकार ने सूचित किया कि इतने वित्तम् व के बाद विकल्प के अस्वीकार करने का अर्थ मुकदमेबाजी को दावत देना होगा । तथ्य यह है कि विकल्पों की अनियमित स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि हुई ।

5.4. नियमों का पालन न करने के कारण कर कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश गना (कर-कर) अधिनियम, 1961 और उसके अधीन दनी नियमावली के अन्तर्गत विकलिपत इकाइयों अर्थात् उन खांडसारी चीनी निर्माण करने वाली इकाइयों के मामलों में जिन्हें गने की खरीदों की कलिपत मात्रा पर आधारित, जैसा कि नियमावली की अनुमूली 1 में प्रविधान है, कर का भुगतान करने के विकल्प दिये हैं, यदि निर्धारित ढंग से स्थगन की नोटिसों न दी गयी हों तो नियम 13-ए के अन्तर्गत दाखिल किए गये घोषणा-पत्रों में विनिर्दिष्ट कार्यारम्भ की तिथियों से ही इकाइयों द्वारा गने की खरीद का शुरू होना मान लिया जायेगा । ये इकाइयां उस तिथि से संगणित खरीदों पर कर का भुगतान करने की भागी होंगी । इकाई के कार्यारम्भ की तिथि में किसी परिवर्तन की सूचना विनिर्दिष्ट तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व चीनी आयुका एवं कर-निधारण प्राधिकारी के पास पहुँचनी चाहिए; अन्यथा करदाता इकाई के कार्यारम्भ की पूर्व निर्दिष्ट तिथि से ही कर का भुगतान करने का भागी होगा ।

(1) लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1979 और फरवरी 1980) कि 1977-78 और 1978-79 के पेराई मौसमों के दौरान खांडसारी निरीक्षक, मुरादाबाद के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत एक और खांडसारी निरीक्षक, मजफरनगर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तीन विकलिपत इकाइयों ने अपने घोषणा-पत्रों में विनिर्दिष्ट तिथियों से पेराई कार्य प्रारम्भ गहीं किये थे और न ही उन्होंने निर्धारित ढंग से स्थगन की सूचना

भेजी थी । फिर भी इकाइयों का कर-निर्धारण विनिर्दिष्ट तिथियों के बजाए पेराई प्रारम्भ होने की वास्तविक तिथियों से संगणित खरीदों पर हुआ था जिसके परिणामस्वरूप 89,333 रुपए के कर का कम निर्धारण हुआ ।

दिसम्बर 1979 और मार्च 1980 में विभाग को और जुलाई 1981 में सरकार को माले की सूचना दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

(2) अकबर गढ़ (जिला मुजफ्फरनगर), सम्मल 1 (जिला मुरादाबाद), मुरादाबाद, खन्दाला (जिला मुजफ्फरनगर) और चन्दौसी (जिला मुरादाबाद) स्थित खांडसारी निरीक्षकों के कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान वह देखा गया (जनवरी 1979, अगस्त 1979, फरवरी 1980, मई 1980 और जनवरी 1981) कि 1977-78 और 1978-79 के चीनी गौरगों के दौरान सात खांडसारी निर्माण करने वाली इकाइयों को गन्ने की कल्पित भुगतान पर कर का भुगतान करने की अनुरूपता दी गई थी यद्यपि कि इकाइयां इस प्रकार से कर निर्धारित किए जाने के योग नहीं थीं क्योंकि इकाइयों द्वारा दांखल किए गए घोषणा-पत्र इस दृष्टि से अपर्ण थे कि उनमें पेराई कार्यों के शुरू होने की तिथियां विनिर्दिष्ट नहीं थीं । कल्पित आधार पर अनियमित कर-निर्धारण के परिणामस्वरूप 2.15 लाख रुपए के राजस्व की हाँग हुई; इकाइयों द्वारा कल्पित आधार पर भुगतान किए गए 1.92 लाख रुपयों के विरुद्ध ये इकाइयों गन्ने की वास्तविक खरीद पर आधारित 4.07 लाख रुपयों के कर भुगतान की भागी होती थीं ।

सरकार ने दिसम्बर 1980 में आपत्ति को स्वीकार किया और विभाग को इस हानि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये निर्देश दिए । आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

5.5. एक चीनी मिल को क्रय-कर में अधिक छूट प्रदान करना

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रग-कर) अभिनियम, 1961 और उनके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत गन्ने की खरीद पर कर लगता है । 19 फरवरी 1980 को जारी की गयी एक अधिसूचना के द्वारा सरकार ने कर-निर्धारण वर्ष 1979-80 में 'वैकुञ्ज पैन' चीनी मिलों द्वारा कर किये गये गन्ने पर देय क्रय-कर को उस हद तक छोड़ दिया जिस हद

तक उनके द्वारा 15 फरवरी 1980 के पश्चात् किए गये गन्नों की कीमत 17 रुपए प्रति कुन्तल से अधिक भुगतान की गई हो बद्धते कि यह छूट 1.25 रुपए प्रति कुन्तल से अधिक न होने पावे ।

गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, सहारनपुर के कार्यालय को लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1981) कि दहेरादून की एक 'बैकुअम पैन' चीनी मिल ने 16-2-1980 से 28-2-1980 के दौरान 17.25 रुपए प्रति कुन्तल की दर से 55,585 कुन्तल गन्ने की खरीद की तुरन्त 0.25 रुपए प्रति कुन्तल की अनुज्ञेय दर (परिमितिविल रेट) के समान 1.25 रुपए प्रति कुन्तल की अधिकतम दर से 69,481 रुपए के कर की छठ प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप 55,585 रुपए की अधिक छूट दी गई ।

सरकार को मामले की सूचना जुलाई 1981 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

5.6. क्रय-कर के दरों के विवरण एवं अंतिम दरों के गलत निर्धारण के कारण राजन्त्र को हानि

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी को, पेराइ मौसम की समाप्ति पर या पेराइ मौसम में मिल के बंद होने के तुरन्त बाद, उत्पादित चीनी और क्रय किए गए गन्नों की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, चीनी की प्रति बोरी पर कर के भुगतान की पुनरीक्षण दर आगणित करके निर्दिष्ट करनी चाहिए ।

ऐसे पुनरीक्षण से कर भुगतान में उत्पन्न किसी कमी/आधिक्य को चीनी के शेष स्टाक पर बांट दिया जायेगा और चीनी की प्रत्येक बोरी की निकासी से पूर्व देय कर की धनराशि पुनः निर्धारित की जायेगी । इसके अतिरिक्त दर के ऐसे पुनरीक्षण के बाद यदि चीनी के स्टाक का कोई अंश किसी कारण से उपलब्ध नहीं है और ऐसे अंश के प्रति देय कर का भुगतान यदि नहीं किया गया है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी इस कमी को उस रम्य के चीनी के स्टाक पर बांट कर बसूल करने के निर्देश दे सकता है ।

(1) सहारनपुर की एक चीनी मिल की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1978) कि कर-निर्धारण अधिकारी ने इस चीनी मिल के सम्बन्ध में 1975-76 मौसम के लिये क्रय-कर के भुगतान की दर का पुनरीक्षण नवम्बर 1976 में किया । पुनरीक्षण दर निश्चित करते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने चीनी

के उपलब्ध स्टाक में से विक्रय के अगोम्य चीनी की बोरियों को नहीं निकाला। परिणामस्वरूप चीनी के सम्पूर्ण स्टाक की निकासी के बाद भी 59,464 रुपए की करदेयता अदा होने से रह गयी।

लेखापरीक्षा में इस चूक के बताए जाने पर (जून 1978) मिल ने 59,464 रुपए की धनराशि जमा कर दी (मार्च 1979)।

सरकार को मामले की सूचना जून 1978 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

(2) सहारनपुर स्थित एक चीनी मिल की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1979) कि चीनी मिल ने 1976-77 के पेराई मौसम के दौरान 17,45,329 कुन्तल गन्ने की खरीद की और 1.25 रुपए प्रति कुन्तल गन्ने की दर से देय क्रय-कर की धनराशि 21,81,661 रुपए है। कर-निधारण प्राधिकारी ने 1976-77 मौसम के लिये कर की वसूली हते 13.50 रुपये प्रति बोरी का अनन्तिम दर निश्चित किया था। पहली अगस्त 1977 को इस मौसम की चीनी के शेष स्टाक की निकासी के लिए 10.95 रुपए प्रति बोरी का अनन्तिम दर निश्चित किया गया। मिल ने उक्त मौसम की चीनी के दोनों बकाया स्टाक की निकासी इस पुनरीक्षित दर से अप्रैल 1978 तक कर दी जबकि 42,411 रुपये की करदेयता का भुगतान फिर भी बाकी था।

लेखापरीक्षा में इस चूक के बताए जाने पर (फरवरी 1979) मिल ने 42,411 रुपए के कर की शेष धनराशि मई 1979 में जमा कर दी।

सरकार को मामले की सूचना जूलाई 1981 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

5.7. कर के विलम्बित भुगतान पर व्याज व अर्थदण्ड का न लगाना

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत, विकल्पित इकाइयों को प्रत्येक माह के लिए कर का भुगतान उस माह के एहते माह के एवं सर्व दिन तक कर देना चाहिए। चूक होने पर वे इस तिथि से भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज का भुगतान करने की भागी है और जहां देय कर, या उग पर व्याज, या दोनों-जैसी भी स्थिति हो-भुगतान के लिये निर्धारित तिथि से 15 दिनों पश्चात् तक अदलत रहता

है, चूक की अवधि के अनुसार कुल देय धनराशि के 5 से 10 प्रतिशत तक की दर से अर्थदण्ड के भुगतान की भी भागी है ।

रड़की (उत्तर), निगाहसन (लखीमपुर खीरी) और विजनाँर 2 के खांडमारी निरीक्षकों के कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह दख्ता गया (अगस्त 1976, नवम्बर 1976 और जनवरी 1979) कि 13 विकलित इकाइयों ने कर की किस्तों का भुगतान नियत तिथियों पर नहीं किया और इन मामलों में विलम्ब की अवधि 24 से 1,062 दिनों तक रही किन्तु व्याज (21,048 रुपए) और अर्थदण्ड (22,421 रुपए) की 43,469 रुपए की धनराशि वसूल नहीं की गयी थी ।

अक्टूबर 1976, जनवरी 1977 और फरवरी 1979 में इस चूक के बताये जाने पर दिसम्बर 1980 के अन्त तक 28,143 रुपयों की वसूली कर ली गयी थी । शेष धनराशि की वसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना जुलाई 1981 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

अध्याय 6

वित्त विभाग

स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस

6.1. टेस्ट आडिट के सामान्य परिणाम

1980-81 के दौरान जिला रजिस्ट्रारों तथा सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के टेस्ट आडिट में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस के कम लगाने के 6.00 लाख रुपयों के मामलों का पता चला, जिसका गोटे ताँर पर वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

धनराशि
(लाख रुपयों में)

1—सम्पत्तियों के बबमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम लगाना	3.81
2—स्टाम्प शुल्क आरोपण रो अनियमित छूट तथा ग्रलेखों (डाकूगेन्ट्स) के घलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम लगाना	0.82
3—विविध	1.37
	योग 6.00

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तरों में किया गया है ।

6.2. भूमि के मूल्यांकन हेतु भू-राजस्व की घटी हुई दर अपनाने के कारण स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन फीस का कम लगाना

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 के अंतर्गत, स्टाम्प शुल्क लगाने के लिए, हस्तांतरण प्रपत्र (इन्स्ट्रुमेन्ट आफ कवेयेन्स) के विषय वाली भूमिधरी भूमि का न्यूनतम मूल्य, ऐसी भूमि पर देय वार्षिक भू-राजस्व के 800 गुने से कम नहीं होना है । उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा भू-राजस्व की दरें पहली जुलाई 1976 से अधिनवीकृत कर दी गयीं और किसी भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व का आगणन निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अंदर असिंचित तथा सिंचित भूमि पर लागू मौजसी (हेरेंडिटरी) दरों

के दुगनी दरों पर किया जाना था। तत्पश्चात् फरवरी 1977 में जारी किए गए ऐक अध्यादेश द्वारा भू-राजस्व की अभिनवीकृत दर घटाकर आधी कर दी गई परन्तु किसी अधिगियम के द्वारा उन्न-गमर्थित न किये जा सकने के कारण अध्यादेश जुलाई 1977 में रद्द (लैप्स) हो गया।

गढ़-रजिस्ट्रार, फरीदपुर और आंबला (जिला बरेली) के कार्यालयों की लेखापरिक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1978) कि जुलाई 1977 में अध्यादेश के रद्द (लैप्स) हो जाने पर भी, 50 हस्तांतरण दिलेंगे (डीड-ए आफ कन्वेंशन) से समन्वित भूमिधरी जमीनों का मूलांकन, जिनका निबन्धन सितम्बर 1977 से फरवरी 1978 की अवधि के दौरान किया गया, रामूर्ण अभिनवीकृत दरों के तजाय, भू-राजस्व की अभिनवीकृत दरों के आधे के 800 गुनों के आधार पर किया गया। इसके फलस्वरूप 69,873 रुए का स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस दरम लगी।

नवम्बर 1978 में लेखापरिक्षा में इसके बताए जाने पर, विभाग ने सूचित किया (गई 1979 से मई 1980 के बीच) कि 39 मामलों में 53,384 रुए के स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस की तथा 6,155 रुए के अर्थदण्ड की वसूली की जा चुकी है और गढ़-रजिस्ट्रार आंबला के कार्यालय से संबंधित शेष 11 मामलों में वसूली प्रगति नहीं है।

सरकार को मामलों की सूचना नवम्बर 1978 में दी गयी; अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

6.3. भूमिधरी जमीनों के अवमूल्यांकन के कारण कम उनाही (लेवी)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश के लिए लागू है, किसी हस्तांतरण विलेश पर स्टाम्प शुल्क, विलेश रो रंबंधित समति के बाजार मूल्य पर लात्वा उससे दिलाए गए मूल्य पर, जो भी उच्चतर हो, लगता है। इसके अतिरिक्त, बाजार मूल्य के गिरावरण हेतु भूमिधरी भूगि का हस्तांतरण करने वाले प्राप्त में वार्षिक भू-राजस्व पूर्णरूप रो तथा ठीक-ठीक दिखाया जाना चाहिए। रामय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के बनसार भूमिधरी भूगि का बाजार मूल्य भू-राजस्व के 800 गुने से कम नहीं होना चाहिए।

गढ़-रजिस्ट्रार, हासिरग (जिला अलीगढ़) और अकतरपर (जिला फैजाबाद) के कार्यालयों की लेखापरिक्षा के दौरान तहसील के अभिलेखों

की जांच करने पर यह देखा गया (मई 1979 और जून 1979) कि अगस्त 1977 से गई 1979 की अवधि के दौरान निवन्धित किये गये 12 हस्तांतरण प्रपत्रों में भू-राजस्व पूर्णरूप से तथा ठोक-ठोक नहीं दिखाया गया। भू-राजस्व के गलत दर्शने/न दिखाने के परिणाम-स्वरूप भूमि का अवमूल्यांकन हुआ जिसमें 23,919 रुपए के स्टाम शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम प्रभार हुआ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर (जुलाई 1979 और अगस्त 1979), विभाग ने 4 मामलों में 5,815 रुपयों की वसूली कर ली, 5 मामलों में 10,752 रुपयों की वसूली की जा रही थी और शेष 3 मामलों में सही मूल्यांकन निश्चित करने के तिए की जा रही कार्य-बाहियां पूर्ण नहीं हुई थीं (जनवरी 1982)।

सरकार को मामले की सूचना जुलाई और अगस्त 1979 में दी गयी; अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

6.4. कृषि-इतर जमीनों के अवमूल्यांकन के कारण कम उगाही (लेवी)

उत्तर प्रदेश स्टाम (प्रथम संचालन) नियमावली, 1976 के अंतर्गत, जो पहली जुलाई 1976 से प्रभावी है, स्टाम शुल्क के भुगतान के प्रयोजनार्थ, कि सी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर स्थित कृषि-इतर भूमि का मूल्य उस मूल्य के वराबर होना चाहिए जो प्रपत्र के निष्पादन की तिथि को स्थानीय प्रचलित आसत कीमत के आधार पर निकाला गया हो।

सर-रजिस्ट्रार, हल्द्वानी (जिला नैनीताल) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1979) कि छ: हस्तांतरण प्रपत्रों के मामलों में से, जिनका निष्पादन अप्रैल 1977 से नवम्बर 1978 की अवधि के दौरान किया गया था, तीन मामलों में कृषि-इतर भूमि एक रुपए से 2 रुपए तक प्रति वर्ग फुट की दर से और अन्य तीन मामलों में करीब 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेची गई थी। उसी अवधि में निष्पादित अन्य विक्रय-विलेखों की जांच से एता चला कि ये दरे क्रमशः 8 रुपए से 10 रुपए तक प्रति वर्ग फुट और 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर की स्थानीय प्रचलित आसत कीमतों से बहुत नीची थीं।

लेखापरीक्षा ने इसके बताये जाने पर (जुलाई 1979), विभाग ने कलेक्टर, नैनीताल को प्रलेखों की प्रतिलिपियां भेजी (सितम्बर 1979) जिन्होंने 5 प्रलेखों के सम्बन्ध में 16,677 रुपये के स्टाम शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम लगाया जाना निश्चित किया जिसमें से 4,788 रुपए की वसूली कर ली गयी बताई गई है (अक्टूबर 1981)। छठवें

प्रलेख के सम्बन्ध में, जिसमें 29,392 रुपये का कम प्रभार निहित है, उनके निर्णय की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना जुलाई 1979 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

6.5. बाजार दर को लागू न करने के कारण कम प्रभार

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, के अन्तर्गत, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश के लिये लागू है, हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क उससे गम्भीरता समत्ति के बाजार मूल्य पर अथवा विलेख में दिखाये गये प्रतिफल पर, जो भी अधिक हो, लगता है ।

जुलाई 1974 के एक शासनादेश के अनुपालन में, कलेक्टर, बुलन्डशहर ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु निवन्धन अधिकारियों के मार्ग-दर्शन के लिये फरवरी 1975 में विभिन्न प्रकार की जमीनों की बाजार दरों निर्धारित कीं ।

सद-रजिस्ट्रार, अनूपशहर (जिला बुलन्डशहर) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1975 और जून 1976) कि फरवरी 1975 से मार्च 1976 की अवधि के दौरान निवन्धित किए गए 24 हस्तांतरण प्रपत्रों के सम्बन्ध में, सद-रजिस्ट्रार ने, स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन फीस लगाने के लिये 3.71 लाख रुपयों को, जो प्रपत्रों में दिखाये गये थे, जमीनों का मूल्य मान लिया जबकि कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उन जमीनों का मूल्य 6.28 लाख रुपए होता था ।

कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्यों पर जमीनों की कीमत न लगाये जानी के त्रुटि के परिणामस्वरूप 22,227 रुपयों के स्टाम्प शुल्क (19,612 रुपए) तथा रजिस्ट्रेशन फीस (2,615 रुपए) का कम प्रभार हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर (नवम्बर 1975 और जुलाई 1976), विभाग ने 12 विलेखों के सम्बन्ध में 11,411 रुपए की वसूली के साथ-साथ 1,095 रुपए के अर्थदण्ड की भी वसूली की (मई 1981) । शेष विलेखों से सम्बन्धित मामलों में वसूली की सूचना की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना नवम्बर 1975 और जुलाई 1976 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

6.6. अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण कम उगाही

भारतीय स्टाम विधिविषय, 1899 के अन्तर्भूत, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश के लिए लागू है, अगत यमत्ति से सम्बन्धित हस्तांतरण विलेख पर स्टाम शुल्क रामतित के बाजार मूला पर वश्वा प्राप्त में दिखाए गए मूल्य पर, जो भी वार्षिक हो, लगता है। उत्तर प्रदेश स्टाम नियमावली, 1942 के अनुसार, जैसा कि वह राजा-सम्पत्ति पर संविधित की गयी है, किसी भवत का बाजार मूला उनके वास्तविक किरायों के अथवा आकलित (एसेस्ड) वार्षिक किरायों के, जो भी वार्षिक हों, 25 गुने के आधार पर नियमित रूप से कर गहरी होना चाहिए। यदि किसी मामले में वहाँ सम्बन्धित गुणांकों के अनुसार बाजार मूला वार्षिकता किया गया है परन्तु पिंडांग आँदोलनी के पास ऐसा विश्वापन करने का कारण है कि रामत्ति का राही मूल्यांकन जिन स्थानीय जांग या वाहय साक्ष्य का राहीरा तिये गहरी किया जा रक्ता है तो वह सम्पत्ति के वास्तविक बाजार मूल के निर्धारण हेतु प्रश्नगत प्राप्त को निवंधन के पश्चात् कलेक्टर को भेज रक्ता है।

(1) सब-रजिस्ट्रार, इलाहाबाद के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1977) कि 3 भवत्तां के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिये, अगस्त 1976 से नवम्बर 1976 की अवधि के दौरान नियमित किये गये 3 हस्तांतरण ग्रप्तां पर सम्पत्तियों के 1.11 लाख रुपयों के रुक्ता विक्रय मूल्य पर स्टाम शुल्क लगाया गया यात्रि इन ग्रप्तां में दिये गए आकलित वार्षिक किराये और उपयुक्त वार्षिक किराये के गुणांक के हिसाब से इन ग्रप्तां का मूल्यांकन 2.31 लाख रुपये आता था। स्टाम शुल्क लगाने के तितों इस उच्चातर मूल्यांकन को दण्डनामे से चूक जाने के फलस्वरूप 12,600 रुपये के स्टाम शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम प्रभार हुआ।

लेखापरीक्षा में इसके तत्त्वाये जाने पर (जुलाई 1977), नियम ने रांबड़ कग प्रभार की राशि की वृस्ती कर ली (फरवरी 1980)।

सरकार ने, जिसे मामले की रिपोर्ट जुलाई 1977 में दी गई थी, मार्च 1981 में स्थिति की पुष्टि कर दी है।

(2) सब-रजिस्ट्रार, बरली के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1977) कि जुलाई 1976 से नवम्बर 1976 की अवधि के दौरान नियमित किये गये 3 हस्तांतरण विलेखों द्वारा 1.25 लाख रुपये के केंद्र मूल्यांकन पर 3 भवत्तां

का हस्तान्तरण किया गया था। किन्तु उस निवासस्थली में, जहाँ ये भवन स्थित थे, कलेक्टर द्वारा निर्धारित 100 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से उन भवनों द्वारा आच्छादित 2,033 वर्ग गज भूमि का मूल्य ही 2.03 लाख रुपए आता था। अतः निवन्धन अधिकारी के पास इस बात का विश्वास करने के लिए परापरा आधार उपलब्ध था कि स्टाम शुल्क के प्रदोषजन हेतु प्रलेख इनमें दर्शाये रखे मूल्य से उच्चतर मूल्य पर शुल्क निर्धारण के योग्य थे।

जनवरी 1978 में लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर, विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 1978) कि प्रलेखों की प्रतिलिपियां सही मूल्यांकन के तिए कलेक्टर के पास भेज दी गई हैं। कलेक्टर द्वारा ये प्रलेख जबमूल्यांकित ठहराये गये (अप्रैल 1979) जिनमें 15,435 रुपए के स्टाम शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम प्रभार एवं 6,162 रुपए का अर्थदण्ड निहित था। एक प्रलेख के सम्बन्ध में 1,152 रुपए (जियां 50 रुपए का वर्धदण्ड सम्मिलित था) की वसूली कर ली गयी बताइ गयी है (अप्रैल 1979)। दोष प्रलेखों के संबंध में वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

सरकार को मामले की सूचना जनवरी 1978 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

6.7. निबंधित प्रलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण कम उगाही

(1) सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत, 'उपहार' का अर्थ है किसी विद्यमान चल अथवा अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण जो स्वेच्छापूर्वक और बिना किसी प्रतिफल के किया गया हो और 'विक्रय' का अर्थ है प्रदत्त मूल्य या वचनवद्वय द्वये मूल्य के बदले में स्वागित्व का हस्तान्तरण, जबकि भारतीय स्टाम अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत, जैसा कि दह उत्तर प्रदेश में लागू है, 'मोचन' (रिलीज) का अर्थ किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर से अपने दावे का त्याग कर देना है।

उपहार/विक्रय प्रपत्र पर स्टाम शुल्क उसमें दिये गये प्रतिफल पर अथवा बाजार मूल्य पर, जो भी अधिक हो, प्रथम 1,000 रुपये पर 75 रुपये की दर से और 1,000 रुपए से उपर प्रत्येक 500 रुपये या उसके अंत पर 37.50 रुपए की दर से, बिना किसी अधिकतम सीमा के, प्रभारित होता है; 'मोचन' के मामले में, 100 रुपए के अधिकतम के अधीन, दर नीची है।

जिला रजिस्ट्रार, लखनऊ और सब-रजिस्ट्रार, कानपुर के कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1979) कि जुलाई

1978 से अक्टूबर 1978 की अवधि के दौरान पांच प्रपत्रों का पंजीकरण गोंगन-पत्र मानकर हुआ था परन्तु उनमें से चार उपहार-प्रपत्र थे क्योंकि उनमें गम्भितियों का हस्तान्तरण स्वेच्छा रे बिना किसी प्रतिफल के एंसे व्यक्ति के पक्ष में हुआ था जिसका उन पर कोई दावा नहीं था और पांचवां प्रलेख 'विक्रय' का था क्योंकि सम्पति का हस्तान्तरण प्रतिफल के लिए किया गया था ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर (अगस्त 1979), विभाग ने 11,895 रुपए के स्टाम शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस के कम प्रभार की वसूली के लिए वसूली प्रमाण-पत्र (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी किए। वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार/विभाग को मामले की सूचना दी गयी (अगस्त 1979); उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत, कब्जा वाले वंधक विवेद पर स्टाम शुल्क उगके द्वारा श्रीमूल धनराशि के वरावर प्रतिफल की धनराशि पर लगता है जबकि विक्रय प्राप्त के मामले में यह गम्भित के बाजार मूल्य या प्राप्त गें विविक्त प्रतिफल, जो भी अधिक हो, पर लगता है । इस प्रकार से यदि प्राप्त गें दिखाई गई धनराशि रे बाजार मूल्य उच्चतर है, तो बाद वाले मामले में वहले वाले मामले की आंकड़ा शुल्क उच्चतर हो सकता है ।

उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 164 के प्रविधानों के अनुसार किसी भूमिधर द्वारा जोते (हॉलिडंग) के उग हस्तांतरण को, जिसमें वह राब सम्मिलित है जिसके द्वारा हस्तांतरी को, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण के रूप में अग्रिम दिए गए अथवा अग्रिम दिए जाने वाले धन और विवाहान या भविष्य में दिए जाने वाले ऋण के भूगतान प्राप्त करने के प्रयोजन से कब्जा हस्तांतरित होता है, हर समय पर और हर प्रश्नेता के लिए हस्तांतरी को विक्रय मानना चाहिए; हस्तांतरण प्राप्त में कुछ भी समाविष्ट अथवा तत्समय प्रचलित किसी विधि के होने पर भी यही स्थिति मानी जाती है । इस प्रकार भूगिधरी भूग के मामले गें कब्जा वाले वंधक प्रपत्र पर स्टाम शुल्क विक्रय प्रपत्र के अनुसार लगता है ।

सब-रजिस्ट्रार, सहारनपुर के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1977 और जून 1979) कि फरवरी 1977 से मार्च 1979 की अवधि के दौरान पंजीकृत भूगिधरी भूमि से संबंधित 16 कब्जा वाले वंधक प्रपत्रों पर स्टाम शुल्क का निर्धारण गम्भित प्रपत्रों

बैं अभिव्यक्त मूल्य पर हुआ था, न कि जमीनों के बाजार मूल्य पर, जो उच्चतर था । फलतः 14,660 रुपए का स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस कम तरी ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर (जनवरी 1978 और अगस्त 1979), विभाग ने 15 मामलों में 7,485 रुपयों के अर्थदण्ड सहित 11,345 रुपए के स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस की वसूली कर ली । एक मायले गे राजस्व परिपाद के निर्णय की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामले की सूचना जनवरी 1978 और अगस्त 1979 में दी गयी; अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

राष्ट्र-क

राजस्व विभाग

भू-राजस्व

7.1. टरेट आडिट के सामान्य परिणाम

वर्ष 1980-81 के दौरान राजस्व विभाग के कार्यालयों के टेस्ट आडिट में भू-राजस्व तथा भूमि विकास-कर के 11.22 लाख रुपए के अव-निधारण तथा कम संश्हेष के मामलों का पता चला। इनका वर्गीकृत विवरण नीचे दिया गया है :

धाराशी
(लाख रुपयों में)

1—भू-राजस्व तथा भूमि विकास-कर	4 . 64
का न लगाना तथा कम लगाना	
2—रांगह प्रभारों की कम वसूली	2 . 21
3—विविध	4 . 37
	<hr/>
योग	11 . 22

कुछ रुचिकर प्रकरण निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित हैं ।

7.2. भूमि के अनधिकृत दखल के मामलों को नियमित करने में श्रीमिथु का कम लगाना

नैनीताल जिले के तराई एवं भागर क्षेत्रों में सरकारी गम्पदाओं के दीर्घकालीन अनधिकृत दखल के मामलों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार रामग-रामग पर आदेश जारी करती रही ताकि सरकार को ऐसे

द खीलकारों से जो ऐसी जमीनों के इस्तेमाल से लाभ प्राप्त कर रहे थे, कुछ राजस्व प्राप्त हो जाये। राज्य सरकार ने विभिन्न शैक्षियों के लिए जून 1974 में प्रीमियम की विभिन्न दरें निर्धारित कीं जिनका सितम्बर 1975 में और उदार बना दिया गया। तदनुसार, उन दखीलकारों के मामलों का, जिनकी वैध जोत ही 10 एकड़ थी, सीलिंग की अधिकतम सीमा का ध्यान रखते हुए भूमि के अनधिकृत दखल के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम लेकर नियमित किया जाना अपेक्षित था।

ददरपुर तहसील (जिला नैनीताल) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1980) कि उक्त आदेश के जारी होने के पश्चात् भूमि के अनधिकृत दखल के नियमन के 15 मामलों में प्रीमियम 2,000 रुपए प्रति एकड़ से कम दरों पर प्रभारित किया गया, गैद्यणि ऐसे दखीलकारों की वैध जोत प्रत्येक मामले में 10 एकड़ से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप 0.74 लाख रुपए का प्रीमियम कम लगा।

लेखापरीक्षा (मार्च 1980) में इसके इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (मार्च 1980) कि प्रीमियम की पूर्ण धनराशि देय बकाया धनराशि के साथ बसूल कर ली जायेगी।

सरकार को मामले की सूचना मई 1980 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

7.3. ऐसी भूमि पर भू-राजस्व का निर्धारण न करना जहाँ जमींदारों उन्मूलित नहीं की गयी थी

उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के प्रविधानों के अनुसार, ऐसी भूमि को छाड़कर जो राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति रखे, अथवा उसके साथ हुए रामझाते रखे, अथवा तत्त्वगत प्रचलित किसी कानून के प्रविधानों द्वारा ऐसी देनदारी से पूर्णतः मुक्त कर दी गयी हों, सभी भूमि के लिए चाहे वह किसी भी रूप में प्रत्येक की जा रही हों और चाहे उहाँ कहीं भी स्थित हों, राज्य सरकार को राजस्व का भुगतान किया जाना है।

जिला जालौन में उरई तहसील के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1979) कि 98 हेक्टेयर भूमि पर, जहाँ जमींदारी उन्मूलित नहीं की गई थी, भू-राजस्व निर्धारित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1980) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (जनवरी 1981) कि 1360 फसली से 1387 फसली (जुलाई 1952 से जून 1980) की अवधि हेतु 23,600 रुपए की यांग सूचित कर दी गयी है और इसे फसली वर्ष 1387 (जुलाई 1979 से जून 1980) की जमावंदियों में शामिल कर लिया गया है। तब से 225 रुपए वसूत कर लिये गये हैं; शेष धनराशि की वसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

सरकार को मामले की सूचना मार्च 1981 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

7.4. मध्यवर्तीयों द्वारा धारित भूमि पर भूमि विकास-कर का न लगाना/करना लगाना

उत्तर प्रदेश भूगि विकास-कर अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत, मध्यवर्तीयों द्वारा अपनी निजी कृषि हेतु या "सीर", "खुदकाश" या बाय के रूप में धारित भूमियों पर पहली जुलाई 1971 से निर्धारित दरों पर भूमि विकास-कर लगाना था। पहली जुलाई 1976 से भू-राजस्व की अभिनवीकृत दरों के लागू होने के पश्चात् पहली जुलाई 1977 से यह कर रामाय हो गया।

जिन विभिन्न वर्गों में भूगि विकास-कर लागू था, उसका साधारण दृष्टिकोण यिन्हे प्रकार था :

(क) पहली जुलाई 1971 से 30 जून 1974 (फसली वर्ष 1379 से 1381)	देय माने गये भू-राजस्व का 150 प्रतिशत
(ख) पहली जुलाई 1974 से 30 जून 1976 (फसली वर्ष 1382 व 1383)	देय माने गये भू-राजस्व का 250 प्रतिशत
(ग) पहली जुलाई 1976 से 30 जून 1977 (फसली वर्ष 1384)	माने गये भू-राजस्व का 100 प्रतिशत

मध्यवर्तीयों पर भूगि विकास-कर के न लगाने के मामलों का उल्लेख भारत के नियंत्रक-महाविष्वारीकार के वर्ष 1976-77 तथा 1978-79 के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के क्रमानुसार 7.7 और 7.2 में किया गया था।

(1) तहसीलदार, सदर, जिला कानपुर, के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1980) कि भूगि विकास-

कर की उपर्युक्त दर^१ 1379 फसली से 1384 फसली (जुलाई 1971 से जून 1977) की अवधि के दौरान विभाग द्वारा रही ढंग से नहीं लगाई गयी। इसके फलस्वरूप 44,433 रुपए कम लगे।

लेखापरीक्षा में (दिसम्बर 1980) इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने सूचित किया (अगस्त 1981) कि 16 गांवों में 122 खाते भूगि विकास-कर से गलती से मुक्त कर दिए गए थे क्योंकि उन पर वे दर^१ लगाई गई जो जमीदारी उन्मूलित क्षेत्र में लागू थीं और 8 गांवों में 9 खातों पर भूगि विकास-कर लगने से छूट गया था। परिणामस्वरूप 1379 से 1384 फसली वर्ष से संबंधित 46,575 रुपये की अतिरिक्त मांग विभाग द्वारा 1388 फसली (जुलाई 1980 से जून 1981) की जमावंदियों में वसूली हते सृजित कर दी गयी।

सरकार ने, जिरो मामले की सूचना दिसम्बर 1980 में दी गई, वताया (सितम्बर 1981) कि यदि रवी 1387 फसली या खरीफ 1388 फसली (जनवरी 1980 से जून 1980 अथवा जुलाई 1980 से दिसम्बर 1980) की किसी फसल में बाढ़/सूखे के कारण हानि 50 प्रतिशत या उससे ऊपर हुई तो बकायों की वसूली 6 अर्धवार्षिक किस्तों में और यदि रवी 1387 फसली या खरीफ 1388 फसली में हानि 50 प्रतिशत से कम हुई तो 3 अर्धवार्षिक किस्तों में की जायेगी।

(2) तहसील मोहम्मदाबाद गोहना (जिला आजमगढ़) की खितम्बर 1979 में लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि पहली जुलाई 1971 से 30 जून 1977 की अवधि हते उक्त कर 16 गांवों के मध्यवर्तीयों से वसूल नहीं किया गया। जब इसे लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (नवम्बर 1979), तो विभाग ने सूचित किया (अगस्त 1980) कि 10,099 रुपयों की मांग सृजित कर दी गई है और फसली वर्ष 1387 (पहली जुलाई 1979 से 30 जून 1980 की अवधि) के बकायों की मांग में शामिल कर ली गयी है, परन्तु सूखे की स्थिति के कारण वसूली स्थगित कर दी गई है।

सरकार ने, जिरो मामले की सूचना नवम्बर 1979 में दी गयी थी, अक्टूबर 1980 में तथ्यों की पुष्टि कर दी गई यह भी सूचित किया (जुलाई 1981) कि गत बाढ़ों/सूखों को विचार

में रखकर दिसम्बर 1980 में आदेश जारी किये गये कि उपर्युक्त कृषि वकायों की वसूली अर्ध-वार्षिक किस्तों में डेढ़ रोटीन वर्षों की अवधि में कर ली जाये और यह कि सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर लिये जाने की सम्भावना है ।

7.5. भू-राजस्व की गांग कथा निकालना

उत्तर प्रदेश भूमि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संबंधित उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1950, के अन्तर्गत, 3.125 एकड़ भूमि तक के खातेदार पहली जुलाई 1977 (1385 फसली) से प्रारम्भ होने वाले कृषि-वर्ष से भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त कर दिए यए थे । फसली वर्ष 1385 और 1386 के दौरान दर्रों डॉर शातों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः किसी तहसील के भू-राजस्व की कुल गांग दोनों वर्षों में लगभग एक होनी चाहिए थी ।

वह सीलदार, डेरापुर (जिला कानपुर) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान वह देखा गया (मार्च 1979) कि कृषि वर्ष पहली जुलाई 1977 से 30 जून 1978 (1385 फसली) से संबंधित भू-राजस्व की गांग 15,44,401 रुपये थी तथा कृषि वर्ष पहली जुलाई 1978 से 30 जून 1979 (1386 फसली) हेतु निकाली गई भू-राजस्व की गांग 15,60,889 रुपए थी । 1386 फसली की तुलना में वर्ष 1385 फसली में भू-राजस्व की गांग 16,488 रुपए कम निकाली गयी ।

लेखापरीक्षा (मई 1979) में इसके इंगित करने पर, विभाग ने सूचित किया (जुलाई 1981) कि 61 गांवों में 663 खातों के सम्बन्ध में 16,488 रुपए के भू-राजस्व की गांग जो गतती से वर्ष 1385 फसली हेतु पिकालगे से रह गयी थी वर्ष 1388 फसली (जुलाई 1980 से जून 1981) की जमावंदियों में वसूली के लिये शामिल कर ली गयी है ।

सरकार को सामले की सूचना अगस्त 1981 में दी गई । सरकार ने सूचित किया (दिसम्बर 1981) कि बाड़/सूखे के कारण इन कृषि दियों की वसूली 6 में 3 छ माही किस्तों में की जानी थी और यह कि 16,488 रुपयों में से, 2,748 रुपयों की धनराशि पहली किस्त के रूप में वसूल कर ली गयी है तथा भू-राजस्व के कम निर्धारण हेतु जिम्मेदार कर्त्ताओं के विरोध कार्यवाही की जा रही है ।

एष्ड-वा

विद्युत विभाग

विद्युत शुल्क

7.6. घरेलू प्रशोधनार्थी पिंडित उर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क का अद्विधारण

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952, के अन्तर्गत, औद्योगिक या प्रेरक शक्ति (मोटिव पावर) के अतिरिक्त प्रयोजनों के लिये, विद्युत प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता को बेची गयी उर्जा पर विद्युत शुल्क, उर्जा प्रभार के 25 प्रतिशत की दर से लगता है यदि उर्जा प्रभार 24 ऐसे गति यूनिट तक है।

फालपर जोन में दो विद्युत प्राधिकारियों के विद्युत शुल्क के लंबाँ की सेवाप्रीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसंबर 1980) कि प्रतिरक्षा विभाग के अधिकारियों के आवासीन परिसरों में घरेलू प्रयोजनों के लिये उपभुक्त उर्जा पर केवल 2 ऐसे प्रति यूनिट का शुल्क लगाया गया, जबकि ऐसी आपूर्ति के लिये लगाए गए 22 ऐसे प्रति यूनिट के उर्जा प्रभार पर 25 प्रतिशत के हिसाब से शुल्क 5.5 ऐसे प्रति यूनिट की दर से लगाना चाहिए था। शुल्क की निम्नतर दर लगाने गए जुलाई 1975 से जुलाई 1980 की अवधि के सम्बन्ध में, उन परिसरों के मालिन गए, तिनके लिये भीटर रीडिंग के बगिलें उपलब्ध थे, 10.76 लाख यूनिट उर्जा के उपभोग पर आगणित 37,666 रुपए का शुल्क कम लगा।

सरकार को मामले की सूचना जनवरी 1981 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

7.7. विद्युत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर व्याज का वसूलन किया जाना।

पहली गितम्बर 1970 से गंशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी की गयी एक अधिसूचना के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा आगे स्वयं के प्रजगन सूते से प्राप्त उर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क एक ऐसा प्रति यूनिट की दर से लगता है। जिस माह में भीटर रीडिंग अंकित की जाती है, उस माह की समाप्ति के पश्चात् दो कलेन्डर माह के अन्दर शुल्क देय है। किन्तु जहाँ व्यक्तियों द्वारा उर्जा का उपभोग विना भीटर लगाए किया

जाता है, वहां देय शुल्क का आगणन उप-विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाना होता है और उसका भुगतान मासिक अन्तराल पर नियमित रूप से उसी प्रकार किया जाना होता है जैसा कि उन मामलों में किया जाता है जहां सीटर लगे हैं। यदि राज्य सरकार को विद्युत शुल्क का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया जाता, तो भुगतान न की गयी विद्युत शुल्क की धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्रभार्य है जो प्रत्येक माह की समाप्ति के सात दिनों के अन्दर, जिसके लिये ब्याज प्रभार्य है, देय है।

सहायक विद्युत निरीक्षक, गोण्डा, के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1980) कि अपने स्वयं के प्रजनन स्रोत से प्राप्त उर्जा का उपभोग करने वाली दो चीनी मिलों ने 1975 में समादद्यां-याचिकायें दाखिल कीं जिनमें अपने स्वयं के प्रजनन स्रोत से प्राप्त उर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क के भुगतान हेतु सांविधिक (स्टेच्यूटरी) प्रविधानों को चुनाती दी गयी थी। ये याचिकाएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 9 नवम्बर 1978 को खारिज कर दी गयीं, और मिलों ने अक्तूबर 1974 से नवम्बर 1978 की अवधि से संबंधित 0.52 लाख रुपए का विद्युत शुल्क मई और अगस्त 1980 के बीच जमा किया। परन्तु विभाग द्वारा विद्युत शुल्क की धनराशि पर उस अवधि के लिए, जब से वह देय थी और जब उसका भुगतान किया गया, देय ब्याज की मांग करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे ब्याज की धनराशि 0.31 लाख रुपए बनती है।

लेखापरीक्षा (अक्तूबर 1980) में इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया कि ब्याज वसूलने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। वसूली के विवरणों की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

सरकार को मामले की सूचना नवम्बर 1980 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

अध्याय 8

वन विभाग

दन प्राप्तियां

8.1. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,94,413 वर्ग किलोमीटर है। 31 मार्च 1979 को वन आच्छादित क्षेत्र 51,092.33 वर्ग किलोमीटर था जो राज्य के कुल क्षेत्र का 17.35 प्रतिशत था।

31 मार्च 1979 को राज्य में वन क्षेत्र का विभाजन निम्नवत् रहा :

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)	राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशतता
----------------------------------	---

1. वन विभाग के नियंत्रण में क्षेत्र

आरक्षित	34,411.39
रक्षित	216.77
अवगोकृत तथा	
निहित	<u>6,177.41</u>
योग ..	<u>40,805.57</u>
	13.86

2. वन विभाग के नियंत्रण के बाहर का क्षेत्र

सिविल एवं	
सायम वन	7,606.50
पंचायत वन	2,447.64
निजी वन	166.27
नगरपालिका, कैन्टनमेन्ट तथा	
अन्य वन	<u>66.35</u>
योग ..	<u>10,286.76</u>
कुल योग ..	<u>51,092.33</u>
	<u>3.49</u>
	<u>17.35</u>

नोट—आंकड़े केवल 1978-79 तक वन विभाग द्वारा दिये गये हैं
(अक्टूबर 1981)।

वन राजस्व मूल्यतः प्रधान तथा गौण वन उपज की विकी से प्राप्त होता है। प्रधान वन उपज में इमारती लकड़ी तथा इंधन और गौण वन उपज में लीसा, तेंदु पत्ते, कत्था, छास, बांस, बोल्डर, बजरी, पत्थर इत्यादि शामिल है। 1976-77 से 1978-79 वर्षों हेतु प्रधान तथा गौण वन उपज के उत्पादन और मूल्य के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

प्रधान वन उपजः

उत्पादन

दर्शि

इमारती लकड़ी

इंधन

(लाख वन मीटर में)

(1)	(2)	(3)
1976-77	1,18,72. 93	2,09,17. 42
1977-78	1,18,38. 31	2,45,65. 53
1978-79	1,14,94. 14	2,35,52. 74

मूल्य

कुल वन उपज

कुल वन उपज

इमारती लकड़ी

इंधन

का मूल्य

के मूल्य से

(लाख रुपयों में)

(लाख रुपयों में)

इमारती लकड़ी के

मूल्य की प्रति-

शतता

(4)	(5)	(6)	(7)
27,31. 64	1,29. 19	37,54. 18	72. 96
33,24. 26	1,23. 69	43,19. 09	76. 96
36,19. 49	1,42. 41	47,79. 76	75. 72

गौण वन उपज

मद

उत्पादन
(लाख कुन्तलों में)

		1976-77	1977-78	1978-79
लीसा	..	2. 10	1. 56	1. 30
तेंदू पत्ते	..	1. 85	1. 73	2. 35
कत्था एवं खैर गिर्दा	..	0. 31	0. 52	0. 67
अन्य विविध वन उपज

मल्य
(लाख रुपयों में)

	1976-77	1977-78	1978-79
लीसा	3,37.81	3,24.69	3,70.01
तेंदू पत्ते	2,70.74	2,58.91	2,48.98
कत्था एवं खैर गिर्दा	36.14	86.41	1,30.33
अन्य विविध वन उपज	2,48.67	2,01.13	2,68.57

इमारती लकड़ी राज्य के वन राजस्व का प्रमुख स्रोत है। यद्यपि लाटों की नीलामी में उच्चतर कीमत प्राप्त होने के कारण 1976-77 की तुलना में वर्ष 1978-79 में इमारती लकड़ी की कुल राजस्व प्राप्तियां 27.32 प्रतिशत अधिक थीं, किन्तु वर्ष के इमारती लकड़ी के उत्पादन में (1,14,94.14 लाख घन मीटर) 1976-77 के उत्पादन (1,18,72.93 लाख घन मीटर) की तुलना में 3.19 प्रतिशत की कमी आई।

लीसे एक महत्वपूर्ण गाँण-वन उपज है। लीसे के उत्पादन में लगतार गिरावट आई है। एक (वन) वृक्ष में ही लीसे का उत्पादन 1975-76 में 0.48 लाख कुन्तल से घट कर 1978-79 में 0.10 लाख कुन्तल हो गया तथा तीन अन्य प्रभागों में लीसे का निकालना 1975 फसल में पांच बवाहों के लिये रोक दिया गया था। इन प्रभागों में, वृक्षों के तनों पर नालियाँ के आकार व उनके आपसी अन्तर और साथ ही कोमल वृक्षों पर नालियाँ बनने से संबंधित लीसा निकालने के नियमों का पालन नहीं किया गया था और उनकी क्षतिपूर्ति के लिये विराम आवश्यक समझा गया।

तेंदू के पत्ते विभाग के राजस्व का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। तेंदू-पत्तों की मांग और उनके उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, प्रति कुन्तल राजस्व की वसूली, जैसा कि नीचे की सारणी से प्रतीत होगा, कम हो गई है :

वर्ष	प्रति कुन्तल वसूली (रुपये)
1976-77	146.20
1977-78	150.00
1978-79	105.95

वर्ष 1980-81 के दौरान, प्रभागीय अभिलेखों के टेस्ट आडिट में अनियमितताओं के अनेक दृष्टित सामने आये जो मोटे तौर से निम्न प्रकार वर्गीकृत हैं :

	मदों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
1. वन उपज का रियायती दरों पर आवंटन	2	1,13.08
2. अर्थदण्ड का न लगाना/कम लगाना	15	20.58
3. लीसा के निकालने तथा विक्रय में अनियमिततायें	3	6.22
4. तेंदू-पत्तों के संग्रह तथा विक्रय में अनियमिततायें	7	6.90
5. विविध	<hr/> 24	<hr/> 23.88
योग ..	51	1,70.66

लेखापरीक्षा में दखें गये कुछ रूचिकर मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं :

8.2. सरकार के राजस्व का गवन

उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य बन उपज की अभिवहन नियमावली, 1978 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया (सितम्बर 1978) कि नियमावली के अधीन स्थापित की गयी बन जांच चौकियों/डिपों पर अभिवहन शुल्क का भुगतान किये दिना कार्ड भी बन उपज उत्तर प्रदेश राज्य में या राज्य से बाहर अथवा राज्य के भीतर नहीं आ/जा सकेगी। प्रभागीय बन अधिकारी, उत्तरी मिर्जापुर ने एक ऐसी बन जांच चौकी इलाहाबाद राजि (रैंज) में इलाहाबाद-रीवां तथा इलाहाबाद-बांदा मार्गों के संधिस्थल गोहनिया पर स्थापित की। जांच चौकी के निकास मोहर्रिंर को अभिवहन रसीद बुकें दी गई थीं और विभाग द्वारा उसे प्राधिकृत किया गया था कि वह उनसे अभिवहन-शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशियों के लिये रसीदों काटे जो बन उपज के प्रति लारी-लोड पर 35 रुपये की दर से लगाई जा रही थी। अभिवहन शुल्क के संग्रह पर प्रति-परीक्षण के लिये यमुना पुल के निकट “रीवां जांच चौकी” नामक एक अन्य जांच चौकी स्थापित की गयी ताकि गोहनियां जांच चौकी से होकर इलाहाबाद की ओर आने वाली सभी गाड़ियों का अभिलेख रखा जा सके।

राजि अधिकारी, इलाहाबाद, ने जुलाई 1980 में प्रभागीय बन अधिकारी, उत्तरी मिर्जापुर को सूचित किया कि एक रसीद-बुक, जो इलाहाबाद राजि कार्यालय से चुराई गई पाई गई थी, गोहनिया सीमा पर प्रयोग की गई और उस पर संग्रहीत राजस्व का गवन कर लिया गया। मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी गई।

विभागीय जांच-पड़ताल के उपरान्त प्रभागीय बन अधिकारी ने जनवरी 1981 में अरण्यपाल को सूचित किया कि 42 जाली रसीद बुकों एवं कुछ दोहरी (डुप्लिकेट) रसीद बुकों पर जारी की गई लगभग 476 रसीदों के समक्ष निकास मोहर्रिंर द्वारा वसूल किये गये 1.64 लाख रुपयों का सरकारी राजस्व निकास मोहर्रिंर द्वारा गवन कर लिया गया था जिसे (मुहर्रिंर को) उस समय तक स्थानान्तरित कर दिया गया।

उक्त दो जांच चौकियों पर रखे गये अभिलेखों के साथ-साथ प्रभागीय व राजि कार्यालयों के अभिलेखों के टेस्ट आइट (अप्रैल 1981) में पता चला कि नीचे दिए विवरणों के अनुसार, नवम्बर 1979 तथा जुलाई 1980 के बीच निकास मोहर्रिंर द्वारा वसूल किये गये 3.21 लाख रुपयों

के सरकारी राजस्व का अभिलेखों में समावेश नहीं किया गया और इस प्रकार उसका गवन कर लिया गया :

ऋग संख्या	गवन की श्रेणी	निहित रसीद बुकों पर की संख्या	रसीद बुकों पर संग्रहीत राजस्व	लेखे में जमा किया गया राजस्व	गवन
--------------	---------------	---	--	--	-----

(लाख रुपयों में)

1. गोहनिया जांच चौकी को प्रभाग/राजि कार्यालय द्वारा न दी गई जाली मुद्रित रसीद बुकों पर संग्रहीत राजस्व	51	1.78	0.14	1.64
2. असली रसीद बुकों के साथ- साथ प्रयोग की गई दोहरी रसीद बुकों पर संग्रहीत राजस्व	45	1.57	शून्य	1.57
योग ..	96	3.35	0.14	3.21

गवन सरलता से हो गया क्योंकि मुख्य अरण्यपाल द्वारा निर्धारित (फरवरी 1979) रसीद बुकों के प्राप्त करने, जारी करने व प्रयोग करने सं सम्बन्धित कार्यविधि निम्न मामलों में नहीं अपनाई गई :

(1) रसीद बुक के फार्म अरण्यपाल के स्तर पर न छपवाकर प्रभाग द्वारा स्थानीय रूप से छपवा लिये गये थे (फरवरी 1979 तथा जूलाई 1980) न कि मुख्य अरण्यपाल के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जैसा अपेक्षित था, रसीद बुकों में कोई अलग से कूट-संख्या (कोड नम्बर) का प्रविधान नहीं किया गया था ।

(2) उप प्रभागीय अधिकारी द्वारा रसीद बुकों के पृष्ठ गिनने का प्रमाण पत्र संलग्न कारे पृष्ठ (फ्लाई लीफ) पर अंकित नहीं किया गया। रसीद बुकों भी उसने अपने पास व्यक्तिगत रूप से नहीं रखी थीं ।

(3) रसीद बुकों का लेखा स्टोर-कीपर द्वारा रखा गया था, न कि उप प्रभागीय अधिकारी द्वारा ।

(4) प्रभागीय मूहर तथा उप प्रभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर रसीद बुक के प्रत्येक पृष्ठ पर जारी करने के पूर्व नहीं किये गये थे ।

(5) राजि अधिकारी के मांग-चत्र तथा उप प्रभागीय अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना और साथ ही यह सुनिश्चित किये बिना कि पहले से जारी की गयी रसीद बुकों का उचित लेखा प्राप्त हो गया है और प्रयोग की गयी रसीद बुकों के प्रतिपर्ण बापस कर दिए गये हैं बिना मोहर लगी एवं अहस्ताक्षरित रसीद बुके स्टोरकीपर द्वारा जारी कर दी गई ।

प्रभागीय स्तर पर उपर्युक्त कार्यविधि सम्बन्धी चूकों के अतिरिक्त, यह देखा गया कि राजि कार्यालय द्वारा रसीद बुकों की प्राप्ति तथा जारी करने की कोई उचित प्रणाली नहीं अपनाई गई थी । गोहनिया जांच चौकी पर तीनात निकास मोहर्रिर को और साथ ही गेटमैन और नैमित्तिक मजदूर जैसे अप्राधिकृत व्यक्तियों को भी रसीद बुके राजि लिपिक द्वारा जारी की गयीं न कि राजि अधिकारी द्वारा । पुनः, गोहनिया जांच चौकी को राजि कार्यालय द्वारा रसीद बुके जारी की गयीं थीं जिन पर राजि कार्यालय की माहूर तां लगी थी परन्तु राजि अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही यह सुनिश्चित किया गया था कि पहले से जारी की गई रसीद बुकों प्रयोग कर ली गयी है और उन रसीद बुकों पर संग्रहीत राजस्व राजि कार्यालय में उचित ढंग से जमा कर दिया गया है । जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट था कि जांच चौकी पर संग्रहीत अभिवहन शुल्क एवं संग्रह की तिथि से दो से छः मास पश्चात् राजि कार्यालय में जमा किया जा रहा था, रसीद बुकों के लेखों के उचित रख-रखाव तथा निकास मोहर्रिर द्वारा राजस्व के संग्रह एवं प्रेषण पर भी राजि अधिकारी द्वारा कोई नियंत्रण नहीं रखा गया ।

प्रभागीय बन अधिकारी ने सूचित किया (अप्रैल 1981) कि राजि अधिकारी, राजि लिपिक, एक बनपाल तथा तीन निकास मोहर्रिर निलम्बित कर दिए गए हैं (जुलाई 1980) और यह कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

सरकार को मामले की सूचना अगस्त 1981 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

8.3. नियमों तथा आदेशों का पालन न करने के कारण राजस्व की हार्दिकता

(1) मिर्जापुर के एक वन प्रभाग की एक तोंदू पत्ता इकाई (अनुमानित मात्रा : 1,000 मानक बोरे) उच्चतम निविदादाता को, जिसने मई 1979 में अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर किया था, 0.75 लाख रुपयों में वेची गयी (अप्रैल 1979)। निविदादाता ने 0.11 लाख रुपये पेशगी में जमा कर दिए (मई 1979)। शेष 0.64 लाख रुपये का भुगतान जून, अक्टूबर तथा नवम्बर 1979 में देय तीन समान किस्तों में करना था। विक्रय मूल्य के प्रति 0.11 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान करने पर, निविदादाता को तोंदू पत्तों को एक गोदाम में रखने की स्वीकृति दी गयी (मई 1979) जिसका नियंत्रण प्रभागीय अधिकारी के अन्तर्गत था।

निविदा सूचना के उपबोक्य 17 (2) के अनुसार, निविदादाता को 0.22 लाख रुपये की जमानत नकद या राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्र के रूप में या प्रभागीय वन अधिकारी के नाम बंधक करके सरकार की लघु बचत परियोजनाओं के अन्तर्गत निवेश (इन्वेस्टमेंट) के किसी अन्य रूप में जमा करना था। इन प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए, प्रभागीय अधिकारी ने निविदादाता द्वारा बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत 0.22 लाख रुपये की जमानत स्वीकार कर लिया (मई 1979)।

जून 1979 और फरवरी 1980 के बीच निविदादाता ने 0.64 लाख रुपये के शेष क्रय मूल्य के समक्ष 0.42 लाख रुपये का भुगतान किया। 28 फरवरी 1980 को 0.22 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान होना शेष था।

दक्षिणी वृत्त के अरण्यपाल के स्थायी आदेशों (जूलाई 1971) के अनुसार, देयों के अग्रिम भगतान के बिना किसी भी लाट से निकासी प्राधिकृत नहीं की जानी चाहिए तथा जमानत की धनराशि को विक्रय मूल्य के समक्ष देयों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन आदेशों के विपरीत, यह देखा गया (अप्रैल 1981) कि 0.22 लाख रुपये के विक्रय मूल्य का भुगतान शेष रहने पर भी निविदादाता को गोदाम से परे पत्तों (1,000 मानक बोरे) की निकासी करने की स्वीकृति दी गयी (जून 1979 और जनवरी 1980 के बीच)।

चूंकि 0.22 लाख रुपयों की बैंक गारन्टी उक्त ठेकेदार को बैंक द्वारा जारी नहीं की गयी थी अतः वह भुनाई नहीं जा सकी। जिन राजस्व प्राधिकारियों को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया था (जूलाई

1980) उन्होंने सूचना दी कि चूंकि ठेकेदार के नाम में कोई चल या अचल सम्पत्ति नहीं थी, वसूली नहीं की जा सकी ।

विभागीय आदेशों के अनुसार, निविदायें केवल ऐसे ठेकेदारों से प्राप्त करनी चाहिए जो विभाग द्वारा, उनके परिचय, पते तथा वित्तीय स्थिति के सत्यापन के पश्चात्, पंजीकृत किये गये हों। यदि इन आदेशों का पालन किया गया होता तो इस मामले में ठेकेदार को खोज निकालने और देयों की वसूली करने में कोई कठिनाई न होती ।

इस मामले में अब तक (मार्च 1981) कोई दीवानी या फौजदारी कार्यवाही नहीं की गई ।

सरकार को मामले की सूचना जूलाई 1981 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

(2) एक अन्य मामले में, ओबरा स्थित एक बन प्रभाग की दो तेंदू पत्ता इकाइयां (अनुमानित मात्रा: 2,100 मानक बोरे) केवल एक ठेकेदार को 2.20 लाख रुपए में बेची गई (फरवरी 1979) । निविदा सूचना के अनुसार, निविदादाता को 0.66 लाख रुपये की जमानत गकद या राष्ट्रीय योजना प्रभान्य-पत्रों के रूप में या प्रभागीय बन अधिकारी के नाम में विधिवत वंधक की गयी सरकार की लघु बचत परियोजनाओं के अन्तर्गत निवेशों के अन्य रूपों में जमा करना था । इन प्रविधानों के विपरीत, प्रभागीय अधिकारी ने निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी के रूप में 0.66 लाख रुपए की जमानत स्वीकार कर ली । अनुबन्ध अप्रैल 1979 में निष्पादित किया गया और दोनों इकाइयों के लिये कार्यादेश क्रमशः अप्रैल तथा मई 1979 में दिए गये । विक्रय मूल्य के प्रति 0.33 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान किये जाने पर, ठेकेदार को तेंदू पत्ते उसके अपने गोदाम में रखने की स्वीकृति दे दी गयी जिसके नियंत्रण विभाग के पास था । 1.87 लाख रुपए के शेष विक्रय मूल्य का भुगतान ठेकेदार को जून, अक्टूबर तथा नवम्बर 1979 में देय तीन समान किस्तों में करना था । जून 1979 में, भण्डार गृह में तेंदू पत्तों के 2,270 मानक बोरे रखे गये थे ।

ठेकेदार ने किसी भी किस्त का भुगतान निश्चित तिथियों पर नहीं किया । तथापि, दिसम्बर 1979 में एक इकाई के विक्रय मूल्य के प्रति निविदादाता ने 0.19 लाख रुपये का भुगतान किया जिसके समक्ष उसको तेंदू पत्तों के 266 मानक बोरों की निकासी की स्वीकृति दे दी गयी । उसके पश्चात् ठेकेदार द्वारा मिर्जापुर के एक बैंक (बैंक गारन्टी जारी करने वाले बैंक से भिन्न) के देयों का भुगतान न करने के कारण उस बैंक द्वारा गोदाम का ताला सील कर दिया गया (28 दिसम्बर

1979)। प्रभाग ने बैंक के साथ यह मामला उठाया परन्तु सील हटाई नहीं गई।

ठेकेदार द्वारा दी गयी बैंक गारन्टी को भुनाने आरं धनराशि बैंक द्वापट द्वारा प्रेषित करने के लिये प्रभागीय अधिकारी ने बैंक प्राधिकारियों से निवेदन किया (जनवरी 1980), परन्तु बैंक ने बताया (फरवरी 1980) कि मामला संबंधित पार्टी के साथ पत्राचार के अधीन है। इस बीच बकाया देयों के कोषागार में जमा कर दिए जाने के समर्थन में, गोदाम प्रभारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, 1.96 लाख रुपयों के तीन ट्रंजरी चालान ठेकेदार ने प्रभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किये (20 फरवरी 1980) और बैंक गारन्टी वापस किये जाने के लिये अनुरोध किया। यद्यपि ठेके समाप्त होने के पश्चात् छः माह तक तथा भंडार गृह में रखे माल हत्ते विवादग्रस्त दावे के तथा होने तक जमानत वापस करने का नियमों में कोई प्रविधान नहीं था, फिर भी प्रभागीय अधिकारी ने गोदाम प्रभारी को, चालान दने के दिन, अर्थात् 20 फरवरी 1980 को बैंक गारन्टी इन अनुदेशों के साथ दे दिया कि जमा की गयी धनराशियों की प्रामाणिकता की जांच करके वह इसे ठेकेदार को दे दे और गोदाम में जब्त माल भी मुक्त कर दे। गोदाम प्रभारी ने सूचित किया (22 फरवरी 1980) कि 20 फरवरी 1980 को जब वह सत्यापन हत्ते ठेकेदार के साथ उसकी जीण में आवेरा से मिर्जापुर जा रहा था तो ठेकेदार ने उसके बैंग से किसी प्रकार बैंक गारन्टी निकाल ली और उसे 21 फरवरी 1980 को बैंक से भुना लिया। जैसा प्रभागीय अधिकारी द्वारा अरण्यपाल को सूचित किया गया (अगस्त 1980), ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये 1.96 लाख रुपयों के तीन चालान जाली पाये गये।

प्रभागीय अधिकारी ने मिर्जापुर के कलेक्टर को ठेकेदार से 2.00 लाख रुपये (विक्रय मूल्य: 1.68 लाख रुपये, विक्री-कर: 0.15 लाख रुपए तथा विलम्ब शुल्क: 0.17 लाख रुपए) भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने के लिये एक वसूली प्रमाण-पत्र भेजा (अप्रैल 1980)। परन्तु वसूली प्रमाण-पत्र कलेक्टर ने यह बताते हुए वापस कर दिया (नवम्बर 1980) कि ठेकेदार की मृत्यु हो गयी है, साफेदारों की सम्पत्ति, नाम तथा पतों के विवरण उसमें अंकित नहीं है और दिवंगत व्यक्ति के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि वसूली प्रमाण-पत्र संशोधित न कर दिया जाये। देयों की वसूली अब तक (अगस्त 1981) नहीं की गयी है।

प्रभागीय अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1981) कि विमोचन आदेश के बिना बैंक द्वारा बैंक गारन्टी का भुगतान कर दिये जाने के

लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले में विभाग की सहायता करने से अपनी असमर्थता प्रकट की है और यह कि विधिक कार्यवाही द्वारा मामले के निवारण हेतु जिला राजकीय अभिवक्ता की राय ली जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया (जनवरी 1982) कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमीशन द्वारा नवम्बर 1980 में जब गोदाम खोला गया, तेंदू पत्तों के केवल 184 मानक वोरे (जिनका मूल्य गोदाम में बहुत अरसे से पड़े रहने के कारण कुछ भी नहीं रह गया था) पाये गये जो अब भी कोर्ट के कब्जे में थे। गोदाम से तेंदू-पत्तों की हानि विवाद ग्रस्त बताई गई है जिसके लिये बैंक के विरुद्ध जनवरी 1981 में एक मामला कोर्ट में दायर किया गया है।

इस मामले में विभाग को 2.66 लाख रुपयों के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

सरकार को मामले की सूचना सितम्बर 1981 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

8.4. आरा मिलों का पंजीकरण न किये जाने के कारण बकाया राजस्व

पहली बगस्त 1978 को सरकार द्वारा लागू तथा प्रकाशित की गयी उत्तर प्रदेश आरा मिल प्रतिष्ठान एवं नियमन नियमावली, 1978 में प्रविधान था कि किसी भी आरक्षित अथवा रक्षित वन के 80 किलोमीटर की परिधि के भीतर कोई भी व्यक्ति, सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किये बिना, टिम्बर और लकड़ी रूपान्तरित करने या काटने के लिये आरा मिल या मशीन नहीं स्थापित करेगा या लगायेगा या मौजूद आरा मिल या मशीन नहीं चलायेगा। नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत या नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस एक कलेण्डर वर्ष तक अथवा जारी किये जाने या नवीकरण की तिथि से अगले 31 दिसम्बर तक वैध रहेगा। लाइसेंसों की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आरा मिल की प्रत्येक इकाई के लिये 250 रुपये वार्षिक फीस भी प्रार्थियों/लाइसेंसधारियों द्वारा देय है जो वन विभाग के राजस्व में जमा की जानी है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1981 तथा अक्टूबर 1981 के मध्य) कि अगस्त 1978 में जारी किये गये सरकार के आदेश वन प्रभागों द्वारा शीघ्रता से कार्यान्वयन नहीं किये गये। पन्द्रह वन प्रभागों द्वारा किये गये सर्वेक्षण (1980 तथा 1981 के मध्य) से पता चला कि लगभग 1,100 आरा मिलों सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त किये बिना चल रही थीं। इस प्रकार, इन मिलों के स्वामियों से लाइसेंसों की स्वीकृति या उनके नवीकरण हेतु वार्षिक फीस (250 रुपये

प्रति इकाई¹) वसूल नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप, नीचे दिये विवरणों के अनुसार, बिभाग 5.71 लाख रुपयों के राजस्व से वंचित रह गया।

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	चालु आरो मिलों की संख्या	वर्ष जिनके लिए लाइसेन्स नहीं दिया गया न नवीकृत गया	वर्षों की संख्या जिनके हेतु वार्षिक फीस वसूल नहीं की गई	बकाया पंजी- करण फीस (लाख रुपयों में)	
1	2	3	4	5	6	
1.	दक्षिण दोआब वन प्रभाग, इटावा	129	1978, 1979 तथा 1980	3	0.97	
2.	सामाजिक वन प्रभाग, अलीगढ़	96	1978, 1979 तथा 1980	3	0.72	
3.	उत्तर मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर	72	1978, 1979 तथा 1980	3	0.54	
4.	सामाजिक वन प्रभाग, जौनपुर	67	1978, 1979 तथा 1980	3	0.50	
5.	दक्षिण गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर	72	1978 तथा 1979	2	0.36	
6.	हनीरपुर वन प्रभाग, हमारपुर	91	1980	1	0.23	
7.	पूर्व बहराइच वन प्रभाग, बहराइच	45	1978, 1979 तथा 1980	3	0.34	
7.	पूर्व बहराइच वन प्रभाग, बहराइच	55	1978 तथा 1979	2	0.28	
8.	सामाजिक वन प्रभाग, आजमगढ़	36	1980	1	0.09	
		36	1978, 1979 तथा 1980	3	0.27	

9.	खड्ड उद्धार प्रभाग, आगरा	22	1978 तथा 1979	2	0.11
		18	1980	1	0.03
10.	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर	9	1978 तथा 1979	2	0.05
		21	1980	1	0.05
11.	रामनगर वन प्रभाग, वाराणसी	10	1978 तथा 1979	2	0.05
		5	1980	1	0.01
12.	दुड़ी वन प्रभाग, मिर्जापुर	5	1978, 1979 तथा 1980	3	0.04
13.	सामाजिक वन प्रभाग, फैजाबाद	103	1978	1	0.26
		117	1979 तथा 1980	2	0.58
14.	तराई प्रधान वन प्रभाग, हल्दानी	47	1978	1	0.12
		28	1980	1	0.07
15.	पश्चिम देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	5	1979	1	0.01
		11	1980	1	0.03
	योग ..	1,100			5.71

सरकार को मामले की सूचना जून 1981 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

8.5. इमारती लकड़ी (टिम्बर) के लाठों के अधिक मूल्यांकन के कारण राजस्व की हीन

हल्दानी में एक वन प्रभाग के बीस टिम्बर लाट (अनुमानित मूल्य: 22.30 लाख रुपये) 1978-79 कार्य-मौसम के दौरान नहीं बेचे जा सके वयोंकि सामान्य नीलाम में लगीं (अक्तूबर 1978) अलग-अलग बोलियाँ (15.03 लाख रुपये) अनुमानित मूल्य से काफी कम थीं। वे ही लाट फिर से 1979-80 कार्य-मौसम की विक्रय-सूची में अधिसूचित किये गये। परन्तु इन लाठों के मूल्यों के अनुमान कम करके 9.31 लाख रुपये कर दिये गये (1978-79 अनुमान का 42 प्रतिशत) वयोंकि प्रभागीय वन

अधिकारी के अनुसार (जनवरी 1980) 1978-79 में हुए नीलाम हेतु तैयार किये गये बन्दूमान निम्नलिखित कारणों से वास्तविकता से परे थे:

(क) जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित था विगत वर्ष के दर्बारन बचे गये तुलनात्मक लाटों के बजाय वे संलग्न लाटों की रायलटी पर आधारित थे;

(ख) संलग्न तथा तुलनात्मक लाटों की अलग-अलग विभिन्नतायें, संलग्न लाटों की रायलटी को तुलनात्मक बनाने के लिये ध्यान में नहीं रखी गई;

(ग) इन्धन, कोयला आदि के रियायती मूल्य पर आवंटन के कारण बाजार मूल्य से अन्तर हेतु लाटों के मूल्य में कटौतियां नहीं की गयी थीं।

एक के सिवा सभी लाट 1979-80 के मूल्य नीलाम में बचे गये (अक्तूबर 1979)। 1978-79 के मूल्य नीलाम में आई बोलियों की 1979-80 के नीलाम में स्वीकृत बोलियां से तुलना करने पर पता चला कि अक्तूबर 1979 में प्रश्नगत 19 लाटों में से 12 लाटों के लिये प्राप्त बोलियों 1978-79 में हुए नीलाम में प्राप्त बोलियों से कम थीं, जबकि शेष 7 लाटों के मामलों में अक्तूबर 1979 में प्राप्त बोलियां 1978-79 में प्राप्त बोलियों से नाम साम्र के लिये अधिक थीं जैसा कि नीचे सारणी में दिए गए विवरणों से स्पष्ट है :

क्रम संख्या	लाटों की कुल संख्या	1978- 79 के नीलाम	1979- 80 के नीलाम	1978- 79 के में हेतु	1978- 79 के नीलाम	राजस्व की वृद्धि (+)/ कमी (-)
1	2	3	4	5	6	7
अनुमानित मूल्य	संशोधित अनुमानित मूल्य	प्राप्त	प्राप्त			
12	7	16.56	6.82	12.42	9.28	(-) 3.14
5.11	2.22	2.43	3.21	(+) 0.78		
19	21.67	9.04	14.85	12.49	(-) 2.36	

(लाख रुपयों में)

1	12	16.56	6.82	12.42	9.28	(-) 3.14
2	7	5.11	2.22	2.43	3.21	(+) 0.78

योग	19	21.67	9.04	14.85	12.49	(-) 2.36
-----	----	-------	------	-------	-------	----------

इस प्रकार, 1978-79 के नीलाम हेतु सूचीबद्ध किये गये लाटों के अधिक मूल्यांकन के कारण नीलाम स्थगित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप 2.36 लाख रुपए के राजस्व की निवल हार्नि हुई क्योंकि एक लाट के मामले के सिवा 1978-79 में प्राप्त बोलियां संशोधित अनुमानित मूल्यों से अधिक थीं ।

सरकार को मामले की सूचना जून 1980 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

8.6. उच्चतम निविदा न स्वीकार करने के कारण राजस्व की हार्नि

चार वर्षों (1977-80) की अवधि हेतु साल-बीजों का संग्रह करने के लिये 14 वन प्रभागों की ओर से अरण्यपाल, प्रयोग वृत्त, लखनऊ, द्वारा 12 जनवरी 1977 को टेंडर आमंत्रित किये गये । टेंडर 7 फरवरी तक आने थे और 8 फरवरी 1977 को खोले जाने थे ।

एक प्रभाग (पश्चिम दहरादून वन प्रभाग) के मामले में 0.72 लाख रुपये का केवल एक टेंडर 7 फरवरी तक प्राप्त हुआ था परन्तु टेंडर खोलने के पूर्व 7 फरवरी को भेजे गये तीन और टेंडर 8 फरवरी 1977 को प्राप्त हुए । इन टेंडरों के विवरण नीचे दिये गये हैं :

टेंडरदाता	टेंडर की	टेंडर की	टिप्पणी
का नाम	प्राप्ति की तिथि	धनराशि (रुपए)	
क	7-2-1977	72,000	
ख	8-2-1977	1,25,000	
ग	8-2-1977	1,10,000	बयाने की रकम नहीं दी
घ	8-2-1977	75,000	

राज्य सरकार ने, जिसे मामला अरण्यपाल द्वारा निर्णय हेतु संदर्भित किया गया था, उच्चतम वैध दर पर टेंडरदाता 'घ' को ठेका देने के लिये अरण्यपाल को निवेदण दिया (मार्च 1977) । टेंडरदाता द्वारा निवेदित 0.75 लाख रुपये के विपरीत अरण्यपाल ने उसे ठेका 0.72 लाख रुपये पर दे दिया । चूंकि चुने गये टेंडरदाता का टेंडर भी दर से अर्थात् 8 फरवरी 1977 को, प्राप्त हुआ था, ठेका 1.25 लाख रुपये की उच्चतम दर निवेदित करने वाले टेंडरदाता 'ख' को भी दिया जा सकता था जिसका टेंडर भी उसी तिथि को प्राप्त हुआ था ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना जनवरी 1979 में दी गयी थी, बताया (सितम्बर 1981) कि “यू० पी० सालवेन्ट एक्सट्रैक्टर्स इसोसिए-सन” के सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए कि साल-बीजों के संग्रह करने का कार्य राज्य के बाहर की पार्टीयों को देने के बजाय राज्य की ही पार्टीयों को दिया जाये ताकि राज्य सरकार विकी-कर के रूप में अधिक राजस्व अर्जित कर सके, सरकार ने निर्णय लिया कि कुछ वन प्रभागों में यह कार्य प्राप्त टेंडरों की उच्चतम धनराशि पर एसोसियेशन के सदस्यों को दिया जाये। साथ ही यह भी बताया गया कि चूंकि ठेकेदार “क”, जिसका 0.72 लाख रुपये का टेंडर समय से प्राप्त हो गया था, कार्य करने का इच्छुक नहीं था, ठेकेदार “घ” को दे दिया गया जो एसोसियेशन का सदस्य भी था और उसी मूल्य (0.72 लाख रुपये) पर कार्य करने का राजी भी था।

समय से प्राप्त एकमात्र टेंडर तथा नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए परन्तु विभाग द्वारा विचार किये गये अन्य टेंडरों की धनराशियों में महत्वपूर्ण अन्तर था लोकिन प्रतियोगी दरों का लाभ उठाने के लिये नये टेंडर आमंत्रित करने आदि की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि टेंडरदाता “ख” जिसका आफर 8 फरवरी 1977 को प्राप्त आफरों में उच्चतम (1,25,000 रुपये) था, वह भी उत्तर प्रदेश राज्य का ही था।

8.7. विक्रय-मूल्य को वसूली किये बिना माल की निकासी

ठेकेदारों के साथ किये गये मानक अनुबन्ध के अनुसार, ठेकेदार टिक्कर या अन्य वन उपज विक्रय मूल्य के अंग्रिम भुगतान के पश्चात् ही वन क्षेत्रों के बाहर ले जा सकते हैं। प्रभागीय वन अधिकारी से अपेक्षित है कि यदि किसी भी समय ठेकेदार द्वारा हटाये गये माल का मूल्य उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि से बढ़ जाता है तो वह वन क्षेत्र से वन उपज की निकासी रोक दे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1979 तथा दिसम्बर 1980 के बीच) कि 23.42 लाख रुपए के कुल मूल्य पर बेचे गये 53 वन लाटों के मामले में (पांच वन प्रभागों में), विक्रय-मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि का अंग्रिम भुगतान किये बिना ही ठेकेदारों को सम्पूर्ण माल ले जाने दिया गया; उन्होंने 16.90 लाख रुपए का भुगतान किया

था और 6.52 लाख रुपये की वसूली शेष थी जिसका विवरण निम्नवत है :

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	लाटों की कुल संख्या तथा वर्ष	वसूली योग्य विक्रय मूल्य	जनानत सहित बसूल किया गया विक्रय मल्य	निवल बकाया शेष
-------------	---------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------

(लाख रुपयों में)

1. दुड़ी वन प्रभाग, सिर्जपुर	28 (1978-79)	9. 94	7. 29	2. 65
2. तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्दानी	10 (1978-79)	3. 68	1. 90	1. 78
3. दक्षिणी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर	10 (1978-79)	5. 31	4. 29	1. 02
4. दक्षिणी पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत	3 (1977-78)	1. 03	0. 49	0. 54
5. लैंसडाउन वन प्रभाग, लैंसडाउन	2 (1978-79)	3. 46	2. 93	0. 53

अंतिम दो मासमालों में, 1.24 लाख रुपए की (मार्च तथा नवम्बर 1979 तक 0.17 लाख रुपये का विलम्ब शुल्क शामिल करते हुए) भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली करने के लिए सम्बन्धित कलेक्टरों को वसूली प्रमाण-पत्र भेजे गये (क्रमशः मार्च तथा नवम्बर 1979)। चूंकि ठोकेदारों के पास काइं चल या अचल सम्पत्ति नहीं पाइं गई, बकायों की वसूली नहीं हो पायी (अप्रैल 1981)। शेष तीन प्रभागों में, वसूली प्रमाण पत्र भेजने की भी काइं कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी (अप्रैल 1981)।

सरकार को मामलों की सूचना मार्च 1980 तथा मई 1981 के बीच दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

8.8. वृक्षों के अवैध काटने हेतु कम अर्थदण्ड लगाना

वनों में वृक्षों के अवैध काटने को रोकने के लिये राज्य सरकार ने अर्थदण्ड की दर, (जैसी नीचे दी गयी है) बड़ा दर्दी (अप्रैल 1977) और निर्देश दिया (अप्रैल 1977) कि 1977 के मूल्य नीलाम के समय से इनका कड़ाई के साथ पालन किया जाये ।

(क) यदि जान बूझकर वृक्षों को अवैध रूप से काटा जाता है, तो वृक्ष के मूल्य के अंतिरिक्त 1,000 रुपये प्रति वृक्ष ।

(ख) यदि अवैध गिरान अनजाने और उद्देश्यरहित हो तो अर्थदण्ड को 1,000 रुपये की उच्चतम सीमा के अन्दर वृक्ष के मूल्य के तीन गुने तक घटाया जा सकता है ।

ये दरें टहरी/गढ़वाल वृत्त की 1977-78 की विक्रय नियमावली में एक विशिष्ट उपचारक्य के रूप में भी शामिल कर दी गयी थीं जो ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध का अंग थीं ।

लैंसडाउन वन प्रभाग की लेखापरीक्षा (सितम्बर 1979) में पता चला कि प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा यह देखा गया कि 1977-78 के 3 वन लाटों में कार्य कर रहे दो ठेकेदारों द्वारा 251 वृक्ष जान बूझकर काट गिराये गये थे जिसके लिये वृक्षों की कीमत शामिल करते हुए वे 2.75 लाख रुपये का अर्थदण्ड देने के जिम्मेदार थे । इसके विरुद्ध प्रभाग ने वृक्षों की कीमत (0.24 लाख रुपये) शामिल करके 0.81 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया । इसके परिणामस्वरूप 1.94 लाख रुपये का अर्थदण्ड कम लगा ।

प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया (जनवरी 1981) कि अर्थदण्ड अंतिरिक्त मुल्य अरण्यपाल (व्यवस्था) के बाद के आदेशों (अगस्त 1978) के अनुसार आरोपित किया गया था जिसके अन्तर्गत अर्थदण्ड जो एक वृक्ष के मूल्य के पांच गुने के बराबर परन्तु 1,000 रुपये से अधिक न हो, आरोपित किया जाना था । परन्तु चूंकि ये लाट वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित थे, अर्थदण्ड वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध विक्रय नियमावली में निर्धारित शतांश तथा अनुबन्ध विलेख के अनुसार आरोपित करना चाहिए था । वास्तव में, संशोधित आदेशों के आधार पर भी अर्थदण्ड विभाग द्वारा आरोपित 0.57 लाख रुपये के बजाय 1.20 लाख रुपये लगाया जाना चाहिए था ।

सरकार को मामले की सूचना मई 1981 में दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

8.9. विलम्ब शुल्क का न लगाना

विक्रय नियमावली में दी शर्तों के अनुसार, वन के ठेकेदारों से विक्रय मूल्य की किस्तें निर्दिष्ट तिथियों तक जमा करना अपर्याप्त है और चूक होने पर, 30 दिनों से अधिक परन्तु 60 दिनों से अधिक न हुए विलम्ब के लिये 2 पैसे प्रति 100 रुपये प्रति दिन की दर से तथा 60 दिनों से अधिक हुए विलम्ब हेतु 5 पैसे प्रति 100 रुपये प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क के दो देनदार हो जाते हैं ।

दुद्धी वन प्रभाग, मिज़ापुर में ठेकेदार ने 1977-78 के दो टिम्बर लाटों के विक्रय-मूल्य की किस्तों (5 लाख रुपये और 3.5 लाख रुपए) के भुगतान में 48 से 549 दिनों का विलम्ब किया जिसके लिये वह 0.30 लाख रुपये के विलम्ब शुल्क का देनदार हो गया जो वसूल नहीं किया गया । फिर भी, उसे लाटों से सम्पूर्ण माल की निकासी करने दी गई । ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति को धनराशि भी लाटों के विक्रय-मूल्य के भुगतान हेतु समायोजित कर ली गई थी ।

लेखापरीक्षा में जब यह चूक इंगित की गयी (दिसम्बर 1978), प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि ठेकेदार 1979-80 में भी प्रभाग में कार्य कर रहा है और यह कि विलम्ब शुल्क उससे वसूल कर लिया जायेगा । अभी तक (अप्रैल 1981) वसूली नहीं की गयी ।

सरकार को मामले की सूचना मार्च 1980 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

8.10. गाँण वन उपज को लाटों को न बेचने के कारण राजस्व की हानि

(क) गाँण वन उपज, अर्थात्, पत्थर, बजरी तथा बालू, की तीन लाटों (अनुमानित मूल्य: 0.31 लाख रुपये) की नीलामी जुलाई 1979 के सामान्य नीलाम में स्थगित कर दी गई क्योंकि कांटद्वार की एक खदान फर्म के प्रार्थना-पत्र देने पर सरकार ने अरण्यपाल, सिवालिक वृत्त, को सलाह दी (जुलाई 1979) कि ये लाट उक्त फर्म को इस शर्त के साथ आवंटित किये जायें कि सरकार द्वारा इन लाटों के अंतिम रूप से निश्चित किये गये मूल्य का वह भुगतान करने के लिये राजी हों । आवंटीती ने शर्त मान ली और उत्तरनन प्रारम्भ करने के पूर्व अंतरिम मूल्य का पचीस प्रतिशत रायलटी के रूप में और अन्य पचीस प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि के रूप में जमा करना स्वीकार कर लिया । परन्तु कार्य आदेश जारी करने हेतु फर्म

से अंतरिम मूल्य और प्रतिभूति की धनराशि जमा करने के लिये, जैसा उसने स्वीकार किया था, कहने के बजाय, अरण्यपाल ने प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर वृक्षारोग्य प्रभाग को निर्देश दिया (सितम्बर 1979) कि यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात् कि सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमानित किये जाने वाले मूल्य का फर्म भुगतान करेगी, ये लाट उक्त पार्टी को 0.81 लाख रुपये के अन्तरिम मूल्य पर (0.31 लाख रुपये का अनु-मानित मूल्य खुले नीलाम में बेचे गये ऐसे लाटों के संबंध में प्राप्त मूल्य के आधार पर बढ़ा दिया गया) आवंटित कर दिये जायें।

जनवरी 1980 तक न तो सरकार द्वारा अंतिम मूल्य निश्चित किया गया न ही फर्म की सहमति लेने और फर्म द्वारा उत्खनन प्रारम्भ करने के लिये आपचारिकतायें समर्पण करने की कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी। फिर भी, फरवरी 1980 में, प्रभागीय वन अधिकारी ने पार्टी से लाटों की प्रतिभूति और रायल्टी की आवश्यक धनराशि (अरण्यपाल द्वारा निश्चित किये गये 0.81 लाख रुपये) जमा करने के पश्चात् काम शुरू करने को कहा तथा बताया कि ऐसा न करने पर लाट नीलाम कर दिये जायेंगे और इस कारण यदि विभाग को कोई हानि उठानी पड़ी उसके लिये पार्टी जिम्मेदार होगी। परन्तु पार्टी ने न तो धनराशि जमा किया और काम शुरू किया और न ही इन लाटों को नीलाम करने की विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी (जून 1980)।

चूंकि कार्य-मौसम की समाप्ति अर्थात् जून 1980 तक, लाट विना विके पड़े रहे और दूसरे कार्य-मौसम के नीलाम में विभाग के पास इन मौसमी लाटों की पुनः विक्री की कोई गुंजाइश नहीं थी, विभाग को इस कारण 0.81 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी। अरण्यपाल ने सूचित किया (मई 1981) कि सरकार से आदेश प्राप्त होने पर खनन फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

सरकार को मामले की सूचना अगस्त 1980 में दी गयी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

(ख) इसी प्रकार, प्रभागीय वन अधिकारी, पूर्वी देहरादून के गौण वन उपज, अर्थात् बजरी और गोलाश्म (बोल्डर) का एक लाट (अनुमानित मूल्य: 0.39 लाख रुपये) गौण वन उपज के लाटों के मूल्य नीलाम में नहीं बेचा गया (जुलाई 1979) क्योंकि प्रभागीय वन अधिकारी की संस्तुति पर अरण्यपाल ने लाट का आवंटन देहरादून की एक सहकारी समिति के पक्ष में कर दिया। चूंकि समिति ने कार्य नहीं किया था और प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं की थी, आवंटन निरस्त कर दिया गया (सितम्बर

1979)। बाद में, सितम्बर 1979 और नवम्बर 1979 में लाट का दो बार नीलाम किया गया परन्तु उसी एक ही ठेकेदार से प्राप्त क्रमशः 0.20 लाख रुपए तथा 0.10 लाख रुपए के उच्चतम प्रस्ताव इस आधार पर अनुमोदित नहीं किये गये कि धनराशि लाट के अनुमानित मूल्य से बहुत कम थी।

मुख्य अरण्यपाल के स्थायी आदेशों (जनवरी 1978) के अनुसार, गाँण वन उपज के लाटों की विक्री अनुमानित मूल्य से ऐसे लाटों के लिये प्रस्तावित मूल्य कम होने पर भी स्थगित नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार, कार्य-मौसम के अन्त तक बिना बिके पड़े हुए इस लाट हेतु उच्चतम प्रस्ताव को न स्वीकार करने से सितम्बर 1979 में प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव के संदर्भ में निकाली गई 0.20 लाख रुपये की हानि हुई।

सरकार को मामले की सूचना जून 1980 में दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

8.11. वन प्राप्तियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु अपर्याप्त व्यवस्थायें

वर्ष 1979-80 के लिये राजस्व प्राप्तियों पर भारत के नियंत्रक-म्हालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तर 8.9 में वन विभाग में अपर्याप्त आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन का उल्लेख किया गया था। मार्च 1977 में सरकार ने यह आकांक्षा की थी कि राजस्व तथा स्टोर की लेखापरीक्षा सात वृत्तों में वार्षिक और शेष वृत्तों में द्वैवार्षिक रूप से की जानी चाहिए। बाद में, सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक कार्यालय की लेखापरीक्षा तीन वर्ष में एक बार की जाय। परन्तु निर्धारित लेखा-परीक्षा की प्रमात्रा (कवाण्टम) एवं उसकी आवर्तिता का पालन नहीं हो सका क्योंकि इस प्रयोजन हेतु मुख्य अरण्यपाल द्वारा मांगा गया (अगस्त 1977) अतिरिक्त स्टाफ सरकार द्वारा अब तक मंजूर नहीं किया गया है (सितम्बर 1981)। फलत: 1980-81 के दौरान आन्तरिक लेखा-परीक्षा संगठन द्वारा 139 दिनों वाली 5 इकाइयों की विशेष लेखापरीक्षा को शामिल करते हुए केवल 18 इकाइयों की (114 इकाइयों में से) आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई।

आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन द्वारा उठाई गयी 2,537 आपत्तियाँ में से 1,554 आपत्तियाँ मार्च 1981 के अन्त में बकाया पड़ी थीं।

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियां

राजस्व विभाग

9.1. स्टाम्प शुल्क, कोर्ट फीस तथा अर्थदण्ड में कमी की वसूली न करना।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 48 के अन्तर्गत देय सभी शुल्क, अर्थदण्ड तथा अन्य धनराशियां जिला कलेक्टरों द्वारा भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल की जानी हैं।

उत्तर प्रदेश निवधन महानिरीक्षक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रैल 1980) यह देखा गया कि समय-समय पर स्टाम्प निरीक्षकों द्वारा बताई गई स्टाम्प शुल्क तथा कोर्ट फीस में कमी तथा उसके फलस्वरूप उस पर लगाए गये अर्थदण्ड के कारण 31 मार्च 1980 को वसूल की जाने वाली कुल धनराशि 1,39,02 लाख रुपए थी।

विभाग ने बकाये की वसूली में विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया।

सरकार को अप्रैल 1981 में मामले की सूचना दी गई; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

9.2. राज्य सम्पदाओं का प्रबंध

(1) प्रस्तावना

भूमि सुधार आयुक्त (अब राजस्व परिषद्) के नियंत्रण में रखी गयी राज्य सरकार की अचल सम्पत्तियों का प्रबंध एवं प्रशासन जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाता है। जिला अधिकारी एसी राज्य सम्पत्तियों/सम्पदाओं का प्रबंध प्रतिपाल्य अधिकरण (कोर्ट आफ वार्ड्स) या तहसील स्टाफ को सैंप सकते हैं। जिला अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे तहसीलों में राज्य सम्पत्तियों के अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें। उचित किराया लगा कर अथवा प्रत्येक सम्पत्ति की परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार किसी अन्य उग्रयक्त विधि द्वारा उन्हें यह भी देखना चाहिए कि निजी व्यक्तियों के पक्ष में प्रतिकूल कब्जे के अधिकार न पनप सकें।

पांच जिला कार्यालयों (आगरा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनीताल तथा रामपुर) जहाँ राज्य सम्पदाओं का प्रबंध तहसील कर्मचारियों और उनकी सदर तहसीलों को सौंपा गया था—में रखे गए अभिलेखों के टंस्ट आडिट के दाँरान (अक्टूबर 1980 से अप्रैल 1981) दख्खे गये कुछ महत्वपूर्ण एवं राचिकर प्रसंग बाद के पैराग्राफों में दिये गये हैं।

(2) अभिलेखों का रखरखाव

राजस्व परिषद् के विभागीय निरीक्षण के दाँरान, यह बताया गया (जून 1980) कि प्रत्येक तहसील में सम्पत्तियों के रजिस्टर में राज्य सम्पदाओं के सम्पूर्ण विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया और यह कि जिला मूर्खालय में एक समर्कित रजिस्टर भी रखा जाना चाहिए। फिर भी यह दख्खने में आया कि सम्पत्तियों का समर्कित रजिस्टर नैनीताल तथा रामपुर के जिला मूर्खालयों में नहीं रखा गया (नवम्बर 1980)। इलाहाबाद, आगरा तथा मिर्जापुर जिलों में यह पाया गया कि समर्कित रजिस्टर उचित ढंग से नहीं रखा गया था क्योंकि प्रविष्टियां सत्यापित नहीं की गईं थीं और अन्यत्र स्थानान्तरित राज्य सम्पत्तियों के विवरण भी दर्ज नहीं किये गये थे।

(3) बकाया प्राप्य राशि

मार्च 1980 के अन्त में, 1955-56 और उससे बाद के वर्षों से सम्बन्धित राज्य सम्पदाओं के पट्टों के किराये, प्रीमियम तथा नीलाम के रूप में बकाया प्राप्य राशि पांच जिलों में 24.20 लाख रुपये हो गयी (नैनीताल : 21.66 लाख रुपए; इलाहाबाद : 1.73 लाख रुपए; आगरा : 0.56 लाख रुपए; मिर्जापुर : 0.15 लाख रुपए तथा रामपुर : 0.10 लाख रुपये)। बकाया प्राप्य राशियों का वर्षावार विभाजन और वसूली न करने के कारण जिला अधिकारियों द्वारा नहीं दिये जा सके (जनवरी 1982)।

इलाहाबाद जिले में, बकाया प्राप्य राशियों की वसूली 1975-76 में 0.54 लाख रुपये से घट कर 1979-80 में 0.12 लाख रुपये हो गई जिससे बकाया प्राप्य राशि 1975-76 के 0.82 लाख रुपये से बढ़कर 1979-80 में 1.73 लाख रुपये हो गई। जुलाई 1973 में राजस्व परिषद् द्वारा किये गये विभागीय निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि 0.15 लाख रुपयों की संग्रहीत धनराशि का इलाहाबाद के भूतपूर्व जिलेदार द्वारा मार्च 1963 से जुलाई 1969 के दाँरान गवन कर लिया गया था जिससे 5,000 रुपये जमानत की आवश्यक धनराशि भी नहीं ली गई थी। यद्यपि गवन का पता जून 1970 में चल गया था तथापि विभागीय जांच के

फलस्वरूप भूतपूर्व जिलेदार की सेवाएं 28 मई 1972 को समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट 31 मई 1972 को दर्ज कराई गई। राजस्व परिषद् के निर्देशों (दिसम्बर 1977) के उपरान्त भी उन सात पर्यवेक्षण अधिकारियों (3 प्रभारी अधिकारी तथा 4 नायब तहसीलदार) के विरुद्ध जो हानि के लिये जिम्मेदार ठहराए गये थे, कोई भी कृत कार्यवाही दृष्टिगत नहीं हई (मार्च 1981)।

(4) पट्टों का नवीनीकरण

जैसा नीचे दिया गया है, तीन जिलों में (इलाहाबाद, आगरा तथा नैनीताल) 1,108.10 एकड़ भूमि पर 1,798 पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया गया था (मार्च 1981) :

जिले का नाम	पट्टों की कुल संख्या	समाप्त पट्टों की संख्या	निर्धारित क्षेत्र (एकड़ में)
1. इलाहाबाद	1,662	1,327	969.30
2. आगरा	220	220	86.60
3. नैनीताल	अनुपलब्ध है	251	52.20
	जोड़ 1,882*	1,798	1,108.10

मिर्जापुर जिले में पट्टे प्रति वर्ष नीलाम के आधार पर दिये जाते थे । रामपुर से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

(क) इलाहाबाद

(1) 1967 में राज्य सरकार ने समाप्त हो गये पट्टों के नवीनीकरण के लिये आदेश दिए थे और ऐसे पट्टों के नवीनीकरण पर प्रभारित होने वाले प्रीमियम की दरें भी निर्दिष्ट की थीं। वार्षिक किरायाँ की दरों के साथ-साथ ये दरें 1975 में पुनः संशोधित की गयीं। तथापि समाप्त हो गये पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने के कोई कारण नहीं बताये गये (नवम्बर 1980)।

(2) 384 मालाओं में मूल पट्टों के समाप्त होने की तिथियां ज्ञात नहीं थीं और न ही उनको ज्ञात करने की कोई कार्यवाही की गई।

(3) यदि समाप्त हो गये पट्टों का सरकार द्वारा 1975 में निर्धारित दरों पर नवीनीकरण कर दिया गया होता, तो 676 पट्टों से प्रीमियम के रूप में 39.45 लाख रुपये और वार्षिक किराये के रूप में

*नैनीताल को छोड़कर ।

11.39 लाख रुपये सरकार अर्जित करती । शेष 651 पट्टों के सम्बन्ध में विवरणों के अभाव में प्रीमियम की धनराशि नहीं निकाली जा सकी । इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई (मार्च 1981) ।

(ब) रामपुर

एक प्राइवेट कम्पनी को जून 1944 से अगस्त 1952 की अवधि के दौरान चार प्लाट-नाम 70.15 एकड़—कल 1,260 रुपये वार्षिक किराये पर पट्टे किये गये थे । सभी पट्टों की अवधि अगस्त 1976 तक समाप्त हो गई थी परन्तु उनके नवीनीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (नवम्बर 1980) । सम्बद्ध विवरणों के अभाव में सशांक्षित दरों पर प्रीमियम की धनराशि और किराये का बकाया नहीं निकाला जा सका । ऐसा कोई अभिलेख भी नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि विगत दस वर्षों के दौरान (1970-71 से 1979-80) इन पट्टों के सम्बन्ध में वार्षिक किराया (पुरानी दरों पर) वसूल किया गया था ।

(5) अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे

(1) इलाहाबाद में, सोरांव तहसील में 58.92 एकड़ भूमि पर लगे 34 बाजों की नीलामी काफी असर से नहीं की गयी थी (यथार्थ विवरण उपलब्ध नहीं थे) । जिलाधीश द्वारा 1971 में माँके पर निरीक्षण से पता चला कि अधिकतम भूमि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कृषि एवं आवासीय प्रयोजनों के लिये इस्तमाल की जा रही थी । उनको बेदखल करने के तिरे और कम से कम समतित के खाली भाग की नीलामी के लिये भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (नवम्बर 1980) ।

(2) इसी प्रकार, अतिरिक्त उप भूमि सुधार आयुक्त द्वारा फरवरी 1980 में इलाहाबाद नगर में नसीबुपर बखतिआरा के प्लाट सं 0 136 के स्थानीय निरीक्षण से पता चला कि पट्टाधारी ने भूमि गैर-कानूनी ढंग से 14 व्यक्तियों को बेच दी थी जिन्होंने उस पर भकान बना लिये थे । अतिरिक्त उप भूमि सुधार आयुक्त ने संस्तुति की थी कि सम्बन्धित लेखपाल निलम्बित कर दिया जाये और सम्बन्धित नायब तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये । दखीलकारों से प्रीमियम व किराया वसूलने की कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(3) दुर्धी (जिला मिर्जापुर) में, 1976-77 तक अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जों के 37 मामले सूचित किये गये थे । इस अवधि के बाद की न तो कोई सूचना थी और न हो इन मामलों में अतिक्रमण खाली कराने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध थी ।

(6) अदालती मामले

लेखापरीक्षा में देखे गये जिलों में से किसी में भी न तो बेदखली व परियाग का रजिस्टर रखा गया था और न ही न्यायालयों में लम्बित मामलों का कोई अभिलेख था। परिणामस्वरूप, न्यायालयों में पड़े बेदखली और प्राप्तियों की वसूली के मामलों की सही स्थिति का पता नहीं चल सका।

(क) इलाहाबाद में अभिलेखों की जांच (नवम्बर 1980) से निम्न तथ्यों का पता चला :—

(1) न्यायालयों में मुकदमें दायर करने के पूर्व मामलों से संबंधित भूमि का कोई निरीक्षण या सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(2) 61.1 एकड़ भूमि के मामले राज्य के पक्ष में निर्णीत किये जा चुके थे (मार्च 1981 तक) परन्तु भूमि का कब्जा लेने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

(ख) नैनीताल में, सरकार के पक्ष में निर्णीत (सितम्बर 1980 तक) 1,774 मामलों में से 1,805 एकड़ भूमि के 865 मामलों में कब्जा नहीं लिया गया था (अक्टूबर 1980)। इन मामलों का वर्ष-वार विभाजन विभाग द्वारा नहीं दिया जा सका।

(ग) मिर्जापुर में, नवम्बर 1974 से मई 1977 के दौरान बेदखली के लिये न्यायालय में 88 मामले दायर किये गये। इनमें से 58 मामले बाद में वापस ले लिये गये जियके लिये अभिलेख में कोई कारण नहीं दिये गये थे। शेष 30 मामलों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति की जानकारी भी विभाग द्वारा नहीं दी जा सकी (अप्रैल 1981)।

सरकार को मामला जूलाई 1981 में सूचित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

पश्चालन विभाग

9.3. स्थानीय निकायों से देयों की वसूली न करना

शासनादेशों (मई 1944) के अनुसार, स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे पश्शु चिकित्सालयों से सम्बद्ध सहायक शल्य चिकित्सक (पश्शु पालन) द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के निम्नित स्थानीय निकायों द्वारा सरकार को 40.25 रुपये प्रति माह प्रति डाक्टर की दर से भुगतान करना होता है।

उप निदेशक, पश्शु पालन, गोरखपुर तथा अलीगढ़, आजमगढ़, बहराइच, वलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गोरखपुर एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों के पश्शुधन अधिकारियों के अभिलेखों के टेस्ट आडिट के दौरान (अगस्त 1979 से सितम्बर 1980) यह देखा गया कि 1.58

लाख रुपए, जैसा नीचे दिया है, 31 मार्च 1980 को जिला परिषदों से वसूली के लिये बकाया पड़े थे :—

जिला परिषद्	अवधि	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. अलीगढ़	अप्रैल 1976 से मार्च 1979	0.44
2. आजमगढ़	मार्च 1969 से मार्च 1979	0.18
3. बहराइच	अक्टूबर 1971 से मार्च 1979	0.07
4. बलिया	अप्रैल 1974 से मार्च 1980	0.19
5. बस्ती	मार्च 1973 से मार्च 1979	0.15
6. देवरिया	अप्रैल 1972 से मार्च 1980	0.15
7. फौजादाद	अप्रैल 1972 से अगस्त 1980	0.21
8. गोरखपुर	मार्च 1973 से मार्च 1979	0.10
9. पाँडी गढ़वाल	अप्रैल 1961 से मार्च 1980	0.09
		जोड़ 1.58

सहायक शल्य चिकित्सक (पश्च पालन) के विगत वेतनमान (80 रुपये-150 रुपये) के आधार पर 36 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई 40.25 रुपये प्रति माह प्रति डाक्टर की दर संशोधित नहों की गई थी (सितम्बर 1980) यद्यपि वेतनमान अनेक बार संशोधित किये गये; वर्ष 1980-81 में सहायक शल्य चिकित्सक (पश्चपालन) का वेतनमान 550 रुपए—1,200 रुपए रहा है।

सरकार को मामला मार्च 1981 में सूचित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

वित्त विभाग

9.4. सहकारी समितियों से आडिट फीस का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां नियमावली, 1968 के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी समिति को विभागीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपने वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षण हेतु निर्धारित दरों पर सरकार को निर्धारण के नाटे की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर फीस देनी होती है। भूगतान में चूंक वरने वालों के मामले में, नियमों में दरों की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में किये जाने का भी प्राविधान है।

मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, उत्तर प्रदेश, के अभिलेखों के टेस्ट आडिट (सितम्बर 1980) से पता चला कि 1,391 सहकारी समितियां के विरुद्ध 31 मार्च 1980 को 10.00 लाख रुपये की आडिट फीस बकाया थी, जैसा कि नीचे दर्शया गया है :

अवधि	धनराशि (लाख रुपयों में)
1953-54 से 1959-60	0.07
1960-61 से 1964-65	0.05
1965-66 से 1969-70	0.13
1970-71 से 1974-75	0.73
1975-76 से 1978-79	4.00
1979-80	5.02
	योग 10.00

मार्च 1980 तक जो 47 सहकारी समितियां समाप्त हो गई थीं उनसे सम्बन्धित 0.09 लाख रुपये की धनराशि अप्रैल 1980 और मार्च 1981 के बीच बट्टे खाते में डाली जा चुकी थी।

31 मार्च 1981 को प्रभावी बकाया 9.91 लाख रुपये था।

विभाग ने बताया कि सभी मामलों में दावे समय से पेश कर दिये गये थे परन्तु अधिकतम सहकारी समितियां अपनी कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण देय धन का भुगतान नहीं कर सकीं। यह भी बताया गया कि समय-समय पर (वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं किये गये) विभाग ने राजस्व अधिकारियों को 2.16 लाख रुपये के वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये थे। शेष धनराशियों के मामलों में, जहां समितियां निर्धारित अवधि में फीस जमा करने में असफल रहीं, वसूली प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने का कोई कारण नहीं दिया जा सका। जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्रों के समक्ष की गई वसूलियों की जानकारी भी विभाग को नहीं थी।

सरकार को मामला मई 1981 में सूचित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

सिंचाई विभाग

9.5. नहर जल के अनधिकृत प्रयोग के लिये दण्डात्मक प्रभार का न लगाना।

उत्तर भारत नहर तथा निकास अधिनियम, 1873 व उसके अधीन बनी नियमावली तथा सिंचाई विभाग के आदेश मैनुअल के प्रविधानों के

अन्तर्गत, नहर जल के अपवाय या दुरुपयोग के लिये दण्डात्मक प्रभार लगते हैं। किसी मामले में दण्डात्मक प्रभार लगाने से पूर्व, प्रखण्ड अधिकारी को स्वयं इस बात की सन्तुष्टि कर लेनी चाहिये कि मामले की जांच-पड़ताल एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा, जो जिलेदार की श्रेणी से कम का न हो, तत्काल तथा अविलम्ब कर ली गई है। इस तरह लगाये गये दण्डात्मक प्रभार दबीलकार की दर (आकृयायर्स रेट) के रूप में समझे जाते हैं और राजस्व विभाग द्वारा भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली हेतु इनको मांग-पत्र (जमावन्दी) में शामिल किया जाना होता है।

नहर जल के दुरुपयोग तथा अनधिकृत सिंचाई हेतु दण्डात्मक प्रभार न लगाने के मामले कमातः भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां) के पैराग्राफ 8.3, 9.9 तथा 9.3 में पहले भी दिये गये थे। विभाग ने समस्त प्रस्तुत अधिकारियों को 1978 में इस आशय के अनुदेश जारी किये कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक फसल की जमावन्दी अन्तिम रूप से तैयार करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जल के अग्रिमित उपयोग की जांच-पड़तालें पूरी कर ली गयी हैं तथा यथासंभव उसके लिये दण्डात्मक प्रभार उस वर्ष की जमावंदियों में शामिल कर लिये गये हैं।

फिर भी, निचली धंगा नहर प्रखण्ड, इटावा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1980) कि 1971-72 से 1979-80 वर्षों से सम्बन्धित नहर जल का दुरुपयोग करके 97,512 एकड़ भूमि की अनधिकृत सिंचाई के 6,057 मामलों की, जिनमें 34.13 लाख रुपये के दण्डात्मक प्रभार निहित थे, जांच-पड़ताल नहीं की गई थी या उनको अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया था।

सरकार को मामला नवम्बर 1980 में सूचित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

9.6. निर्धारित दरों पर सिंचाई के लिये प्रभार न लगाना

उत्तर भारत नहर तथा निकास अधिनियम, 1873 के अन्तर्गत मार्च 1969 की एक अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने, खरीफ 1969 से प्रभावी, 3 से 5 क्यूंसेक क्षमता वाले राज्य नलकूपों से सिंचाई हेतु प्रभार निश्चित किये, जैसा कि नीचे दिया गया है:—

(1) रिंचित क्षेत्र पर 20 रुए प्रति एकड़ का सुनिश्चित प्रभार जिसे 10 रुपये प्रति एकड़ प्रति फसल के हिसाब से वसूल किया जाना होता है तथा

(2) उपर्युक्त (1) के अतिरिक्त, धन व गले की प्रत्येक सिंचाई के लिये 10 रुपये प्रति एकड़ तथा रवी व अन्य खरीफ फसलों की प्रत्येक सिंचाई हेतु 8 रुपये प्रति एकड़।

उपर्युक्त दर सितम्बर 1976 तथा सितम्बर 1977 में संशोधित की गयीं।

नलकूप प्रखण्ड, चंदौसी की लेखापरीक्षा के दौरान, यह दरेखा गया (जूलाई 1980/अगस्त 1981) कि 1977-78 से 1980-81 वर्षों के दौरान 3 से 5 क्यूंसेक क्षमता वाले 13 राज्य नलकूपों से सिंचाई हेतु प्रभार अप्रैल 1977 से लगने वाली संशोधित दरों के बजाय 1969 की पूर्व-संशोधित दरों पर लगाये गये। इसके फलस्वरूप 3,02,784 रुपए का सिंचाई प्रभार कम लगा।

विभाग और सरकार के समक्ष मामला सितम्बर 1980 में लाया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982)।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

9.7. विशेष आवंटितयों को आवंटित आवासों के किराये का अवर्तनधारण

पूलड हाउसिंग स्कीम नियमावली के अधीन सितम्बर 1976 की एक सरकारी अधिसूचना द्वारा, किथित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये निर्मित भवनों का आवंटन जिलाधीश द्वारा, केंद्रीय सरकार, स्थानीय स्वायत शासन, स्वायत्त निकायों तथा निगमों के कर्मचारियों और प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर गये हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को करना था। अपरिहार्य परिस्थितियों में, अपवर्जित श्रेणियों को भवनों के आवंटन हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना था तथा ऐसे व्यक्तियों पर प्रभार्य किराया बाजार दरों पर लगना था जो मानक किराये (स्टैण्डर्ड रेट) के दुगुने से कम न हो।

1980-81 के दौरान विजनौर, रामपर तथा प्रतापगढ़ स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन प्रान्तीय खण्डों की लेखापरीक्षा में दरेखा गया कि अपवर्जित श्रेणियों से सम्बन्धित 30 व्यक्तियों को समुच्चय आवास आवंटित किये गये। इन व्यक्तियों ने किराये का भुगतान बेतन के 10 प्रतिशत से या केवल मानक किराये पर किया। खण्डों ने सरकारी अधिसूचना में दिए गए उच्चतर किराये की न मांग की और न प्रभारित

किया । इसके फलस्वरूप 82,348 रुपये का किराया कम निर्धारित हुआ तथा कम वसूल किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके बताये जाने पर, रामपुर तथा विजनौर के कलेक्टरों ने बताया (अगस्त 1981) कि 1976 की समुच्चय आवास योजना नियमावली विलम्ब से प्राप्त होने के कारण समुच्चय आवासों के आवंटन हेतु सरकार को पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी । प्राप्तीय स्थग्न, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

सरकार को मामला अगस्त, सितम्बर 1980 तथा फरवरी 1981 में सूचित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1982) ।

१। ७। १९८०।

इलाहाबाद,

दिनांक

28 मई 1982

(शम्भु नाथ त्रिपाठी)

महालेखाकार-तृतीय,

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश


नई दिल्ली,

दिनांक


(ज्ञान प्रकाश)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

31 मई 1982



परिशिष्ट



परिवाष्ट 1

(संदर्भः प्रस्तर 1.2 (ग); पृष्ठ 4)

मद 4 "अन्य" के व्यौरों की विवरणी

	1978-	1979-	1980-	1979-80	के संदर्भ में वृद्धि (+) या कमी (-)
	79	80	81		
(करोड़ हजारों में)					
1—लघु सिचाई, भू- संरक्षण एवं क्षेत्रीय विकास	14. 84	11. 34	7. 03	-4. 31	
2—शिक्षा	8. 15	9. 54	12. 73	+3. 19	
3—चिकित्सा	4. 89	4. 75	5. 02	+0. 27	
4—अन्य प्रशासनिक सेवायें	5. 41	33. 25	6. 61	-26. 64	
5—सड़कें और पुल	3. 67	3. 98	3. 76	-0. 22	
6—विविध सामान्य सेवायें	8. 59	6. 57	7. 41	+0. 84	
7—कृषि	3. 32	3. 14	5. 27	+2. 13	
8—पुलिस	3. 20	3. 13	2. 52	-0. 61	
9—लाभांश और लाभ	2. 81	5. 98	4. 10	-1. 88	
10—खाने और खनिज	2. 43	2. 56	3. 93	+1. 37	
11—लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2. 36	2. 56	2. 46	-0. 10	
12—सार्वजनिक निर्माण कार्य	2. 15	1. 95	2. 42	+0. 47	
13—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1. 33	1. 18	2. 33	+1. 15	
14—पशु—पालन	1. 46	1. 35	1. 51	+0. 16	
15—श्रम एवं सेवायोजन	1. 09	1. 13	1. 34	+0. 21	
16—सहकारिता	2. 10	1. 79	2. 62	+0. 83	
17—आवास	1. 26	1. 49	1. 57	+0. 08	
18—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	1. 04	1. 02	1. 04	+0. 02	
19—विविध	7. 00	6. 54	8. 90	+2. 36	
योग	77. 10	1, 03. 25	82. 57	-20. 68	

परिशिष्ट 2

(संदर्भः प्रस्तर 1. 8; पृष्ठ 18)

राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत वसूली की लागत की विवरणी।

लेखा-शीर्ष	वर्ष	सकल वसूली		वसूली पर हुआ व्यय		प्रति-शतता
		वसूली पर	वसूली की	हुए व्यय	हुआ व्यय	
(करोड़ रुपयों में)						
1	2	3	4	5		
1—भू-राजस्व	..	1978-79	46.86	10.16	22	
		1979-80	25.95	10.85	42	
		1980-81	22.73	11.23	49	
2—स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	..	1978-79	56.70	1.05	2	
		1979-80	64.23	1.15	2	
		1980-81	68.96	1.42	2	
3—राज्य आबकारी	..	1978-79	51.45	1.24	2	
		1979-80	70.44	1.37	2	
		1980-81	89.87	1.57	2	
4—बिक्री-कर	..	1978-79	2,72.25	4.45	2	
		1979-80	3,02.52	5.33	2	
		1980-81	3,50.85	6.11	2	
5—वाहनों पर कर	..	1978-79	21.60	0.37	2	
		1979-80	24.39	0.40	2	
		1980-81	26.09	0.57	2	

6—माल और यात्रियों पर	1978-79	27. 28	0. 21	1
कर	1979-80	36. 61	0. 19	1
	1980-81	41. 05	0. 47	1
7—विद्युत् पर कर और शुल्क	1978-79	6. 96	0. 21	3
	1979-80	7. 52	0. 21	3
	1980-81	12. 47	0. 27	2
8—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1978-79	24. 83	0. 25	1
	1979-80	30. 19	0. 28	1
	1980-81	33. 05	0. 32	1
9—चन	..	42. 26	2. 79	7
	1979-80	45. 18	3. 21	7
	1980-81	49. 13	6. 84	13

परिशिष्ट 3

(संदर्भ: प्रस्तर 4. 2. 4 (5); पृष्ठ 68)

लेखा तथा सांख्यिकीय विभागों द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों की विवरणियों
में अन्तर का विवरण

माह	लेखा विभाग के अनुसार आंकड़े (रुपए)	सांख्यिकीय विभाग के अनुसार आंकड़े (रुपए)	अन्तर (रुपए)
-----	---------------------------------------	---	-----------------

इलाहाबाद सम्भाग

जुलाई 1980	36,52,335. 58	41,34,686. 63	- 4,82,351. 05
अगस्त 1980	12,98,935. 49	13,93,305. 49	- 94,370. 00
सितम्बर 1980	15,25,330. 06	16,87,767. 12	- 1,61,937. 06
अक्टूबर 1980	45,28,541. 75	50,13,555. 09	- 4,85,013. 34
नवम्बर 1980	12,52,327. 51	18,39,877. 16	- 5,87,549. 65
दिसम्बर 1980	15,87,743. 55	23,17,801. 65	- 7,30,058. 10
जनवरी 1981	59,20,679. 78	52,95,140. 07	+ 6,25,539. 71
फरवरी 1981	21,58,279. 55	21,31,417. 44	+ 26,862. 11

कानपुर सम्भाग

अप्रैल 1980	81,47,953. 51	77,19,367. 59	+ 4,28,585. 92
मई 1980	36,27,143. 71	27,32,399. 65	+ 8,94,744. 06
जून 1980	35,29,004. 13	47,27,847. 18	- 11,97,943. 05
जुलाई 1980	91,83,586. 97	85,89,138. 10	+ 5,94,548. 87
अगस्त 1980	28,53,615. 09	31,75,734. 87	- 3,22,119. 78
सितम्बर 1980	30,24,648. 55	31,03,474. 20	- 78,825. 65
अक्टूबर 1980	88,81,810. 56	87,14,858. 94	+ 1,66,951. 62
नवम्बर 1980	32,30,106. 27	35,60,670. 48	- 3,30,564. 21
दिसम्बर 1980	45,53,075. 56	45,33,347. 79	+ 19,727. 77
जनवरी 1981	1,12,14,422. 77	1,09,06,339. 05	+ 3,08,083. 72

(132)

पौ ० एस० यू० पौ०— 47 रहालेखाकार— 24— - 82— 1,825 (हिन्दी)